G20 भारत 2023 INDIA

आज़ादी का अमृत महोत्सव

स्मारिका

पंचम अखिल भारतीय अंतरबैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिता

वर्ष 2022-23

यूको बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)

UCO BANK
(A Govt. of India Undertaking)

सम्मान आपके विश्वास का

Honours Your Trust

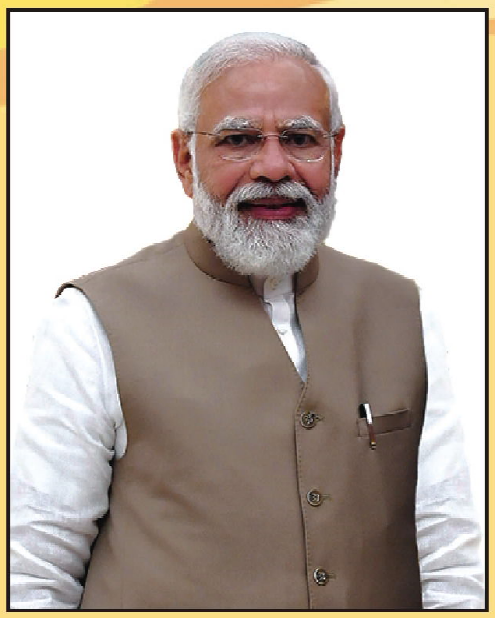

“ आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी-आज़ादी की ऊर्जा का अमृत, आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी–स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणाओं का अमृत। आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी-नए विचारों का अमृत। नए संकल्पों का अमृत। आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी-आत्मनिर्भरता का अमृत और इसीलिए, ये महोत्सव राष्ट्र के जागरण का महोत्सव है। ये महोत्सव, सुराज्य के सपने को पूरा करने का महोत्सव है। ये महोत्सव, वैश्विक शांति का, विकास का महोत्सव है। ”

नरेंद्र मोदी
भारत के प्रधानमंत्री

स्मारिका

यूको बैंक पंचम अखिल भारतीय अंतरबैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिता 2022-23

कोलकाता, दिनांक 18 जुलाई, 2023

सेमिनार सह पुरस्कार समर्पण समारोह

संरक्षक

अश्वनी कुमार

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रेरणा

राजेन्द्र कुमार साबू

कार्यपालक निदेशक

संपादक

मनीष कुमार महाप्रबंधक

मानव संसाधन, कार्मिक, प्रशिक्षण एवं राजभाषा

संपादन सहयोग

अजयेंद्रनाथ त्रिवेदी मुख्य प्रबंधक (राजभाषा)

सत्येंद्र कुमार शर्मा मुख्य प्रबंधक (राजभाषा)

पूनम कुमारी प्रसाद वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा)

अनुक्रम

महिला सशक्तिकरण में स्वयं-सहायता-समूह की भूमिका

मीरा तानाजी कोठावले 6

सुरिंदर कौर अहलुवालिया 12

बरिंदरजीत कौर 19

करन कुमार उतवानी 24

कुंजन महेन्द्रू 31

उत्प्रेक्षा कश्यप 37

स्नेहा जायसवाल 43

नेहा गुप्ता 49

स्वीटी कौशिक 54

ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों के समग्र विकास में एमएसएमई उद्यमों का योगदान

धीरेन्द्र मंडावत 59

-: प्रकाशक :-

यूको बैंक, राजभाषा विभाग, प्रधान कार्यालय

10, बी.टी.एम. सरणी, कोलकाता - 700 001

ईमेल : horajbhasha.calcutta@ucobank.co.in

फोन : 033 4455 7384

स्मारिका में व्यक्त विचार लेखकों के हैं, यूको बैंक के नहीं हैं। इन विचारों से यूको बैंक की सहमति हो ही यह आवश्यक नहीं है।

मुद्रक : श्याम कम्प्युटेक, 73, कॉटन स्ट्रीट, कोलकाता - 700 007, ईमेल : shyamcomputech88@gmail.com

कुल पृष्ठ - 64

यह संगोष्ठी

हम जानते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रगतिशील भारत के 75 वर्ष पूरे होने और देश की संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को याद करने और जश्न मनाने के लिए भारत सरकार की ओर से की जाने वाली एक पहल है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 'पंच प्राण' के साथ पंक्तिबद्ध किए गए नौ महत्वपूर्ण विषयों; महिलाएं एवं बच्चे, आदिवासी सशक्तिकरण, जल, सांस्कृतिक गौरव, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, स्वास्थ्य और कल्याण, समावेशी विकास, आत्मनिर्भर भारत और एकता की संकल्पना को आगे बढ़ाते हुए तथा इस महोत्सव के जश्न को एक नए ढंग से मनाते हुए हमारे बैंक ने बैंकों, बीमा कंपनियों एवं वित्तीय संस्थाओं में हिंदी में मौलिक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए पंचम यूको बैंक अखिल भारतीय अंतरबैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिता 2022-23 का आयोजन दो समीचीन उप विषयों; 'महिला सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूह की भूमिका' तथा 'ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के समग्र विकास में एमएसएमई उद्यमों का योगदान' पर किया।

इस निबंध प्रतियोगिता में देशभर से हिंदी एवं हिंदीतर भाषी वर्गों के कार्मिकों से लगभग 200 निबंध प्राप्त हुए। इतनी संख्या में प्राप्त निबंधों ने हमें बहुत उत्साहित किया। निबंध के विषय भी समयानुकूल चुने गए थे। पहले उप विषय के तहत हमने महिला सशक्तिकरण को केंद्रित किया। हम जानते हैं कि महिला सशक्तिकरण को मजबूती प्रदान करने एवं समाज में उनकी स्थिति को सुदृढ़ बनाने में स्वयं सहायता समूहों की शानदार भूमिका रही है और इस प्रगतिशील दौर में विभिन्न आयायों के माध्यम से पुरजोर ढंग से महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया जा रहा है। हमारा दूसरा उप विषय एमएसएमई द्वारा सामाजिक विकास से संबंधित था। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र पिछले 5 दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था के बेहद जीवंत और गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरे हैं। एमएसएमई न केवल बड़े उद्योगों की तुलना में कम पूंजीगत लागत पर बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अपितु ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण में भी मदद करते हैं। जिसके परिणामस्वरूप देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में बहुत अधिक योगदान होता है।

हालांकि, पुरस्कृत निबंधों में 'महिला सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूह की भूमिका' विषय की तुलना में 'ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के समग्र विकास में एमएसएमई उद्यमों का योगदान' विषय से कम निबंध चयनित हैं। परंतु सुखद यह है कि लोगों ने दोनों उप विषयों पर बड़े मनोभाव से निबंध लिखे हैं। हम सभी के प्रति आभारी हैं।

किन्हीं कारणों से इस निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार थोड़े विलंब से समर्पित किया जा रहा है। वैसे परिणाम की घोषणा समय से हो गई थी। इसका परिणाम दो भाषी वर्गों; हिंदी एवं हिंदीतर में अलग-अलग घोषित किया गया। दोनों वर्गों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय के अलावा दो प्रोत्साहन पुरस्कार सहित कुल 10 पुरस्कार घोषित किए गए। इस संगोष्ठी में विभिन्न बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से पुरस्कृत विजेताओं द्वारा अपने विषयों के सार को समाहित करते हुए एक संक्षिप्त पीपीटी प्रस्तुति दी जा रही है। साथ ही पुरस्कृत विजेताओं को संगोष्ठी के अतिथियों के कर-कमलों से पुरस्कार राशि से संबंधित चेक एवं स्मृति-चिह्न समर्पित किया जा रहा है।

—

संदेश

मुझे जानकर प्रसन्नता हुई है कि यूको अखिल भारतीय अंतरबैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिता, 2022-23 के पुरस्कार समर्पण समारोह तथा सेमिनार का आयोजन हमारे सेंट्रल स्टाफ कालेज, कोलकाता में किया जा रहा है तथा इस अवसर पर एक स्मारिका भी प्रकाशित की जा रही है।

आधुनिक बैंकिंग तकनीकी अनुप्रयोग तथा संकल्पनागत नवाचार के सोपान-दर-सोपान चढ़ती चली जा रही है। इस परिदृश्य में चिंतन-मनन का महत्व बहुत बढ़ गया है। सेमिनारों के आयोजन से हमें संवाद का अवसर मिलता है तथा हम एक-दूसरे के अनुभव से लाभ उठाते हैं। मुझे विश्वास है कि इस अखिल भारतीय अंतरबैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिता के पुरस्कार समर्पण समारोह के अवसर पर आयोजित होने वाले सेमिनार में हुए विचार-विनिमय से हमारी समझ समृद्ध होगी तथा इस स्मारिका में संकलित आलेख हमारा ज्ञानवर्धन करेंगे।

कार्यक्रम की सफलता की शुभकामनाओं के साथ,

अश्वनी कुमार
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
यूको बैंक, कोलकाता

संदेश

बैंक कर्मियों के बीच राजभाषा हिंदी में तकनीकी साहित्य के निर्माण की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों में निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन एक उद्देश्यपूर्ण पहल है। यूको बैंक की ओर से अखिल भारतीय अंतरबैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिता का आयोजन तथा उसके उपरांत पुरस्कार वितरण समारोह तथा सेमिनार का आयोजन किया जाना इस दिशा में हमारी प्रतिबद्धता का निदर्शक है।

मुझे यह जानकर हर्ष हुआ है कि इस अवसर पर एक स्मारिका प्रकाशित की जा रही है और उक्त निबंध प्रतियोगिता के लिए प्राप्त निबंधों में से कुछ चयनित निबंध इसमें शामिल किए जा रहे हैं। निबंध लेखन हमारे विचारों को क्रमबद्ध रूप से विकसित करने में सहायक होते हैं तथा उनसे पाठकों को विषय की अवधारणा बनाने में सहायता मिलती है। मुझे यह जानकार संतोष हुआ है कि हमारे बैंक द्वारा आयोजित की गई इस प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में प्रविष्टियाँ प्राप्त हुईं। पुरस्कार विजेताओं के लिए सेमिनार का आयोजन एक सराहनीय कार्य है। मुझे विश्वास है इस सेमिनार से हमें विषय के संबंध में अपनी जानकारी बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

मैं प्रतियोगिता के विजेताओं का अभिनंदन करता हूँ तथा कार्यक्रम की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएँ देता हूँ।

राजेन्द्र कुमार साबू
कार्यपालक निदेशक
यूको बैंक, कोलकाता

संपादकीय

प्रेरणा तथा प्रोत्साहन भारत सरकार की राजभाषा नीति का आधार है और हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाना हमारा दायित्व।

उक्त परिप्रेक्ष्य में अनेक प्रोत्साहनपरक गतिविधियां आयोजित की जातीं हैं। अंतरबैंक हिंदी निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन भी ऐसी ही एक गतिविधि है। इसके माध्यम से हम विभिन्न तकनीकी विषयों पर बैंक कर्मियों को संघ की राजभाषा हिंदी में चिंतन-मनन का अवसर देते हैं तथा हिंदी में बैंकिंग साहित्य के निर्माण का अवसर उपलब्ध कराते हैं।

यूको बैंक विगत पाँच वर्षों से अखिल भारतीय अंतरबैंक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करता आ रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पंचम यूको बैंक अखिल भारतीय अंतरबैंक निबंध प्रतियोगिता के लिए हमने दो विषय निर्धारित किए थे। ये विषय थे 1. महिला सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूह की भूमिका तथा 2. ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों के समग्र विकास में एमएसएमई का योगदान। निबंध लेखन के लिए दो वर्ग क्रमशः हिंदी तथा हिंदीतर भाषा-भाषी वर्ग बनाए गए थे। इन विषयों पर हमें 200 से अधिक प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई। बैंक ने इन प्रविष्टियों की जाँच कराई तथा दोनों वर्गों में तीन-तीन पुरस्कार तथा दो-दो सांत्वना पुरस्कार घोषित किया।

प्रबंधन ने विचार किया कि प्रतियोगिता के पुरस्कार समर्पण समारोह के अवसर पर एक स्मारिका प्रकाशित की जाए तथा उसमें इस प्रतियोगिता के लिए प्राप्त प्रविष्टियों से कुछ चयनित प्रविष्टियाँ प्रकाशित की जाएं।

यह स्मारिका आपके हाथों में है। हमें विश्वास है कि हमारा यह विनम्र प्रयास राजभाषा हिंदी में बैंकिंग साहित्य-रचना को और अधिक प्रोत्साहित करेगा।

मनीष कुमार

महाप्रबंधक

मानव संसाधन, कार्मिक, प्रशिक्षण एवं राजभाषा

महिला सशक्तिकरण में स्वयं-सहायता-समूह की भूमिका

मीरा तानाजी कोठावले
सहायक प्रबंधक
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आस्ति वसूली शाखा
346, स्टैंडर्ड बिल्डिंग, तीसरा तल
डॉ. डी.एन. रोड, फोर्ट, मुंबई - 400023

प्रस्तावना

आजादी यह एक ऐसा शब्द है जो प्रत्येक भारतवासी की रगों में खून बनकर दौड़ता है। इसका एकमात्र उदाहरण है आजादी का अमृत महोत्सव। इन 75 वर्षों का इतिहास गवाह है कि यह सफर चुनौतीपूर्ण रहा। इन 75 वर्षों के इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो अनगिनत उपलब्धियाँ भी सामने उभरती हैं। भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्षों बाद हम पूर्ण स्वतंत्र हैं तथा पूरे विश्व में भारत की एक पहचान है। यह अपने आप में एक विशेष उपलब्धि है। लेकिन जब हम उपलब्धियों का विहंगावलोकन करते हैं तो सबसे बड़ी उपलब्धि दिखाई देती है वह है – महिला सशक्तिकरण।

स्वतंत्रता के बाद भारत में मतदाता संख्या 17 करोड़ 30 लाख थी। इसमें करीब आठ करोड़ यानी आधी आबादी महिलाओं की थी। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि महिलाओं को मतदान का अधिकार मिले। अमेरिका को महिलाओं को मतदान का अधिकार देने में 144 साल और ब्रिटेन को एक सदी का समय लगा। लेकिन भारत आजादी के तुरंत बाद सभी वयस्कों को मतदान का अधिकार देकर शुरुआत से ही एक परिपक्व लोकतांत्रिक देश बनने का परिचय दिया।

समाज में हाशिये पर खड़ी देश की इस बड़ी आबादी को मुख्य

धारा से जोड़ने और उन्हें आर्थिक मजबूती प्रदान करने के लिए गंभीरता से आगे बढ़ाने की हर संभव कोशिश की गयी। फिर भी, ये सारे उपाय तभी सफल और सार्थक सिद्ध होंगे जब इनका लक्ष्य समूह वित्तीय और विधिक रूप से सार्थक होने हेतु साक्षर हो, शिक्षित हो, अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो, अपने हितों को समझने वाला तथा सरकारी योजनाओं और सहायता का पूरा-पूरा फायदा उठानेवाला हो। स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं के लिए एक महत्त्वपूर्ण और सार्थक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया। महिला सशक्तिकरण के एक प्रभावी उपकरण के रूप में अपनी भूमिका निभाने वाले स्वयं सहायता समूह पर चर्चा करते हैं विस्तार से –

स्वयं सहायता समूह क्या है ?

स्वयं सहायता समूह स्वैच्छिक संगठन होते हैं जो अपने सदस्यों को सूक्ष्म वित्तीय ऋण प्रदान करके तथा विभिन्न सुविधाएँ और कारोबार, रोजगार, बचत, विपणन, निवेश संबंधी जानकारी देकर उनको उद्यम संबंधी गतिविधियों में शामिल करते हैं। इसके साथ ही ये समूह अपने सदस्यों को सामाजिक-राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सेदारी लेने में भी सहायता करते हैं।

भारत में लगभग 85 प्रतिशत स्वयं सहायता समूह महिलाओं द्वारा स्थापित किए गए हैं। इनके माध्यम से जहाँ नियमित बचत द्वारा प्रत्येक सदस्य के आर्थिक स्तर में सुधार तथा स्वावलंबन में वृद्धि हुई है, वहीं इन समूहों ने महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के निराकरण में भी अपने मार्गदर्शन से सहयोग प्रदान किया है। समूहों के माध्यम से सहयोग की भावना, आपसी विश्वास, क्षमता और आत्म-निर्भरता का विकास हुआ है। इन समूहों के माध्यम से महिलाओं को छोटे-मोटे रोजगार के संबंध में जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त होता है। इस प्रकार इन समूहों के माध्यम से आसानी से बैंक से ऋण प्राप्त होने के कारण महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए मदद तो मिलती ही है, इसके साथ ही उनके सामाजिक-आर्थिक विकास संबंधी अन्य गतिविधियों को सही दिशा प्रदान करने में भी सहायता मिलती है।

स्वयं सहायता समूहों के प्रयासों के माध्यम से बहुसंख्यक ग्रामीण महिलाओं में अपने रोजगार, व्यवसाय, निवेश के चयन, अपने धन-प्रबंधन, संसाधन प्रबंधन की शिक्षा देकर उनमें सही वित्तीय निर्णय लेने का आत्मविश्वासा पैदा करने की कोशिश भी की गयी। इनके प्रयासों का फल है कि आज गांवों से लेकर शहरों तक प्रत्येक स्थान और वर्ग की महिलाएँ छोटे-छोटे समूहों के गठन से अपनी व अपने समाज की किस्मत बदल रही हैं। इस तरह स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को मजबूत आर्थिक आधार मिल रहा है।

ऐतिहासिक पार्श्वभूमि –

स्वयं सहायता समूहों की मूल अवधारणा तथा उनके प्रसार के बारे में कुछ निश्चित रूप से कह पाना कठिन है लेकिन भारत में ग्रामीण और शहरी जनता का छोटे-छोटे समूहों में एक साथ जुटकर बचत और ऋण संगठनों के गठन की लंबी परंपरा रही है। शुरुआती दौर में स्वयं सहायता समूह मॉडल को सामने लाने में गैर सरकारी संगठनों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही थी।

1980 के दशक में नीति निर्माताओं ने इस ओर ध्यान और विकास कार्य से जुड़े संगठनों और बैंकरों के साथ काम करते हुए इन बचत और ऋण समूहों को प्रोन्नत करने की संभावना पर चर्चा का दौर शुरू किया। उनके प्रयासों तथा स्वयं सहायता समूहों की सरल संरचना एवं कार्यप्रणाली ने देशभर में इस आंदोलन को फैलाने में मदद की। राज्य

सरकारों ने ऋण निधियों की स्थापना की, जिनका उपयोग स्वयं सहायता समूहों को निधि उपलब्ध कराने के लिए होता था।

1990 के दशक में स्वयं सहायता समूहों को निधि उपलब्ध कराने के लिए हो रहे उपयोग में परिवर्तन आ गया। उन्हें राज्य सरकारों तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं से ज्यादा एक ऐसे सामान्य हितों वाले समूह के रूप में देखा गया, जो वित्तीय गतिविधियों के अलावा अन्य सामाजिक तथा राजनीतिक चिंताओं पर भी काम कर रहे थे। इस प्रकार अब स्वयं सहायता समूहों के एजेंडा तथा उनकी कार्यप्रणाली में आर्थिक स्वावलंबन के लिए किए जाने वाले प्रयासों तथा अन्य वित्तीय गतिविधियों के साथ ही सामाजिक तथा राजनीतिक मुद्दे भी शामिल होते गए। स्वयं सहायता समूह के इस बदले हुए रूप ने महिलाओं के सशक्तिकरण को एक नया आयाम प्रदान किया। इन समूहों ने महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करके, बचत, निवेश की जानकारी देकर तथा उनमें रोजगार कौशल विकसित करने का प्रयास करके एक ओर उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाया, वहीं उनके सामाजिक राजनीतिक चेतना जागृत करके एक नये आत्मविश्वास का संचार भी किया।

स्वयं सहायता समूह के जरिए महिला सशक्तिकरण – समय की माँग –

सतत विकास के तीन स्तंभ हैं– आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय – जिससे नागरिकों का हित एवं गरिमा स्थापित होती है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की विकास दर विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में वहां के निवासियों की भागीदारी पर निर्भर करती है। कुशल अर्थशास्त्र की बुनियाद ही लैंगिक समानता और समाजार्थिक उत्थान की दिशा में इसका असर बहुत प्रभावी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी ने कहा था कि "देश के विकास का आधार है कृषि और कृषि के विकास का आधार है महिलाएँ।" कहते हैं कि सभ्यता के आरंभ में सर्वप्रथम महिलाओं ने ही कृषि कार्य तथा पशुपालन प्रारंभ किया। खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता, हरित क्रांति की सफलता, कृषि क्षेत्र की उपलब्धियाँ, जिन पर हमें गर्व है, उसमें शामिल है– अनेक कृषक महिलाओं की अथक मेहनत और खामोश संघर्ष।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन –एनएसएसओ के आंकड़ों के अनुसार देश के 23 राज्यों में कृषि वानिकी एवं मत्स्य पालन में महिलाएं आधे से भी अधिक कार्य करती हैं। छत्तीसगढ़, बिहार और मध्यप्रदेश में यह आंकड़ा 70 प्रतिशत से ऊपर है। कुछ कृषि कार्य तो शत-प्रतिशत महिलाएं करती हैं, जैसे कपास चुनना, चाय पत्ती तोड़ना आदि। आंकड़े बताते हैं कि डेरी उद्योग में लगभग 1.5 करोड़ पुरुषों के मुकाबले 7.5 करोड़ महिलाएं जुटी हैं। आश्चर्यजनक तथ्य यह भी सामने आया है कि कई क्षेत्रों में महिलाएं एक पुरुष और दो पशुओं के कुल कार्य से भी अधिक कार्य करती हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य संगठन द्वारा हिमालय क्षेत्र में करवाए गए एक अध्ययन के अनुसार एक एकड़ में बैलों की जोड़ी साल में 1064 घण्टे, एक पुरुष 1212 घण्टे और एक महिला 3485 घण्टे काम करती हैं। कृषि क्षेत्र में निरंतर अथक मेहनत करती इन ग्रामीण महिलाओं को सबल सशक्त करने का रास्ता है उनकी मेहनत, समय और ऊर्जा का सदुपयोग। स्वयं सहायता समूहों के जरिए विभिन्न कृषि गतिविधियों हेतु उन्हें संगठित और सक्षम बनाना समय की माँग है।

महिला सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका–

महिला सशक्तीकरण के एक प्रभावी उपकरण के रूप में अपनी भूमिका निभाने वाले स्वयं सहायता समूहों के

माध्यम से महिला सशक्तिकरण के अभियान को एक बहु-आयामी स्वरूप मिला है, यह निम्न तथ्यों से विदित होता है-

– स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार हुआ है।

– ऋणों तक आसान पहुँच से महिलाओं को आय सृजित करनेवाली गतिविधियों से जोड़ने में सुगमता हुई है।

– स्वयं सहायता समूहों के रूप में एक सशक्त प्लेटफॉर्म मिलने से तथा इनकी सहायता से महिलाओं की आय, बचत और उपभोग-खर्च में वृद्धि हुई है।

– आय बढ़ने से बच्चों का पालन-पोषण बेहतर हुआ है और गर्भवती महिलाओं तथा परिवार के अन्य सदस्यों के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाना संभव हुआ है।

– विकास के अन्य पहलुओं की दृष्टि से स्कूल में नामांकन, उपस्थिति, शौचालय की सुविधा, बिजली और कुकिंग गैस उपलब्ध हो पाना संभव हुआ है।

– स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से शोषित-पिछड़ी महिलाओं में आत्म-सम्मान के भाव का उदय हुआ है जिससे उनकी कार्यक्षमता का भी विकास हुआ है।

– स्वयं सहायता समूहों के प्रयासों से महिलाएँ सामाजिक दृष्टि से निर्भीक और मुखर हुई है जिससे उनकी झिझक दूर हुई है तथा वे घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर समाज के बीच अपनी बात खुलकर रख पाने में बहुत हद तक सक्षम हुई हैं। उनके दुःख-सुख को बाँटनेवाले मित्रों, जान-पहचान वालों और सहयोगियों की संख्या बढ़ी है तथा वे अपने समाज में अधिक लोकप्रिय और सामाजिक दृष्टि से अधिक सक्रिय हुई है। एक तरह से इनके सामाजिक दायरे के बढ़ने से सामाजिक क्षितिज का विस्तार हुआ है।

– स्वयं सहायता समूहों के प्रयासों का ही फल है कि आज गरीब ग्रामीण महिलाओं का एक बड़ा भाग सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत सशक्त हुआ है तथा महिलाएँ स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं में, स्थानीय निकायों के चुनावों और अन्य सामाजिक-राजनीतिक गतिविधियों में खुलकर शामिल होने लगी हैं।

– स्वयं सहायता समूहों के प्रयासों से महिलाएँ आज एक सीमा तक किसी भी तरह के कार्यालयीन कार्य को निर्भीकतापूर्वक कर पाने में सक्षम हुई हैं।

– स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से शोषित अशिक्षित तथा अर्द्ध शिक्षित महिलाओं में आत्मसंतोष तथा इच्छाएँ पूरी होने के भावों का उदय होने से वे अपने परिवार और समाज की एक उत्पादक और महत्वपूर्ण इकाई बन गई है।

– महिलाओं को मिलने वाले आर्थिक अवसरों में सुधार तथा सामूहिक रूप से करवाई किए जाने की उनकी क्षमता के विकास के साथ ही समाज में विद्यमान लिंग आधारित कुरीतियों जैसे घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, बहुविवाह आदि में भी कमी आई है।

– समूह में विभिन्न धर्मों, जातियों और समुदायों की महिलाएँ अपने आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और जीवन-स्तर को सुधारने के एक समान लक्ष्य से एकत्र होने की वजह से विभिन्न धर्मों, जातियों और समुदायों के बीच एक बेहतर समझ का निर्माण हुआ है।

– कल तक जहाँ स्थानीय स्तर पर ग्रामीण पारिवारिक या अन्य विवाद के मामले सुलझाने या मध्यस्थता करने अथवा पंचायाती करने पर पुरुषों का ही वर्चस्व था, वहीं अब स्वयं सहायता समूह के सदस्य के रूप में महिलाओं को स्थानीय विवाद के मसले सुलझाने या मध्यस्थता करने अथवा पंचायती करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

– स्वयं सहायता समूहों के सदस्य होने के नाते महिलाओं को

विभिन्न सामुदायिक सेवाओं जैसे वयस्क एवं नारी शिक्षा के प्रसार, परिवार नियोजन, बाल श्रम के विरुद्ध और बाल तथा महिला स्वास्थ्य के प्रति चेतना के प्रसार के अवसर भी मिलते हैं।

– स्वयं सहायता समूह महिलाओं की कानूनी लड़ाई में भी मदद देते हैं।

महिला सशक्तिकरण के दौरान स्वयं सहायता समूहों के समक्ष चुनौतियां–

स्वयं सहायता समूह की संकल्पना एक बहुत ही नाजुक विकास प्रणाली है। इस प्रणाली में स्वयं सहायता समूह के सफल संचालन तथा कार्यान्वयन में निम्न चुनौतियां कुप्रभाव डाल सकती है–

– शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, संचार, मकान, यातायात, पेयजल एवं बिजली किसी भी विकसित समाज की मूल आवश्यकताएं होती हैं। इन मूल आवश्यकताओं का ग्रामीण क्षेत्रों में अभाव स्वयं सहायता समूह की सफलता के बीच बहुत बड़ी बाधा है।

– स्वयं सहायता समूह के सदस्य बैंक-ऋण या स्वयं की निधि को परंपरागत गतिविधियों या व्यक्तिगत आवश्यकताओं में प्रयोग करते हैं जिसके कारण उन्हें पर्याप्त लाभ नहीं होता।

– स्वयं सहायता समूह के समक्ष उत्पाद एवं विपणन के संबंध में गंभीर समस्याएं होने के कारण हतोत्साहित होकर अनेक बार बहुत से स्वयं सहायता समूह बिखर जाते हैं।

– स्वयं सहायता समूह के सदस्य अनपढ़ व सीधे-सादे होते हैं। अतः उनके पास आधुनिक गतिविधियां अपनाने का विवेक नहीं होता। उन्हें गैर परंपरागत गतिविधियां अपनाने हेतु विभिन्न प्रबंधन प्रशिक्षण की अत्यंत आवश्यकता होती है ताकि उनके व्यक्तित्व विवेक में कुशलता आए और वे क्रियाकलापों का सक्षमता से संचालन कर सकें।

– अधिकांश स्वयं सहायता समूह महिलाओं के होने से हमारे पुरुष प्रधान समाज में स्वयं सहायता समूह के गठन के प्रारंभिक चरणों में ही सामाजिक एवं पारिवारिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

इस प्रकार, एक ऐसे देश में, जहाँ महिलाएँ पीढ़ियों से भेदभाव का शिकार होती रही हैं, लाखों अनपढ़, गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनानेवाला, उन्हें जीविकोपार्जन साधन और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने वाला, उनके सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक विकास में अहम भूमिका निभानेवाला यह आंदोलन मौन क्रांति की तरह है।

स्वयं सहायता समूहों के चुनौतियों के समाधान–

केन्द्रीय सरकार का भी दायित्व है कि वह स्वयं सहायता समूह के निर्माण एवं प्रोत्साहन हेतु विभिन्न राज्यों, जिलाधिशों, तहसीलदारों और खंड विकास अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त योजनाएँ तैयार करके कार्यान्वित करने का निर्देश दे।

महिला सशक्तिकरण हासिल करने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेन्द्र मोदीजी के नेतृत्व में स्वास्थ्य अधिकारों, शैक्षिक अधिकारों, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा और महिलाओं की सुरक्षा की रक्षा के लिए व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ किए जो निम्न है–

स्वास्थ्य सशक्तिकरण–

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मातृत्व देखभाल अधिनियम, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, राष्ट्रीय पोषण मिशन, मिशन इंद्रधनुष आदि।

सामाजिक सुरक्षा सशक्तिकरण–

स्वच्छ विद्यालय पहल, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, पासपोर्ट नियम और कामकाजी महिला हेतु छात्रावास सामाजिक सुरक्षा।

वित्तीय सुरक्षा सशक्तिकरण

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड-अप इंडिया, सुकन्या समृद्धि योजना, महिला ई-हाट।

बालिका सशक्तिकरण–

बेटी बचाओ - बेटी पढ़ाओ योजना और प्रगति योजना।

महिलाओं के लिए सुरक्षा–

निर्भया फंड, उज्ज्वला योजना, स्वाधार गृह, महिला पुलिस स्वयं सेवक, महिला शक्ति केंद्र योजना, भारतीय महिला महोत्सव।

हमारे देश की सरकार आजादी के अमृत महोत्सव के साथ भारतीय महिला महोत्सव भी मना रही है। विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से हमारे देश की सरकार हर क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति को सुधारने और महिलाओं की अधिकतम भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं सहायता समूहों के चुनौतियों का समाधान निहित है।

उपसंहार–

जैसा कि महात्मा गांधीजी ने कहा था "स्त्री को अबला कहना पुरुष का स्त्री के प्रति अन्याय है..... यदि शक्ति का अर्थ नैतिक शक्ति से लगाया जाए तो स्त्री पुरुष से कहीं अधिक श्रेष्ठ है.... यदि अहिंसा हमारे अस्तित्व का कानून है, तो भविष्य स्त्रियों के हाथों में है।" आज की महिला ने महात्मा जी के इस वचन को सत्य साबित कर दिखाया है।

यदि हम इतिहास के पृष्ठों को पलटें तो हमें मध्य उन्नीसवीं शताब्दी की अशिक्षित, उपेक्षित तथा शोषित भारतीय नारी की स्थिति तथा इक्कीसवीं सदी की शिक्षित, स्पष्ट वक्ता तथा व्यवसाय एवं आम जिंदगी में सक्षम नारी की स्थिति में आश्चर्यजनक विरोधाभास दिखाई देता है। पहले महिला घर चलाती थी, अब कार, रेल, हवाई जहाज चलाती हैं। ऐसा कोई जीवन क्षेत्र नहीं है जहाँ महिला ने अपनी क्षमता को व्यक्त और स्थापित ना किया हो।

महिलाओं के सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूहों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है। महिला साक्षरता, सुदृढ़ आत्मविश्वास का विकास, महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कार्यों तथा विभिन्न विकास कार्यक्रमों में सहभागिता और आर्थिक स्वतंत्रता में वृद्धि इस तथ्य के महत्त्वपूर्ण साक्ष्य हैं। इन समूहों की वजह से निर्धन, अनपढ़, गरीब, वंचित वर्ग की महिलाएँ अपने सामाजिक राजनीतिक-आर्थिक अधिकारों तथा अपनी पात्रता के लिए लड़ने में सक्षम हो पाई है और उन्हें उभरती हुई शक्ति के रूप में समाज को स्वीकार करना पड़ा है।

भारत की सशक्त और गतिमान अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य हासिल करके भारतवर्ष को पहले की भांति सोने की चिड़िया बनाना है तो महिला सशक्तिकरण अनिवार्य है। महिला सशक्तिकरण, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी स्तर पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया है।

विकास उपलब्धियाँ जिन पर है गर्व अभिमान
मेरी भी आभा है इसमें मेरा भी है योगदान
न समझो कमजोर मुझे, दो पोषण, अवसर, शिक्षा समान
फिर देखो पंखों की ताकत, फिर देखो तुम मेरी उड़ान।

महिलाओं के पंखों को ताकत देकर उनको उड़ान भरने में स्वयं सहायता समूह की भूमिका सराहनीय है।

—

महिला सशक्तिकरण में स्वयं-सहायता-समूह की भूमिका

सुरिंदर कौर अहलुवालिया
सहायक प्रबंधक (से. नि.)
राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय
नाबार्ड टॉवर, उस्मानपुरा गार्डन के सामने
अहमदाबाद- 3800015

भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। उस दिन बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाकर आजादी की पहली सुबह का शानदार स्वागत किया तो इसके 75 वर्ष बाद 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता प्राप्ति की हीरक जयंती यानि आजादी की 75वीं वर्षगांठ हीरक जयंती (हीरक यानि हीरा) मनाने के लिए, 75 हफ्तों पहले 'आजादी के अमृत महोत्सव का आगाज किया जिसका अर्थ है 'स्वाभिमान और स्वतन्त्रता के बाद, देश को स्वावलंबन के रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ाना एवं सभी भारतवासियों को संघर्ष करना। यह भारत देश का महोत्सव है।

हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कथनानुसार 'आजादी के अमृत महोत्सव' अर्थात् आजादी की ऊर्जा का अमृत यानी स्वतंत्रता सेनानियों की स्वाधीनता, नए विचारों, नए संकल्पों और आत्मनिर्भरता का अमृत है।

आजादी की लड़ाई किसी धर्म या जाति द्वारा नहीं लड़ी गई बल्कि देश ने एक साथ संघर्ष करके आजादी प्राप्त की। आजादी ऐसी शांति है जो कोई भी किसी से छीनने का अधिकार नहीं रखता है। सभी देशवासियों की स्वतंत्रता प्राप्ति की इच्छा उनके आत्मविश्वास से जुनून में बदल गई जो दुनिया से छुप ना सकी। हमारे देश भारत को बहुत संघर्ष और बलिदान के बाद आजादी प्राप्त हुई लेकिन

मुश्किलें भी कम नहीं हुई। स्वतन्त्र होते ही देश दो भागों में बँट गया। दूसरा देश पाकिस्तान धार्मिक आधार पर बना। बँटवारे के समय बहुत सारे लोग देश छोड़कर जाना नहीं चाहते थे लेकिन मजबूरीवश उनको जन्मभूमि छोड़कर जाना पड़ा जो बँटवारे के वक्त दोनों जगह हुआ। भारत बँटवारे की वजह से बहुत मुश्किल दौर से गुजरा जिसका मुख्य कारण था ब्रिटिश सरकार जाते-जाते भारत को बुरी तरह से तोड़ना चाहती थी।

आज 'भारत' को आजाद हुए सात दशक हो चुके हैं जिसका अर्थ 'आजाद भारत में तीन पीढ़ियों जैसे पहली पीढ़ी का आजादी हेतु स्वयं को कुर्बान करना, दूसरी का दादा, नाना या पिता से इसकी कहानी सुनना था लेकिन तीसरी पीढ़ी को आजादी का ज्ञान, जैसे 'भारत कैसे, कब आजाद हुआ?', किताबों से हासिल हुई।

युवा पीढ़ी के मन में देशप्रेम की जागृति, देश के प्रति जिम्मेदारी इत्यादि के लिए 'आजादी का अमृत महोत्सव' मनाना अतिआवश्यक है। आजादी की कहानी विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्व में सांस्कृतिक कार्यक्रम, देशभक्ति के गीत, नाटक आदि द्वारा लोगों तक पहुंचाई गई और पहुंचा भी रहे हैं। आजादी के ऊपर भाषण / व्याख्यान तैयार करके स्कूल के बच्चों को आजादी के संघर्ष की कहानी सरल तरीके से बतलाना, भारतीय लंबे समय तक अंग्रेजी के गुलाम रहे, उनके आदेश/निर्देशों पर काम करते रहे इत्यादि और लोगों ने कुर्बानियाँ देकर अंततः आजादी प्राप्त की। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जनसमूह तक इस तथ्य को पहुँचाना आवश्यक है।

आजादी प्राप्त करने हेतु भारत में बहुत आंदोलन चलाए गए जिसमें कुछ सफल, कुछ असफल रहें जिसमें बहुत सारे भारतवासी शहीद हुए। 100 वर्ष से अधिक संघर्ष के बाद हम भारतीयों ने स्वतंत्रता प्राप्त की और आजाद भारत की नींव रखी। 'आजादी का अमृत महोत्सव किसी विशेष धर्म, जाति या राज्य का नहीं बल्कि सम्पूर्ण भारत का है जिसे पूरी तैयारी के साथ सभी सरकारी-संस्थान धूमधाम से मना रहे हैं। सरकारी भवनों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ-साथ आजादी का अमृत-महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

भारत में ज्यादातर युवा अपनी योग्यतानुसार देश के विकास में सहयोग दे रहे हैं। भारतीयों के देशप्रेम और अथक प्रयासों से भारत ने विश्व की अर्थव्यवस्था में अपनी मजबूत जगह बनाई।

हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मार्च 2021 को आजादी के अमृत महोत्सव का उद्घाटन गुजरात के साबरमती आश्रम, अहमदाबाद से 'दांडी मार्च' (जो नमक पर लगे हुए टैक्स के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन 'दांडी मार्च' गांधी जी की दांडी यात्रा को भी याद दिलाता है) को हरी झंडी दिखाकर एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। भारत सरकार ने इसे 15 अगस्त 2023 तक मनाने का निर्णय लिया है ताकि 'आजादी के अमृत महोत्सव को' प्रत्येक विभाग से संबन्धित कार्यक्रमों की योजनाओं द्वारा जन आंदोलन का स्वरूप दिया जा सके।

भारत ऐसा देश है जो परमाणु हथियार के साथ-साथ परमाणु पनडुब्बी आईएनएस' में अपने परमाणु हथियार सुरक्षित रखता है। भारत, चाँद और मंगल पर मानवरहित मिशन भेजने वाले पाँच देशों की सूची में शामिल है जो भारतीयों के लिए गर्व का विषय है। भारत ने उत्पादन में भी कई देशों को पछाड़कर अपनी जगह बनाई। सरकारी योजनाओं एवं सबका साथ सबका विकास के नारों के द्वारा सेवाएँ पहुँचाई जा रही है। हमें भारतीय होने पर गर्व है।

भारतवासियों के मन में "आजादी का अमृत महोत्सव" उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। संसार में सभी प्राणी स्वतन्त्रता चाहते हैं। जैसे पिंजरे में पक्षी स्वतन्त्रता के लिए पंख फड़फड़ाता है, उसे ना तो सोने के पिंजरे और ना ही सोने की कटोरी में भोजन का स्वाद आता है, वो इन्द्र होकर उड़ने

के लिए संघर्ष करता है, फिर मनुष्य तो स्वतन्त्रता के लिए प्राणों की बाजी लगाने वाला प्राणी है। हमारे महाकवि तुलसीदासजी ने कहा है, 'पराधीन सपनेहूं सुख नाही अर्थात् पराधीन व्यक्ति सपने में भी सुख अनुभव नहीं करता है। पराधीनता एवं परावलंबीपन ऐसा अभिशाप जिसके लिए लोग भगवान को हो दोष देते हैं अगर सोचा जाए तो भगवान उनका साथ देता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। हमारे महान स्वतन्त्रता सेनानी (स्व. श्री बालगंगाधर तिलक जी) के कथनानुसार 'स्वतन्त्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वतन्त्रता संग्रामों और सत्याग्रहों में भारतीयों ने भाग लिया। अंततः स्वतन्त्रता के लिए अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ।

स्वतन्त्रता को हम निम्न बिन्दुओं से समझ सकते हैं :-

1) प्रकृति द्वारा स्वतन्त्रता का संदेश देना,
2) भारत को पराधीनता और उसके शोषण से मुक्त कराना
3) स्वतन्त्रता का अर्थ आजाद होना पर उदण्डता नहीं,
4) हर मन का उत्सव आजादी का अमृत महोत्सव एवं
5) राष्ट्रोन्नति में स्वाधीनता।

'आत्मनिर्भर-भारत शक्तिशाली भारत स्वावलंबी भारत' का सपना अर्थात् कर्तव्यपरायणता राष्ट्र को समर्पित करनी है जो भारत को शक्तिशाली राष्ट्र बनाकर भविष्य में आसुरी शक्तियों की बुरी नजर से भी बचाती है और पूर्वजों द्वारा दी गई आजादी को सुरक्षित रखने के साथ-साथ उन्नति की ओर निम्नलिखित रूपों में भी अग्रसर करती है :

(क) अवसर की आजादी,
(ख) नए भारत की नारी और उसकी आजादी,
(ग) आगे बढ़ने की आजादी,
(घ) कुपोषण से आजादी,
(ड) गर्वित जीवन जीने की आजादी,
(च) स्वच्छता की आजादी एवं
(छ) सामाजिक बंधनों से आजादी,

भारत सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है जो ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। महिला सशक्तिकरण हेतु 'आजादी का अमृत महोत्सव' अपना सर्वोच्च स्थान रखता है। एक मंच पर समान उद्देश्य के लिए खड़ी महिलाओं के समूह को 'स्वयं-सहायता समूह कहा जाता है। स्वयं-सहायता समूह ऐसा दर्पण है जिसमे ग्रामीण-नारी स्वयं को सक्षमता एवं आत्मनिर्भरता से भरा हुआ देखती। है। 'स्वयं-सहायता समूह सुव्यवस्थित तरीके से ग्रामीण महिलाओं सहित भारत में आर्थिक-सामाजिक बदलाव हेतु प्रयासरत है। महात्मा गांधी ने कहा था– एक पुरुष को शिक्षित कर केवल एक व्यक्ति को शिक्षित किया जा सकता है लेकिन एक महिला को शिक्षित करके राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है।' इसी को आधार बनाकर देश में स्वयं सहायता समूहों की शुरुआत की गई ताकि महिलाओं की सामूहिक शक्ति उनके पारिवारिक समुदायों सहित देश की सामाजिक-आर्थिक दशाओं को बदल सके।

सामान्यतः दस-बारह महिलाओं के समूहों में बदलाव लाने की असीम क्षमता उनके आर्थिक–सशक्तिकरण, सामाजिक परिवर्तन और देश के सामाजिक-आर्थिक विकास को दर्शाती है। भारत की दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (आजीविका) द्वारा स्वयं-सहायता समूहों को अपने-अपने ढंग से काम करने और राष्ट्रों में विशिष्ट पहचान बनाने में एकरूपता मिल रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार स्वयं सहायता समूहों और 'उनके उच्चस्तरीय संघों को गठित कर (ग्रामीण महिलाओं का ग्राम स्तर से लेकर जिला स्तर तक संगठन), इस अतिमहत्वपूर्ण योजना 'आजीविका को सामाजिक-आर्थिक

विकास का माध्यम बना रही है। आजीविका मिशन और इसके विभिन्न राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अलग-अलग नामों से जाने जाते है जिसके परिणामस्वरूप भारत में लाखों स्वयं सहायता समूह गठित हुए है जिनमें करोड़ से अधिक महिला सदस्य है। आजीविका मिशन के आंकडानुसार 700 से अधिक जिलों में इनका गठन हुआ है। शुरुआत में महिलाएं बचत की भावना से जुड़ती थी लेकिन अब ग्रामीण महिलाओं की समस्याओं एवं उनके विकास के संबंध में भी चर्चा होने लगी है। महिला स्वयं-सहायता समूह के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान उनके स्वाभिमान, गौरव व आत्मनिर्भरता में वृद्धि होने के साथ उनकी क्षमताओं का भी है। आज 'भारत', दुनिया भर में महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं-सहायता समूहों में सर्वोच्च है महिला समूहों की गतिशीलता, व्यवहार्यता व साध्यता, हमारे देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक, राजनीतिक व आर्थिक परिस्थितियों में अनेक चुनौतियों के रूप में है। दुनिया में कोई देश महिलाओं को हाशिये पर रखकर आर्थिक विकास नहीं कर सकता है। सुदृढ़ भारत का सपना कुल आबादी की 50% ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण से ही पूरा हो सकता है।

ग्रामीण-स्वयं-सहायता समूह अपनी इच्छानुसार संगठित होकर नियमित रूप से लघु-संचय, सामूहिक निधि द्वारा सदस्यों की आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जमा करते हैं। सदस्य हफ्ते अथवा महीने की बैठक में समस्याओं पर चर्चा करके आपसी-समाधान करते हैं जिससे गरीब, बेरोजगार एवं निरक्षर महिलाए कुचक्र से निकलकर सशक्तिकरण द्वारा नए आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक आयामी पर कदम बढ़ाने का प्रयास करती है।

स्वयं सहायता समूह में कार्य करने से गरीब महिलाओं के आत्मविश्वास, स्वाभिमान, आत्म गौरव में वृद्धि हुई है। सभी महिलाएं घर से बाहर एक समूह द्वारा छोटी-छोटी बचत करके, ऋण लेकर बैंक कर्मचारियों से संपर्क कर, लघु उद्यम स्थापित कर, बैठकों की कार्य वृद्धि करके गौरव महसूस करती है अर्थात् महिलाओं को आपस में विकास के समान अवसर उपलब्ध होते हैं। जैसे मनचाही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, घर-परिवार एवं समाज हेतु स्वतंत्र निर्णय लेने का हक इत्यादि सशक्तिकरण है दूसरे पहलू से देखें तो 'महिला सशक्तिकरण का सीधा-सरल अर्थ है (1) महिलाओं को शक्तिशाली बनाना, (2) महिलाओं को अधिकार देना एवं (3) उन्हें स्वावलंबी बनाना।

'महिला सशक्तिकरण' का तात्पर्य आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुषों के समान सशक्त भागीदार के रूप में देखना है। 'महिला सशक्तिकरण' दुनिया में स्त्री एवं पुरुष के भेदभाव को कम करती हैं। पुरुष प्रधान समाज में महिला सशक्तिकरण उन्हें भेदभाव से मुक्त कराता है। 'स्वयं-सहायता समूह में सामूहिक-हित-चिंतन' व्यक्तिगत वित्त पोषण से अधिक प्रभावशाली और लगातार विकसित हो रहा है जिसका लक्ष्य निर्धनों की नेतृत्व क्षमता को विकसित कर उन्हें सामर्थ्यवान बनाना है। पिछले दो दशकों में स्व-सहायता समूहों का गठन बड़े स्तर पर होने से गरीब-ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने में अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य हुआ है।

'स्व-सहायता समूह' के सदस्य आर्थिक रूप से उन लोगों से अधिक उन्नत है जो 'स्व-सहायता समूह के सदस्य नहीं है, यह पुहाजेन्दी एवं बादल्या द्वारा वर्ष 2002 में किए गए अध्ययन से साबित हुआ है।

वर्ष 2002 एवं 2005 में स्व-सहायता समूहों का संयोजन बैंकों के साथ होने से सभी सदस्यों की आय, संपत्ति एवं रोजगार इत्यादि में वृद्धि एवं ऋण लेने की प्रवृत्ति, आय का उपभोग करने के बजाय आय को अर्जित करने के उद्देश्य में परिवर्तित हो रही है जो उन्हें साहूकारों के चंगुल से मुक्त

करवा रही है और मौलिक आवश्यकताओं जैसे पोषण शिक्षा व स्वास्थ्य की क्षमता भी बेहतर कर रही है।

वर्ष 2007 में आंध्रप्रदेश के साहूकारों का रुझान उधार देने के कार्यों को छोड़कर 'जमीन-जायदाद के कारोबार की तरफ प्रवृत्त हुआ जिससे नियमित रूप से अधिकाधिक ऋण प्राप्ति एवं भविष्य मैं उधार प्राप्ति का आश्वासन मिलने पर समूह के सदस्य अधिक संपति बनाने एवं आय-अर्जन हेतु निवेश करने लगे। महिलाओं के स्व-सहायता समूह की सदस्यता के एक बड़े प्रतिशत ने सकारात्मक रूप से उन्हें स्वयं की आंतरिक शक्ति खोजने, आत्मविश्वास अर्जित करने, सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण और क्षमता निर्माण करने योग्य बनाया।

वर्ष 2009 एवं 2010 में 'स्व-सहायता समूह' ने देश में सामाजिक, आर्थिक क्रांति लाने की शक्ति के साथ-साथ महिलाओं की बाहरी गतिविधियों उनकी आर्थिक, सामाजिक स्थिति एवं निर्णय-निर्माण की क्षमता में भी वृद्धि की।

वर्ष 2011 में महिला-स्वयं-सहायता समूह ऋण द्वारा कार्यरत होने के कारण, सार्वजनिक, सहकारी क्षेत्रीय ग्रामीण, निजी एवं विदेशी बैंकों से अपना व्यापार बढ़ाने हेतु जुड़े या समूहों को ऋण देने के लिए स्वयं सहायता समूह की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करने हेतु बैंक इत्यादि इनसे चहुमुखी विकास में महिला व पुरुष विकास-रूपी गाड़ी के दो पहिये हैं, यह आर्थिक स्तर पर महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। पिछले दशकों में कृषि उद्योग, यातायात, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में तेजी से विकास होने के कारण, महिलाएं स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता दिखाते हुए राष्ट्रीय विकास में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी बनी है। सरकार के ऐसे प्रयासों की सार्थकता जिसकी वजह से ग्रामीण महिलाएं बैंक, हॉस्पिटल, बाजार और विभिन्न व्यवसाय इत्यादि के बाहरी कार्य कुशलतापूर्वक करके घर के कार्यों के साथ-साथ सामुदायिक स्तर की विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में अपनी निपुणता भी सिद्ध कर रही है।

स्वयं-सहायता समूह के सुचारु संचालन हेतु प्रत्येक समूह अपने सदस्यों में से तीन प्रतिनिधि नियुक्त करता है : अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं सचिव जिनका चुनाव मुख्यत: शिक्षा एवं आत्मविश्वास से होता है ताकि समूह का सही हिसाब-किताब रखा जा सके। समूह चलाने का प्रशिक्षण, सुविधादाता देता है।

महीने की सामूहिक बैठक, सार्वजनिक स्थल या प्रत्येक सदस्य के घर बारी-बारी से होती है। बैठक में सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। सदस्य अनुपस्थिति की सूचना समूह मैं कार्यों के बेहतर नियोजन हेतु कराता है। आपात स्थिति में, समूह में बचत का पैसा, समूह के सदस्य द्वारा भेजा जाता है जो महिलाओं का नंबर हूड्-रिलेशन' यानि पड़ोसी के साथ मजबूत मधुर संबंध दर्शाता है। समूह की बैठक में महिलाएँ ऋण के लेन-दैन, बचत, भर्ती, ग्रामीण समस्या समाधान, पर्यावरणीय समस्या, स्वास्थ्य समस्या, बाल-शिक्षा, राजनैतिक- भागीदारी, ऋण उपयोग तथा बचत के तरीके आदि पर चर्चा करती है। समूह की महिला सदस्य एक-दूसरे को बचत करने की प्रवृत्ति मुख्य रूप से गुप्त-बचत और लघु-बधत करके एक बड़ी राशि समूह से आपात स्थिति में प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करती है।

महिलाओं के अधिक संख्या वाले समूह ज्यादा सफल व निरंतर कार्यशील है जिसके कारण समूह में महिलाओं की अधिक भागीदारी की सिफारिश की जाती है।

घर के बाहर एक समूह में छोटी-छोटी बचत करके, ऋण लेकर, बैंक कर्मचारियों से संपर्क करके, लघु उद्यम स्थापित करके महिलाओं में निम्नलिखित क्षमताओं का विकास होता है :

(1) महिलाओं के स्वनिर्णय लेने की शक्ति को धीरे-धीरे परिवार और समुदाय में एक आवाज मिलती है।

(2) इन समूहों के माध्यम से महिलाओं के पास अधिक सूचना एवं संसाधन होते हैं जिनकी उपलब्धता महिलाओं की सामूहिक गतिशीलता बढ़ाती है।

(3) स्वयं-सहायता समूहों में कार्यरत महिलाओं की सामुदायिक कार्यों में सहभागिता, पंचायत की बैठकों में उपस्थिति अधिक सक्रिय होने से सामूहिक निर्णयों के मामलों में अन्य महिलाओं की अपेक्षा अपनी बात समुदाय के सामने अधिक बलपूर्वक रखती हैं।

(4) स्वयं-सहायता समूह की महिला सदस्य आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती है जिससे परिवार की स्थिति सुधरती है और धन का इस्तेमाल अपने व परिवारिक हित में करती है। आर्थिक आत्मनिर्भरता की वजह से महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा कम हो रही है, जो समाज में सकारात्मकता दर्शाती है।

(5) महिलाओं की पहल उनकी स्वयं सहायता समूह में भागीदारी सुनिश्चितता के साथ उनका आत्मविश्वास सुदृढ़ करती है। ऐसे महिला-समूहों को सरकारी व गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कौशल प्रशिक्षण जैसे सिलाई, कढ़ाई, पापड़ व अचार बनाने का मिलता है जो उनकी व्यक्तिगत और सामूहिक शक्ति को आत्मिक रूप से बेहतर करने हेतु कौशल प्रशिक्षण जैसे सिलाई, कढ़ाई, पापड़ व अचार बनाने जैसे कार्यों द्वारा समूहों का पैमाना वाणिज्यिक आधार पर बड़ा करती हैं।

(6) स्वयं-सहायता समूह समान सामाजिक-आर्थिक-पृष्ठभूमि के होने के कारण समूह की कार्रवाई में लोकतान्त्रिक प्रक्रियाओं को अपनाकर महिलाओं का विश्वस मजबूत करते है। ग्राम सभा, पंचायत इत्यादि को प्रभावित करने के साथ-साथ महिलाओं की विचारधारा को लोकतान्त्रिक तरीके से बदलने की क्षमता में अभिवृद्धि करती है।

(7) महिलाओं के स्वयं-सहायता समूह गरीबी का मुकाबला करने में ज्यादा आशाजनक है। भारत में 80 फीसदी से अधिक महिला स्वयं सहायता समूह है जिनकी भुगतान दर 95 फीसदी के आस-पास है तथा गैर-निष्पादक परिसंपतियों का प्रतिशत भी बहुत कम है।

(8) महिला स्वयं सहायता के संगठित समूह व विकासशील उद्यम निम्न कठिनाइयों का सामना पुरुषों से ज्यादा कर रहे हैं :-

(क) अधिक कार्य अवधि में असुरक्षा

(ख) सामाजिक प्रतिबंध द्वारा मनोवैज्ञानिक-विकास में अवधता

(ग) बैंकर्स के नकारात्मक असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार द्वारा मनोबल में कमी

(घ) सरकारी संस्थाओं से संपर्क साधने में बाधाओं द्वारा सरकारी- प्रोत्साहन योजनाओं की हानि

महिलाओं के द्वारा परिवार, समाज व देश की प्रगति की नींव रखी जा सकती है, यह तभी हो सकता है जब महिलाएँ सशक्त व मजबूत बने स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं की निश्चित-भागीदारी, भारत को वास्तविक अर्थों में समृद्ध, विकसित एवं समान देशों की श्रेणी में लाती है। स्वयं सहायता समूह एक आर्थिक गतिविधि को चलाने के साथ-साथ ऋण प्राप्ति के पश्चात् उसकी किश्त भी नियमित रूप से चुकाता है। यह महिलाओं की आर्थिक स्थिति में भी सुधार दिखाता है। स्वयं सहायता समूह, महिलाओं की बढ़ी हुई आय रोजगार के संसाधन जुटाने... घर की आर्थिक स्थिति सुधारने, पति एवं स्वयं के व्यवसाय को बढ़ाने जेवर खरीदने और अपने जीवन स्तर को ऊँचा उठाने में सहायक हुई है। महिलाएं आर्थिक स्थिति को सुधारने में जागरुक होने के साथ-साथ इसके

कार्यक्रम में भी रुचि रखने लगी है जिसके कारण अधिकांश महिलाएँ बैठकों में भाग ले रही है।

महिलाएँ समूह की गतिविधियों के साथ-साथ विकास के नए आयामों से जुड़कर अपने समूह एवं सशक्तिकरण के प्राथमिक उद्देश्य, अपने अधिकारों एवं परिवार के स्तर पर नेतृत्व करने की क्षमता के साथ अधिक भागीदारी करती है।

स्वयं-सहायता समूहों के गठन से महिलाओं पर होने वाली घरेलू हिंसा एवं शोषण पर प्रभावशाली ढंग से रोक लगी है जिसकी वजह से समाज में महिलाओं की स्थिति में कुछ हद तक सुधार हुआ है। स्वयं सहायता समूह द्वारा महिलाओं के विकास को उनके सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाकर सशक्तिकरण की दिशा की ओर उन्मुख किया है। ग्रामीण महिलाएँ अपनी विशेष पहचान बनाने के साथ-साथ गाँव के विकास में अहम भूमिका निभा रही है जो एक सराहनीय कदम है। इससे अशिक्षित और अज्ञानी महिलाएँ स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद स्वयं के स्वास्थ्य, बाल शिक्षा, पौष्टिक भोजन एवं परिवार नियोजन के प्रति जागरुक हो गई है। महिलाए शिक्षा मिशन से एडस, साफ-सफाई की शिक्षा तथा अन्य सामाजिक मुद्दों के प्रति अधिक संवेदनशील हुई है एवं शासकीय कार्यक्रम जैसे जन्मभूमि इत्यादि के दखल की वजह से अपनी शक्ति के प्रति भी जागरुक हो गयी है।

भारतीय स्वयं-सहायता समूहों के 19.07.2022 तक के आंकड़े

क्रम संख्या	विवरण	आँकड़े	राशि (रु.)
01	गाँव कवर किए	173,806	–
02	स्वयं-सहायता-समूह	12,74,750	-
03	सदस्य	46,77,023	–
04	बचत -	-	रु. 9,697.11 करोड़
05	महिला सदस्य	1,43,67,355	–
06	बैंक शाखाएँ	30,933	–
07	क्रियान्वयन एजेन्सी	456	–

उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार भारतीय ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों ने अन्य महिलाओं से अपने मजबूत संबंध बनाकर अपनी सामाजिक सकारात्मकता, सफलता एवं सामाजिक-पूंजी के लक्ष्य बढ़ाए है जो हमारी **आजादी के अमृत महोत्सव** हेतु अत्यंत ही गर्व की बात है।

—

महिला सशक्तिकरण में स्वयं-सहायता-समूह की भूमिका

बरिंदरजीत कौर
उप प्रबंधक, कार्मिक विभाग
दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़
एस.सी.ओ. 109 -110-111, सुरेंद्र बिल्डिंग
सेक्टर - 17-डी, चंडीगढ़ -160017

15 अगस्त 2022 को देश की आजादी के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव शुरू होने जा रहा है। पूरे देश में यह महोत्सव मनाया जाएगा। प्रत्येक राज्य ने अपने-अपने स्तर पर तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। 19 मार्च 1930 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। इसी सत्याग्रह के 91 वर्ष को समर्पित भारत के प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्र और प्रगतिशील भारत, इसकी विविध आबादी और इसके गौरवशाली समृद्ध इतिहास का जश्न मनाने के लिए अमृत महोत्सव की घोषणा की। इस अमृत महोत्सव के 5 मुख्य स्तम्भ हैं-

1. स्वतंत्रता संग्राम
2. 75 वर्षों की उपलब्धियां
3. योजनाएं
4. संकल्प
5. कार्य

इस महोत्सव को शुरू करने के पीछे का विचार युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के प्रति जागरूक करना व उन्हें श्रद्धांजलि देना है। जिन्होंने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अभियान के पीछे एक और मकसद भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी छिपी प्रतिभा और क्षमताओं को खोजने के लिए प्रोत्साहित

करना है। यह हम सभी का सौभाग्य है कि हम स्वतंत्र भारत के इस ऐतिहासिक काल को देख रहे हैं, जिसमें भारत प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज के स्वतंत्र भारत का नाम दुनिया में अग्रिम पंक्ति में लिखा जाता है। इस पुण्य अवसर को समर्पित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जहाँ इस महोत्सव के तहत कई प्रकार की योजनाएँ, संकल्प व सम्मेलन आयोजित किये जा रहे हैं वहीं पर महिलाओं को भी प्रगति की ओर ले जाने, सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। महिलाएं देश की उन्नति व प्रगति को बढ़ाने में अपना बहुमूल्य योगदान दे रही हैं। समाज को साथ रखने की अधिकांश जिम्मेदारी महिलाएं ही उठाती हैं, चाहे वह घर हो, स्कूल हो, स्वास्थ्य देखभाल या बुजुर्गों की देखभाल हो। विश्व का आर्थिक विकास अपनी आधी आबादी 'महिलाओं' के कल्याण पर निर्भर है। महिलाओं को विकास की मुख्यधारा में जोड़े बिना किसी राष्ट्र, राज्य व देश के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। नये भारत का सपना महिलाओं को सशक्त बनाये बिना पूरा नहीं हो सकता।

महिलाओं की स्थिति देश के विकास को प्रदर्शित करती है। इनको इस प्रकार से सशक्त बनाया जाना चाहिए कि ये अपने जीवन में व्यक्तिगत एवं सामाजिक निर्णय लेने में सक्षम हो सकें। इन्हें पुरुषों के बराबर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों में निर्णय का अधिकार प्राप्त हो। साथ ही देश व समाज की प्रगति के लिए सक्षम महिला का विशेष महत्त्व है। भारत एक ग्रामीण देश है। लगभग 70% प्रतिशत लोग कृषि कार्यों से जुड़े हैं। खेती का कार्य साल भर में इनको 3-4 महीने ही मिलता है, इसीलिये शेष महीनों में पर्याप्त आय जुटाने के लिए इन्हें कई अन्य कार्य भी करने पड़ते हैं। कई बार अपनी जमीनों व गहनों को भी गिरवी रखना पड़ता है। इस स्थिति में पुरुष वर्ग तो शहरों में जाकर मजदूरी करने लगता है परंतु महिलाएं कठिनता से जीवन व्यतीत करती हैं। इसके अलावा पुरुष प्रधान समाज के कारण भी महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। बेटियों का जन्म, शिक्षा, कैरियर, विवाह से लेकर संपत्ति के अधिकार तक के मामले में उनकी स्थिति द्विदर्जे की बनी हुई है। इसके कारण ही उन्हें आमतौर पर घरेलू हिंसा, मानसिक शारीरिक उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। श्री ईश्वर चन्द्र विद्यासागर जी के प्रयत्नों से पास हुए सन् 1856, जुलाई के हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से विधवा विवाह को वैध घोषित किया गया परंतु आज भी बहुत से स्थानों पर अलग-अलग सांस्कृतिक व सामाजिक कानून ही लागू होते हैं तथा महिलाओं को अपने हक से वांछित किया जाता है।

महिला सशक्तिकरण -

महिला सशक्तिकरण का अर्थ है – महिला समाज की आत्मनिर्भरता, सुयोग्यता व आत्मविश्वाास। अर्थात् महिलाओं को विकास के समान अवसर उपलब्ध करवाना, शिक्षा का अवसर प्रदान करवाना, परिवार एवं समाज में स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करना ही सशक्तीकरण है। महिलाओं को शक्ति संपन्न बनाना, उन्हें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रत्येक स्तर पर सशक्त भागीदारी होना। सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके तहत शक्तिहीन लोगों को अपने जीवन के निर्णय खुद लेने में, परिस्थितियों को नियंत्रण में करने के अवसर प्रदान किये जाते हैं।

किसी भी समाज के विकास का सम्बन्ध उस समाज की महिलाओं के विकास से जुड़ा हुआ है। भारत सरकार द्वारा भी विभिन्न प्रयास किये गए हैं जो कि महिला सशक्तिकरण के आधार बन चुके हैं, जैसे कि – बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है – लड़कियों की

मृत्यु दर कम करना एवं उनको शिक्षित करना। किशोरियों के सशक्तीकरण के लिए सबला योजना - इसमें महिला एवं विधवाओं, बाल विकास विभाग द्वारा किशोरियों को पोषण प्रदान करने हेतु योजनाएं बनाना। मातृत्व सहयोग योजना-- इसमें अधिक उम्र की महिलाओं को दो बच्चों के जन्म के समय वित्तीय सहायता प्रदान करना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना – इसमें गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाना। पीड़ित महिलाओं को शारीरिक एवं मानसिक रूप से मजबूत करना तथा समाज की मुख्यधारा में जोड़ना शामिल है। महिलाओं के रोजगार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम– यह कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है। इसके द्वारा महिलाओं को विकास के लिए रोजगार योग्य बनाना, गरीब महिलाओं के लिए बचत योजना व आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। इस प्रकार इन विभिन्न कार्यों व योजनाओं द्वारा महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु प्रयत्न किये जा रहे हैं।

महिला सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूह की भूमिका–

हमारे देश की सबसे छोटी इकाई हमारे गांव हैं। गांवों की महिला को मजबूत बनाये बगैर हमारे राष्ट्र की प्रगति संभव नहीं है। इस दिशा की ओर स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) यानी एसएचजी एक आंदोलन की तरह है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिला लचीलापन और उद्यमिता के सबसे शक्तिशाली Incubaters में से एक है। एसएचजी की सदस्यता ने ग्रामीण अनपढ़ व कमजोर महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाने, वित्त तक पहुँचाने और स्वयं के उद्यम स्थापित करने के लिए सामाजिक समर्थन प्राप्त करने में सक्षम है। एसएचजी ने तराशा कुछ ऐसी उद्यमी महिलाओं को, जिनके भीतर कुछ नया कुछ अलग कर दिखाने की प्रबल इच्छा थी परन्तु मौके व ..... नहीं था। ऐसे ही महिलाओं में एक नाम है– चन्दा बुराडकर। चंदा ने खुद को एक सांचे में फिट किया और आखिरकार अपनी प्रतिभा और प्रवृत्ति को निखारा और सबके सम्मुख प्रगट किया। उनकी शादी महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के एक गांव में हुई। चंदा अपने नए घर में शांताबाई नाम की बहुत मेहनती और साथ देने वाली सास पाकर खुशकिस्मत थी। दोनों ने एक दूसरे का साथ देते हुए अपनी नई यात्रा को संवारने हेतु आपसी ताकत का इस्तेमाल किया। घर के छोटे छोटे खर्च उठाने तथा बच्चों के स्कूल के खर्च करने के लिए चन्दा समुदाय की अन्य महिलाओं के साथ एक एसएचजी में शामिल हो गयीं। कपड़ों की सिलाई करने के लिए सिलाई मशीन खरीदने के लिए पहला ऋण लिया जो कि एक अनपढ़ ग्रामीण महिला के लिए बहुत बड़ी बात थी, जिसमें पूरे परिवार ने उसका साथ दिया।

स्वयं सहायता समूह आंदोलन -

चंदा की कहानी उन लाखों महिलाओं के जीवन में गूँजती है जो एसएचजी का हिस्सा हैं। एसएचजी आमतौर पर 8-10 महिलाओं का एक समूह होता है जो सप्ताह में एक बार अपने सदस्यों से पैसा इकट्ठा करने, उन्हें बैंकों से जोड़ने और कम ब्याज दरों पर पैसे उधार लेने के लिए मिलते हैं। वित्तीय पहुँच और अन्य सहायता ने गाँव की महिलाओं को अपने परिवार की आय बढ़ाने में सक्षम बनाया है। चंदा और शांताबाई 1990 के दशक में प्रायोगिक चरण में शुरू किये गये एसएचजी के पहले सदस्यों में से थे जबकि वे उनमें पूरे दिल से सक्रिय रहे। चंदा 2.5 लाख रुपये के सामूहिक ऋण की पहली लाभार्थी थी, जिसे हमारे बैंक ने एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) के तहत दिया था। चंदा का उद्यम समुदाय में एक एसएचजी द्वारा चलाये जा रहे फंड से स्थापित व्यवसाय का एक सफल उदाहरण है। चंदा-शांताबाई ने अपनी बचत को मिलाकर जमीन का एक छोटा टुकड़ा खरीदा और एक ठोस घर का निर्माण किया, जिसे उन्होंने अपनी आय बढ़ाने के लिए किराये पर दिया। सिलाई के एक स्थिर आय के बावजूद अन्य व्यवसायों में भी अपना हाथ आज़माती थी। अपने ग्रामीण लोगों की सहायता में हमेशा

तैयार रहती थी। इस प्रकार महिला सूक्ष्म उद्यमियों का प्रसार सामूहिक रूप से समुदायों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद कर रहा है।

हमारे देश में एसएचजी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन समूहों को प्रोत्साहित करने वाली ताकतों में सरकारी बैंक, सूक्ष्म वित्त संस्थान, स्वयंसेवी संस्थाएं, प्राईवेट कम्पनियां और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भी शामिल हैं। एसएचजी सामुदायिकता की भावना इसका मुख्य आधार है। इन एसएचजी के माध्यम से सभी सदस्य अपनी सामूहिक बचत निधि से जरूरतमंद सदस्य के न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करते हैं, जिससे कि वह सदस्य स्थानीय आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से आजीविका उपार्जन हेतु अपनी उद्यमशीलता को आकार प्रदान करता है। विकासशील देशों के लिए एसएचजी जमीनी स्तर पर जन साधारण व महिला सशक्तीकरण का प्रमुख माध्यम है। इसे न केवल जन सामान्य के कल्याण के लिए अपनाया गया है बल्कि दुनिया भर की सरकारी, गैर सरकारी संस्थाएं इसका महत्व जानने लगी हैं। नाबार्ड ने 1992 में एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम की शुरुआत की थी जो अभी तक निरंतर जारी है।

स्वयं सहायता समूह के उद्देश्य–

1. ग्रामीण महिलाओं में अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बचत की भावना को प्रोत्साहित करना।
2. महिलाओं में आत्मविश्वास जगाना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना।
3. निर्धन व्यक्तियों में नेतृत्व क्षमता का विकास करना।
4. महिलाओं में अपनी आय प्रबन्ध की क्षमता को बढ़ाना।
5. महिलाओं को पुरुषों के समान हर प्रकार से बराबर के हकदार बनाना।
6. समुदाय के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य व पोषण का ध्यान रखना।
7. महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम मुख्यतः शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व स्वास्थ्य जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में निरन्तर बढ़ोत्तरी करना।
8. बैंक से जुड़ने के अवसर प्रदान करना तथा मिल-जुल कर निर्माण/सहयोग की भावना का विकास, प्रचार व प्रसार करना।

चूँकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसीलिए कृषि के विकास के लिए सरकार ने कई महत्त्वपूर्ण योजनाएं संचालित की हैं, जैसे कि कृषि का विकास, हैंडीक्राफ्ट, मुर्गी पालन तथा दुग्ध उत्पादन आदि। सरकार ने इस क्षेत्र में विकास के लिए एसएचजी को आर्थिक सहायता प्रदान की है। इसके अलावा महिला सशक्तीकरण हेतु महिला स्वधारा योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना जो कि गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों, गर्भवती महिलाओं, किशोरियों को सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराना, राष्ट्रीय महिला कोष ऋण योजना, ऋण प्रोमोशन योजना, मुख्य ऋण योजना, आंगनवाड़ी योजनाएं। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण के लिए निम्न योजनाएं भी काफी महत्त्वपूर्ण हैं-

1. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम
2. मजदूर रोजगार कार्यक्रम
3. सुनिश्चित रोजगार योजना
4. कार्य के बदले अनाज योजना
5. ग्रामीण आवास योजना
6. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

महिला स्वयं सहायता समूहों के अनुभव तो अत्यंत विस्मयकारी रहे हैं और उनमें शत-प्रतिशत ऋण वसूली हुई है। महिलाओं के समाज के प्रति अपेक्षाकृत अत्यधिक जिम्मेदार व संवेदनशील पाया है, ये अपनी एकता की मिसाल आप ही हैं। इसके माध्यम से सदस्य अपनी अल्प अर्जित बचत से एक-दूसरे की ऋण आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। एसएचजी ने महिला सशक्तिकरण में जो भूमिका अदा की है उसका वर्णन करना अपने आप में ही एक महान बात है। एसएचजी ने समाज के लोगों में उद्यमशीलता एवं प्रबंधकीय

गुणों जैसे कि नेतृत्व, निर्णय क्षमता, सामाजिक उद्यमता को प्रोत्साहन प्रदान किया है। इन्होंने तेजी से हो रहे ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में लोगों के पलायण को रोकने में सहायता की है। एसएचजी समुदाय में स्वैच्छिक बचत और वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन के साथ विभिन्न प्रकार की क्षेत्रीय आर्थिक एवं सामाजिक असमानता को कम करने में सहायक साबित हुए हैं। महिला एसएचजी द्वारा उत्पादित विभिन्न खाद्य सामग्री जैसे कि अचार, पापड़, दलिया, अगरबत्ती, मुरब्बा आदि महिलाओं एवं बच्चों के पोषण तथा विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है। इनके विस्तार से ग्रामीण महिलाओं की भौतिक गतिशीलता, निर्णय के अधिकार, आत्मनिर्भरता आदि में वृद्धि हुई है। ये समूह महिला सशक्तिकरण में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। अब गांव की महिलाएं घर से बाहर निकलकर बैंक, सरकारी ऑफिस, बाजार के कार्यों को कुशलतापूर्वक सम्पन्न कर रही हैं। ये समूह न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर ही बना रहे हैं बल्कि उन्हें अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक कर रहे हैं।

स्वयं सहायता समूहों ने देश में लगभग 46 मिलियन ग्रामीण महिलाओं को संगठित किया है। उन्हें वित्तीय सुविधाएं प्रदान की हैं। एसएचजी सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को आवश्यक ज्ञान, अवसर, समुदाय का जागरूक सदस्य बनने हेतु प्रोत्साहित करते हैं। ये समूह महिलाओं को मातृ, नवजात शिशु देखभाल, धन, संसाधन और तकनीकी सहायता के वितरण के माध्यम से सामुदायिक विकास को भी बढ़ावा देते हैं। ये समूह उन अति पिछड़े गांवों का कायाकल्प कर रहे हैं, जिनमें स्थित समुदायों में कुपोषण और गरीबी की समस्या विद्यमान है। इन समूहों के समक्ष कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है जैसे कि – 1. गांव के लोगों में एसएचजी के प्रति जागरूकता की कमी पाई गई है, इन समूहों के अधिकतर सदस्य अशिक्षित होते हैं। देश के कई ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का अभाव है। साथ ही ये सहायता समूहों को वित्तीय सेवाएं जल्दी प्रदान करने को तैयार नहीं होते। 2. समूहों की स्थिरता एवं गुणवत्ता पर सवाल उठाए जाते हैं। इनके पास योग्य लोगों की हमेशा कमी रहती है। 3. इन्हें कम ही उचित प्रशिक्षण मिल पाता है। इनके पास निर्माण क्षमता और कौशल प्रशिक्षण के लिए संसाधनों का अभाव है। 4. ये समूह ज्यादातर सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों पर ही निर्भर हैं। कई बार संस्थानों के समर्थन के अभाव में ये बन्द हो जाते हैं। इन सभी प्रकार की समस्याओं को जन सहभागिता व सरकारी प्रयासों द्वारा दूर किया जा सकता है। 'स्टैंड अप इंडिया स्कीम' के तहत महिलाओं तथा स्वयं सेवा समूहों को लाभ दिये जाने का प्रावधान है। पिछले 5 वर्षों में महिला एसएचजी के लिए बैंक ऋण दुगुना हो गया है। नाबार्ड विभिन्न संस्थाओं को सहायता प्रदान करता है जैसे कि उद्यमिता, विकास व प्रशिक्षण। इन समूहों को डिजिटलाइज करने के लिए नाबार्ड ने ई-शक्ति एक परियोजना चालू की है। वर्तमान में एसएचजी के द्वारा महिला सशक्तिकरण इस तथ्य से सामने आता है कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना के कुछ खाता धारकों में से महिलाओं की संख्या 55% है।

निष्कर्ष :-

महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाकर उनका सशक्तीकरण करने में स्वयं सहायता समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन समूहों के माध्यम से घरेलू हिंसा व शोषण से महिलाएं मुक्त हुई हैं। इन समूहों से महिलाओं को आर्थिक आजादी प्राप्त हुई है। इन समूहों ने महिलाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़कर उनके सामाजिक, व्यक्तिगत एवं आर्थिक जीवन में परिवर्तन कर उनका सशक्तिकरण किया है, जिससे कि महिलाओं में सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक सम्पन्नता, बचत की प्रवृत्ति बढ़ी है। अतः स्वयं सहायता समूहों को महिला स्वावलंबन का मुख्य आधार माना जा सकता है– यही भारतीय महिलाओं का हर प्रकार की आजादी का अमृत महोत्सव है।

—

महिला सशक्तिकरण में स्वयं-सहायता-समूह की भूमिका

करन कुमार उतवानी
एस.डब्लू.ओ - ए
यूको बैंक, भोपाल मुख्य शाखा, मारवाड़ी रोड
इब्राहिमपुरा, भोपाल - 462001

"75 साल हुए आजादी को,
चलो आज फिर एकता दिखाते है,
मिलकर आजादी का अमृत महोत्सव मनाते है।"

प्रस्तावना – हजारों सूर्यों से अधिक तेजस्वी हमारे देश भारत को स्वतन्त्र हुए 75 साल पूरे होने को हैं। 15 अगस्त 2021 को देश आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक ऐसा लूटा कि देश को वापिस उभरने में 75 वर्षो का लंबा समय लग गया। इसीलिए भारत इन 75 वर्षों को एक महोत्सव के रूप में मना रहा है। सम्पूर्ण देश में आजादी का अमृत महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। हमे स्वतंत्र हुए आज पूरे 75 वर्ष हो गए हैं। हमारा भारत 200 वर्ष तक अंग्रेजों के अधीन था जिसके बाद हमारे देश में आजादी के लिए काफी लड़ाई लड़ी गयी। जिसमें बहुत से महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया और भारत को एक स्वतंत्र देश बनाया।

"लड़े वो वीर जवानों की तरह,
ठंडा खून फौलाद हुआ,

मरते-मरते भी मार गिराएं,
तभी तो देश आजाद हुआ।"

आजादी का अमृत महोत्सव का अर्थ – आजादी के अमृत महोत्सव का अर्थ आजादी की ऊर्जा का अमृत है। यानी स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों, देशभक्तों की स्वाधीनता का ऐसा अमृत है जो कि हमे सदैव अपने देश के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। हमारे देश भारत को बड़े ही संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी, देश को यह आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली थी, असंख्य देशप्रेमियों के बलिदान के बाद हमें आजादी नसीब हुई थी। अतः यह आजादी सभी देशवासियों के लिए बहुमूल्य है, इसी बहुमूल्य आजादी के वर्षों के जश्न का नाम है 'आजादी का अमृत महोत्सव'। देशभर में यह जश्न एक उत्सव की भाँति मनाया जा रहा है। देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर 75 सप्ताह पूर्व आजादी का अमृत महोत्सव शुरू होने जा रहा है।

हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 12 मार्च, 2021 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाकर आजादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया।

"आओ सब मिलकर झूमें गाएं,
आजादी का अमृत महोत्सव मनाएं।"

आजादी के अमृत महोत्सव का उद्देश्य – आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का उद्देश्य लोगों को स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और त्याग के बारे में जानकारी देना है। आजादी का महोत्सव का उद्देश्य देशभर में एक अभियान चलाकर देश भक्ति की भावनाओं का प्रसार करना है। प्रत्येक विभाग अपने कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करके कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। जिसमें अब तक की उपलब्धियों का प्रसार-प्रचार करेगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव का उद्देश्य भारत को देशभक्ति के रंगों से रंगना है, इस अभियान के तहत स्कूलों में, कार्यालयों में कार्यक्रम जैसे खेल, गीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पोस्टर, बैनर के माध्यम से देशभक्ति की भावनाओं को प्रचारित करना है। आने वाले 25 वर्ष देश के लिए अमृत काल हैं। इस अमृत काल में हमारे संकल्पों की सिद्धि, हमें आजादी के सौ वर्ष तक ले जाएगी। अमृत काल का लक्ष्य है एक ऐसे भारत का निर्माण जहां दुनिया का हर आधुनिक बुनियादी ढांचा हो।

"यह महोत्सव है आज़ादी के इतिहास का,
नए संकल्पों के साथ का,
आत्मनिर्भरता के आगाज़ का,
भारत के विश्वगुरु बनाने के एहसास का।"

आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत – हम सभी जानते हैं कि 12 मार्च 1930 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह (दांडी यात्रा) की शुरुआत की थी। 2020 में नमक सत्याग्रह के 91 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रतीकात्मक दांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती आश्रम से अमृत महोत्सव के रूप में की। जो हमारी आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान के पुनरूत्थान का प्रतीक है।

आजादी का अमृत महोत्सव की अवधि – आजादी का अमृत महोत्सव देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। आजादी के 75 साल का ये जश्न गत 12 मार्च 2021 से शुरू हो चुका है जो 75 सप्ताह तक चलेगा। 15 अगस्त 2023 पर अमृत महोत्सव का समापन होगा। 'आजादी का अमृत महोत्सव' प्रगतिशील भारत की आजादी के 75 वर्ष और इसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के

गौरवशाली इतिहास को मनाने के लिए भारत सरकार की एक पहल है।

आजादी की प्रमुख घटनाएँ 1857 से 1947 तक - लम्बे समय तक अंग्रेजों की गुलामी का दंश झेल रहे भारतीयों के मन में आजादी के विचारों को जन्म हुआ, इस विचार को फलीभूत करने के लिए भारतीयों ने अनेकों लड़ाईयाँ लड़ी, जिनकी शुरुआत सन् 1857 से हुई जो लगातार 1947 तक चलती रही, इसी बीच कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी।

1857 से 1947 तक की प्रमुख घटनाएँ जो आजादी का अमृत महोत्सव का कारक बनी-

- सन् 1857 का स्वतंत्रता संग्राम
- सन् 1885 में कांग्रेस की स्थापना
- सन् 1905 बंगाल विभाजन
- सन् 1915 में महात्मा गांधी की वापसी
- सन् 1919 जालियांवाला बाग नरसंहार
- सन् 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन
- सन् 1915 से 1924 तक खिलाफत आंदोलन
- सन् 1929 में सविनय अवज्ञा आंदोलन
- सन् 1929 में दिल्ली असेम्बली में बम धमाका
- सन् 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन
- सन् 1943 में आजाद हिंद फौज का गठन

इन सब घटनाओं के बाद अंततः 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था। मगर आजादी के समय ही हमारे देश का विभाजन हुआ, जिससे बनने वाले दूसरे देश को पाकिस्तान नाम दिया गया। आखिरकार 15 अगस्त 1947 के दिन आजादी का उत्सव मनाया गया।

स्वयं सहायता समूह क्या है? – स्वयं सहायता समूह कुछ सामान आय वर्ग के लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। यह छोटे-छोटे समूह आपस में एक दूसरे की सहायता के लिए बनाए जाते हैं। समूह में सभी सदस्य अपनी मर्जी से शामिल हो सकते हैं, यह किसी अन्य के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं बल्कि यह अपनी सहायता स्वयं (खुद) करते हैं। जैसा कि इसका नाम है, स्वयं सहायता यानी जो अपनी सहायता खुद करते हैं। 'स्वयं सहायता समूह एक सबके लिए, सब एक के लिए' के सिद्धांत पर आधारित है। समूह एक सशक्त संगठनात्मक ईकाई है जहां समान उद्देश्यों वाले, समान सामाजिक, आर्थिक स्तर वाले व्यक्तियों का समूह स्वेच्छा से अपनी अल्प आय में से छोटी बचत शुरू करते हैं। सामान्यतः स्वयं सहायता समूह में 10 से 20 सदस्य होते हैं। सदस्यों द्वारा जमा की गई इसी धनराशि में से वे प्रारंभ में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार लेनदेन करते हैं, फिर वे बैंकों से संपर्क स्थापित करते हैं तथा उनसे ऋण प्राप्त करके आय अर्जन करने वाली गतिविधियों का संचालन करते हैं ताकि एक समूह के रूप में उनकी आय में वृद्धि हो सके।

स्वयं सहायता समूह का संचालन – समूह के सुचारु रूप से संचालन के लिए प्रत्येक समूह अपने सदस्यों में से ही तीन प्रतिनिधि - अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष तथा सचिव की नियुक्ति करता है, ताकि समूह की क्रियाविधि सुचारु रूप से चल सके। प्रत्येक माह समूह की नियमित मीटिंग होती है, जो कि किसी सार्वजनिक स्थान अथवा प्रत्येक सदस्य के घर बारी-बारी से होती है। सामूहिक नियमित मासिक मीटिंग के अतिरिक्त समूह कभी-कभी आकस्मिक मीटिंग भी करता है, जिसका प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को त्वरित ऋण उपलब्ध कराना होता है, जिसके लिए ये अपने बचत के पैसे से आपस में लेन-देन

करती हैं। अतिरिक्त बचे हुए पैसे को समूह कार्यवाही रजिस्टर पर अंकित कर, नजदीक के किसी बैंक, जहाँ समूह का खाता होता है जमा किया जाता है और बैंक इन्हें इनकी बचत पर ब्याज भी देता है। इस प्रकार महिलायें समूह में आपस में लेन-देन कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, जो कि न केवल उनको आत्मनिर्भर बनाता है बल्कि साहूकारों के चंगुल से भी बचाता है।

स्वयं सहायता समूह के उद्देश्य –

- रोजगार और आय सृजन गतिविधियों के क्षेत्र में गरीबों तथा हाशिए पर पड़े लोगों की कार्यात्मक क्षमता का निर्माण करना।
- सामूहिक नेतृत्व और आपसी चर्चा के माध्यम से संघर्षों को हल करना।
- बाजार संचालित दरों पर समूह द्वारा तय की गई शर्तों के साथ संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करना।
- संगठित स्रोतों से उधार लेने का प्रस्ताव रखने वाले सदस्यों के लिये सामूहिक गारंटी प्रणाली के रूप में कार्य करना।
- गरीब लोग अपनी बचत जमा कर उसे बैंकों में जमा करते हैं, बदले में उन्हें अपनी सूक्ष्म इकाई उद्यम शुरू करने हेतु कम ब्याज दर के साथ ऋण तक आसान पहुंच प्राप्त होती है।

स्वयं सहायता समूहों का महिलाओं के जीवन पर प्रभाव – स्वयं सहायता समूहों में कार्य करने के कारण महिलाओं के आत्मविश्वास, स्वाभिमान, आत्म-गौरव इत्यादि में वृद्धि होती है, क्योंकि घरेलू परिधि के बाहर एक समूह के रूप में छोटी-छोटी बचत इकट्ठी करके, ऋण लेकर, बैंक कर्मचारियों से संपर्क, लघु उद्यम स्थापित करके, समूह की बैठकों की कार्रवाई संचालित करके महिलाओं में निम्नलिखित क्षमताओं का विकास होता है :-

- **स्वनिर्णय की शक्ति**– स्वयं सहायता समूह के सदस्य के रूप में काम करने के कारण महिलाओं की स्वयं निर्णय लेने की शक्ति का विकास होता है। महिलाओं द्वारा बैंकों के साथ लेन-देन, कागजी कार्रवाई इत्यादि करने से उनमें आत्म-विश्वास पनपता है, समूह की गतिविधियों के संचालन, बैठकों में भाग लेने से महिलाओं की स्वनिर्णय की क्षमताओं का विकास होता है जो धीरे-धीरे परिवार और समुदाय में उनकी सोच को आवाज मिलती है।
- **जानकारी तथा संसाधनों की उपलब्धता** – समूह के सदस्य के रूप में महिलाओं की गतिशीलता बढ़ जाती है। घर की चार-दीवारी में कैद रहने वाली महिलाएं इन समूहों के माध्यम से पंचायत संस्थाओं, बैंक, सरकारी तंत्र, गैर सरकारी संगठनों, सूक्ष्म वित्त संस्थानों इत्यादि से संपर्क में आती है जिससे उनके पास अधिक सूचना एवं संसाधन होते हैं। सूचना एवं संसाधनों की उपलब्धता महिलाओं को सशक्त करती है।
- **सामूहिक निर्णय के मामलों में अपनी बात बलपूर्वक रखने की समर्थता** – स्वयं सहायता कार्य करने वाली महिलाओं की सामुदायिक कार्यों में सहभागिता, पंचायत बैठकों में उपस्थिति अधिक सक्रिय होती है अन्य महिलाओं की अपेक्षा ये महिलाएँ अपनी बात समुदाय के सामने अधिक बलपूर्वक रख पाती है।
- **आर्थिक आत्मनिर्भरता** – स्वयं सहायता समूह की सदस्य के रूप में महिलाएँ आर्थिक रूप से आत्म-

निर्भर बनती है जिससे परिवार में उनकी स्थिति में सुधार होता है तथा इस प्रकार उपलब्ध धन का इस्तेमाल वे अपने निजी इस्तेमाल अथवा बच्चों की शिक्षा व स्वास्थ्य इत्यादि में करती हैं।

- **मनोवैज्ञानिक विकास** – स्वयं सहायता समूह की सदस्य के रूप में महिलाओं द्वारा स्वयं की पहल पर सामाजिक बदलावों के लिए भागीदारी सुनिश्चित होती है, उनका बदलाव लाने की अपनी क्षमता में विश्वास सुदृढ़ होता है।

- **कौशल विकास** – हमारे देश में प्रायः महिलाएं सिलाई, कढ़ाई, पापड़ बनाने, अचार बनाने जैसे कई कार्य करती हैं किन्तु इन्हीं कार्यों को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक आधार पर किया जाता है, इन समूहों को सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाता है जिससे महिलाओं की स्वयं की व्यक्तिगत या सामूहिक शक्ति बेहतर करने के लिए कौशल सीखने की क्षमता का विकास होता है।

- **लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास** – इन समूहों में सामान्यतया सभी सदस्य एक जैसी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के होते हैं तथा इनकी कार्रवाई में लोकतांत्रिक प्रविधियों को अपनाया जाता है जिससे महिलाओं का लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास मजबूत होता है। इसका प्रभाव गांव में राजनीतिक संस्थाओं यथा ग्राम सभा, पंचायत इत्यादि पर भी पड़ता है। महिलाओं की विचारधारा को लोकतांत्रिक तरीके से बदलने की क्षमता में अभिवृद्धि होती है।

- **वित्तीय क्षेत्र में भागीदारी** – आज दुनिया भर में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को गरीबी का मुकाबला करने में सबसे ज्यादा आशाजनक माना जा रहा है। भारत में 80 फीसदी से अधिक स्वयं सहायता समूह महिलाओं से संबद्ध हैं जिनमें भुगतान दर 95 फीसदी के आसपास है तथा गैर-निष्पादक परिसंपत्तियों का प्रतिशत बहुत कम है।

महिला स्वयं सहायता समूह के गठन के पीछे प्रमुख उद्देश्य - – महिला स्वयं सहायता समूह के गठन के पीछे प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है –

i. महिलाओं को स्वयं सहायता समूह की आवश्यकताओं के प्रति अवगत कराना।
ii. समूह के प्रयास द्वारा महिलाएं परंपराओं और रूढ़ियों के दौर से उपजे तनाव से मुक्त हो सकें और अपनी आंतरिक छिपी हुई योग्यताओं को बाहर निकाल सकें।
iii. समूह द्वारा ग्रामीण महिलाओं में बचत व ऋण दोनों तरह के बैंकिंग कार्यकलापों को प्रोत्साहित करना।
iv. महिलाओं को अपने अधिकारों और दायित्वों के प्रति सजग करते हुए उनकी सोच में परिवर्तन लाना।
v. आर्थिक गतिविधियों में रुचि उत्पन्न कर उन्हें आर्थिक सामाजिक दृष्टि से आत्मनिर्भरता और स्वालंबन की ओर अग्रसर करना।
vi. समाज में पुरुष और नारी के बीच भेदभाव को खत्म करना व समानता लाना।
vii. महिलाओं में व्याप्त शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता को दूर करना।
viii. महिलाओं पर पुरुषों के प्रभुत्व को दूर करना और नारी की अस्मिता के विकास में बाधकों को दूर करना तथा सामाजिक चेतना जागृत करना।

ix. समूह के माध्यम से महिलाओं को संगठित करना और उनमें आत्मविश्वास जागृत कर उनकी क्षमताओं को विकसित करना।

स्वयं सहायता समूह से महिला सशक्तिकरण – स्वयं सहायता समूह निर्माण का कार्य पिछले कुछ वर्षों से बहुत तेजी से हो रहा है। जहाँ पर भी ईमानदारी से प्रयत्न किए गए हैं, वहां इन प्रयासों को बहुत अधिक सफलता मिली है। कुछ परिणाम तो ऐसे निकले है जिनका सकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है, इनमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक क्षेत्र में प्रभाव सबसे ज्यादा देखा जा सकता है –

- **सामाजिक क्षेत्र** – जब महिलाएं समूह की सदस्य बनती हैं तो वह अलग-अलग विचारों वाली महिलाओं से मिलती हैं, उसे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है तथा दूसरी महिलाओं के विचारों को जानने का अवसर भी प्राप्त होता है, इससे इनका मनोबल बढ़ता है। समूह के संपर्क में आने से महिलाओं में अपने उपर होने वाले अत्याचार - शोषण के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत आती हैं। दहेज प्रथा, बाल विवाह, मृत्यु भोज आदि कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने की ताकत बढ़ती है। सामान्य क्षेत्र में सशक्त होने पर उसके जीवन स्तर में परिवर्तन आता है तथा उनके रहन-सहन, बोलचाल, उठने - बैठने का ढंग आदि गतिविधियों में बदलाव देखने को मिलता है।

- **आर्थिक क्षेत्र** – स्वयं सहायता समूह महिलाओं को थोड़ा-थोड़ा पैसा बचाने योग्य बनाता है, इस बचत राशि का प्रयोग एक दूसरे को ऋण देने के लिए किया जाता है। महिलाएं परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार समूह से ऋण लेती हैं तथा आपातकालीन स्थिति में परिवार की ऋण लेकर मदद करती हैं जिससे परिवार में भी महिलाओं को ज्यादा सम्मान दिया जाने लगता है। समूह में रोजगार प्राप्त कर महिलाएं भी परिवार की आय व आर्थिक विकास में बराबर की भागीदार बनती हैं। महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर अपने एवं परिवार के, समाज के, गांव व देश के विकास में योगदान दे रही हैं। आय में वृद्धि होने से जीवन में सुधार आता है। बचत करना, बैंक से लेनदेन करना, ऋण लेना-चुकाना व लेखा-जोखा रखने से आर्थिक स्वालंबन बढ़ता है।

- **राजनीति क्षेत्र** – स्वयं सहायता समूह की सदस्य बनने के बाद महिलाओं की अपनी पहचान बनती है। समूह महिलाओं को एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहाँ अपने व्यक्तित्व, प्रतिभा, कौशल, क्षमताओं को विकसित करने का अवसर मिलता है। नेतृत्व गुणों का विकास होने से चुनाव लड़ने की हिम्मत आती है। उच्च पदों पर प्रतिनिधित्व करने, अपनी मांगों को रखने, उन्हें मनवाने की ताकत बढती है। यह देखा गया है कि स्वयं सहायता समूह के कारण सत्ता व विकास में महिलाओं की भागीदारी संभव हो पाई है। समूह सामाजिक आर्थिक विकास के साथ-साथ राजनीतिक सशक्तीकरण के माध्यम बनते जा रहे हैं।

- **शैक्षिक सशक्तिकरण** – स्वयं सहायता समूह के द्वारा आर्थिक सुधारों के पश्चात् महिला साक्षरता

बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। समूह ने मुफ्त बालिका शिक्षा एवं महिलाओं संबंधी नवीन शिक्षा प्रणाली को दूरदराज के अविकसित भागों में निवास कर रही महिलाओं तक पहुंचा कर इन्हें इस से अवगत कराते हैं, ताकि ग्रामवासी इन योजनाओं का लाभ उठा सकें, अपने शिक्षा के अधिकार को प्राप्त कर सके, समूह ने नुक्कड़ नाटक एवं कठपुतली जैसे प्रचार माध्यमों से बताया कि बालक और बालिका दोनों के समान अधिकार है, इनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, शिक्षा दोनों को समान रूप से मिलनी चाहिए। शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए घर-घर जाकर शिक्षा का महत्व समझाया जा रहा है।

उपसंहार – स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने व नेतृत्व गुणों का विकास करने वाला सफल माध्यम बन गया है। स्वयं सहायता समूह एक आंदोलन का रूप ले चुका है। महिलाएं समूह से जुड़कर सामाजिक आर्थिक रूप से वरन राजनीतिक रूप से भी सशक्त हो रही है। समूह की सदस्य बनने के बाद ग्रामीण महिलाओं के राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की प्रवृत्ति बढ़ी है, वे न केवल मतदान करती हैं अपितु स्थानीय चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर खड़ी भी होती हैं। समूह के माध्यम से महिलाएं अपनी पहचान बना रही है तथा गांव का विकास भी कर रही हैं। समूह के माध्यम से महिलाएं संगठित होकर गांव में व्याप्त सामाजिक बुराइयां जैसे शराबखोरी मुख्य है इसके साथ-साथ घरेलू हिंसा, लैंगिक भेदभाव, भ्रूण हत्या, बाल विवाह आदि बुराइयों का विरोध कर रही हैं।

निष्कर्ष – समूह की क्रियाओं में भाग लेकर महिलाएं विभिन्न कार्यों से जुड़कर विकास के नये आयाम से जुड़ गयी हैं तथा समूह के स्तर पर नेतृत्व करने के साथ-साथ परिवार एवं समुदाय के स्तर पर नेतृत्व करने की क्षमता भी उभरी है। महिला सशक्तिकरण का प्राथमिक उद्देश्य ही यह है कि उनको अपने अधिकारों के प्रति सशक्त किया जाये और परिवार में निर्णय के स्तर पर ज्यादा से ज्यादा भागीदारी बढ़ाई जाये। इस प्रकार ग्रमीण महिलाओं को स्वावलम्बी और आत्मनिर्भर बनाने में स्वयं सहायता समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, इन्हीं समूहों के माध्यम से महिलाओं पर किये गये घरेलू हिंसा तथा शोषण पर प्रभावशाली ढंग से रोक लगायी गई है, जिससे समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार भी आया है। अतः स्वयं सहायता समूह ने महिलाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़कर उनके सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन कर सशक्तिकरण की दिशा की ओर उन्मुख किया है, जिससे ग्रामीण महिलाएं अपनी एक विशेष पहचान तो बना ही रही हैं, साथ ही साथ गाँव के विकास में अहम भूमिका भी निभा रही हैं, जो कि सराहनीय है। स्वयं सहायता समूह महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं क्योंकि इन समूहों में काम करने से उनके स्वाभिमान, गौरव और आत्मनिर्भरता में वृद्धि होती है परिणाम स्वरूप महिलाओं की क्षमता में बढ़ोतरी होती है। आज भारत दुनिया भर में महिला स्वयं सहायता समूह के क्षेत्र में सर्वोपरि स्थान रखता है।

"मैं अबला नादान नहीं हूँ,
दबी हुई पहचान नहीं हूँ,
पुरुष प्रधान जगत में मैं,
अपना लोहा मनवा रही हूँ।
जो काम मर्द करते आये,
हर काम वो करते आ रही हूँ,
मैं आधुनिक भारत की नारी हूँ।"

—

महिला सशक्तिकरण में स्वयं-सहायता-समूह की भूमिका

कुंजन महेन्द्रू
सहायक प्रबंधक
राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय
11, विपिन खंड, गोमती नगर, लखनऊ
उत्तर प्रदेश - 226004

"विकास के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण से बेहतर कोई भी और उपकरण नहीं है।"

—कोफ़ी अन्नान

"जब आप किसी पुरुष को शिक्षित करते हैं तो केवल एक पुरुष को शिक्षित करते हैं। जब आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो एक पीढ़ी को शिक्षित करते हैं।"

—ब्रिघम यंग

इस 21वीं सदी में भी नारी शक्तिहीन है। लिंग आधारित हिंसा, आर्थिक और शैक्षिक भेदभाव, प्रजनन स्वास्थ्य असमानताओं और हानिकारक पारंपरिक प्रथाओं सहित महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ भेदभाव, समाज में असमानता का सबसे व्यापक रूप है। उन्हें अपने स्वयं के जीवन से संबंधित मुद्दों के संबंध में निर्णय लेने का भी अधिकार नहीं है। स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं की भागीदारी से इस परिदृश्य को बदलने की क्षमता है। यह महिलाओं को आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, संबंधपरक, प्रबंधकीय और राजनीतिक जैसे आयामों के साथ सशक्त बनाता है। इसलिए सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका सराहनीय है। सामान्य रूप से महिलाएं और विशेष रूप से ग्रामीण महिलाएं जो खुद को सशक्त बनाना चाहती हैं, उन्हें सशक्त होने के लिए स्वयं को एसएचजी के साथ जोड़ना चाहिए। सरकारों को एसएचजी को इस तरह मजबूत करके

इस अवधारणा को और लोकप्रिय बनाने के प्रयास करने चाहिए जो उनकी महिला नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप हों।

महिलाएं दुनिया की आबादी का आधा हैं। समाज में उनकी भूमिका अपरिहार्य है। लेकिन वे अपने मूल अधिकारों से वंचित हैं। इसलिए उन्हें सशक्त बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) नामक अवधारणा का विकास, महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु सरकारों के लिए अंधेरे में आशा की एक किरण है। यह उन कई समस्याओं को दूर करने की क्षमता रखता है जो महिलाओं को अशक्तता के कारण सामना करना पड़ रहा है और वास्तव में उनके जीवन में काफी बदलाव ला सकता है।

महिला सशक्तिकरण को केवल एक ऐसे वातावरण के निर्माण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां महिलाओं को अपने जीवन से संबंधित निर्णय लेने की शक्ति दी जाती है।

महिला सशक्तिकरण के चार आयाम हैं। व्यक्तिगत, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। एक गलत धारणा है कि महिला सशक्तिकरण का सीधा संबंध राजनीतिक सशक्तिकरण से है। हालांकि, सशक्तिकरण अनिवार्य रूप से अकेले राजनीतिक नहीं है; यह व्यक्तिगत, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक आयामों वाली एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तिगत सशक्तिकरण सशक्तिकरण प्रक्रिया का मूल है। वास्तव में राजनीतिक सशक्तिकरण आर्थिक सशक्तिकरण के अभाव में सफल नहीं होता है।

स्वयं सहायता समूह समान सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि वाले 10-20 सदस्यों का एक स्वैच्छिक समूह है जो नियमित रूप से अपनी आमदनी से थोड़ी-थोड़ी बचत करते हैं। व्यक्तिगत राशि को सामूहिक विधि में योगदान के लिए परस्पर सहमत रहते हैं एवं सामूहिक निर्णय लेते हैं। सामूहिक नेतृत्व के द्वारा आपसी मतभेद का समाधान करते हैं।

स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं की भागीदारी का सशक्तिकरण पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा है। यह महिलाओं को उनकी अनूठी क्षमता को समझने और महसूस करने, स्वतंत्र रूप से सोचने और कार्य करने के लिए साहस विकसित करने, अपनी इच्छा स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने और उनके विशिष्ट विकास में मदद करता है। महत्वपूर्ण रूप से, लगभग सभी महिलाओं के पास भविष्य के लिए लक्ष्य होते हैं, जो शायद उनकी आत्म-प्रभावकारिता की अधिक भावना और उन्हें महसूस करने की उनकी क्षमता में विश्वास से जुड़े होते हैं।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका व्यापक है। इससे महिलाओं में अनेक परिवर्तन देखे गए हैं। भौतिक संसाधन आधार का विस्तार, बड़ी और छोटी खरीदारी करने की क्षमता, सूक्ष्म और लघु उद्यम शुरू करने में सक्षम, आय और खपत, संपत्ति का निर्माण, घर, भूमि, नकद बचत आदि सहित उत्पादक संपत्तियों का स्वामित्व, आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण, उनकी आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधनों तक पहुंच, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और विवाह आदि पर निवेश करने में सक्षम, परिवार को आपातकालीन सहायता प्रदान करना, दैनिक जीवन का अभिन्न अंग होने वाले खर्चों को पूरा करना, गरीबी कम करना, पुरुषों पर कम आर्थिक निर्भरता इस प्रकार आर्थिक सशक्तिकरण हासिल किया जाता है।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के परिणामस्वरूप मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण हुआ है जैसे भविष्य की दृष्टि,

आत्म योग्यता, आत्म सम्मान और आत्मविश्वास,अपनी क्षमताओं की पहचान और आत्म सम्मान और आत्मविश्वास के कारण कौशल, अपनी पहचान, क्षमता, ताकत और शक्ति का एहसास करने में सक्षम, शर्मीलेपन को दूर करने और सार्वजनिक मंचों पर आत्मविश्वास से कार्य करने में सक्षम, साक्षरता स्तर में सुधार, जागरूकता और ज्ञान में वृद्धि, अधिकारों के प्रति जागरूकता, स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूकता। महिलाओं का कहना है कि वे 'शांत', 'स्वतंत्र' और 'खुश' महसूस करती हैं और वे अपनी कठिनाइयों के अंत का अनुभव करती हैं।

महिलाओं के आर्थिक और मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण के परिणामस्वरूप परिवार के साथ-साथ समाज में भी उनको अपना स्थान प्राप्त हुआ है। परिवार में उनके योगदान के कारण घर के भीतर स्थिति और निर्णय लेने की शक्ति, पूरे परिवार के स्वास्थ्य और उत्पादकता में योगदान, पति/ परिवार/समाज के दृष्टिकोण में बदलाव,परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना में सौदेबाजी की शक्ति में वृद्धि, भूमि की खरीद जैसे प्रमुख निर्णय लेने में भागीदारी या कमाई के उद्देश्यों के लिए रिक्शा या पशुधन, लिंग आधारित हिंसा में कमी आयी है।

स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं की उनकी प्रबंधकीय क्षमताओं के संबंध में भागीदारी के परिणामस्वरूप अनेक प्रभाव देखे गए हैं। स्वयं को समूहों में संगठित करने और उनके सामूहिक हित को ध्यान में रखने में सक्षम, समूह प्रबंधन, स्वतंत्र रूप से विचारों को संप्रेषित करने में सक्षम, सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने में सक्षम, उनकी आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए कौशल विकास, समूह के नेताओं के रू प में योजना, समन्वय, निर्णय लेने और वित्तीय कौशल में विकास, सामाजिक पूंजी का निर्माण, जहां लोग एक सामान्य उद्देश्य के लिए एक समूह या संगठन में एक साथ काम करना सीखते हैं। स्वयं सहायता समूहों के अनुभवों से पता चलता है कि ग्रामीण गरीब वास्तव में ऋण और वित्त के कुशल प्रबंधक हैं। उनके उद्यमों में सब्सिडी के बजाय समय पर और पर्याप्त ऋण की उपलब्धता आवश्यक है।

राजनीति में एक कहावत है, 'किसी भी सभ्यता में, जिस समुदाय को शासन करने का अवसर नहीं मिलेगा, वह जल्द ही नष्ट हो जाएगा'। महिलाओं को इससे छूट नहीं है। यदि उन्हें राजनीतिक रूप से सशक्त नहीं किया गया तो उनके मूल अधिकार खतरे में पड़ जाएंगे। महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका व्यापक है। हालांकि महिलाओं को राजनीति में शामिल होने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि यह धारणा है कि केवल पुरुष ही राजनीतिक अभिनेता हैं। लेकिन, स्वयं सहायता समूहों में उनकी भागीदारी ने उन्हें बदल दिया है, और ये महिलाएं स्थानीय राजनीतिक क्षेत्र में संभावित नेता हैं। यह इस कारण से है कि समूह के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया एक सशक्त प्रक्रिया है और इसके व्यापक परिणाम हैंजैसे स्थानीय सरकारी प्रक्रियाओं में महिलाओं की अधिक भागीदारी। इसके अलावा, राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि जैसे प्रमुख राष्ट्रीय और राजनीतिक हस्तियों के ज्ञान और विरासत पर कानून और विभिन्न प्रकार की राजनीतिक कार्रवाई में भागीदारी ने इसे बढ़ावा दिया है।

स्वयं सहायता समूह की शुरुआत महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक बंधनों से मुक्त कराने के मुख्य उद्देश्य से की गई थी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) अहम भूमिका निभा रहे हैं। एसएचजी का उद्देश्य महिलाओं को स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करना है।

गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को आर्थिक प्रगति हासिल करने में मदद करने के लिए बैंकरों से बिना किसी रोक-टोक के ऋण स्वीकृत करने का आग्रह किया गया। विगत कुछ वर्षों में देखा जाए तो इसमें महिलाएँ बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं जिससे समाज में उनकी स्थिति में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है।

भारत में आर्थिक उदारीकरण (1991-92) के दौरान स्वयं सहायता समूहों को विशेष प्रोत्साहन दिया गया तथा इस प्रक्रिया में नाबार्ड की भूमिका प्रमुख रही। नाबार्ड ने 1992 में स्वयं सहायता समूह-बैंक सहबद्धता कार्यक्रम (एसएचजी-बीएलपी) शुरू किया था। 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार इसमें लगभग 112.23 लाख स्वयं सहायता समूह और देश के लगभग 13.5 करोड़ ग्रामीण परिवारों का सशक्तिकरण किया गया। लगभग 28.87 लाख समूहों ने 2020-21 केदौरान विभिन्न बैंकों से 58070 करोड़ की ऋण सहायता प्राप्त की जिससे प्रति समूह औसत ऋण ?2.01 लाख हो गया है। 2020-21 के दौरान बैंकों द्वारा 41.30 लाख संयुक्त देयता समूहों का संवर्धन और वित्त पोषण किया गया।

ई-शक्ति परियोजना स्वयं सहायता समूहों को डिजिटाइज़ करने के उद्देश्य से 15 मार्च 2015 को 02 जिलों में प्रायोगिक रूप से शुरू की गई। 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार 12.33 लाख स्वयं सहायता समूहों से संबंधित आंकड़ों को शक्ति पोर्टल पर अपलोड किया गया जिसमें 281 जिलों के 1.67 लाख गांवों के 140.91 लाख सदस्य शामिल हैं। इस परियोजना ने पोर्टल में इन बिल्ट ग्रेडिंग व्यवस्था के आधार पर बैंकरों को स्वयं सहायता समूहों को ऋण प्रदान करने में सहायता प्रदान की। 31 मार्च 2021 तक इस परियोजना के कारण बैंकों से सहबद्ध समूह में 4.68 लाख (38% समूह) से बढ़कर 6.49 लाख (53% समूह) हो गए। समूहों के सदस्यों को स्थानीय भाषा (10 भाषाएँ) में बैंकिंग-लेनदेन से संबंधित एसएमएस प्राप्त होने के कारण उनका आत्मविश्वास बढ़ा और महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ।

सूक्ष्म उद्यमिता आंदोलन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से नाबार्ड ने दो कौशल निर्माण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों नामतः सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम (एमईडीपी) और आजीविका और उद्यम विकास कार्यक्रम (एलईडीपी) का शुभारंभ किया। 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार वर्ष 2006 से 18434 एमईडीपी के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों के 5.22 लाख सदस्यों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और कुल रु. 35 करोड़ की अनुदान सहायता मंजूर की गई। 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार 1284 एलईडीपी के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों के 1.36 लाख से अधिक सदस्यों को 63 करोड़ की अनुदान की मंजूरी से सहायता प्रदान की गई।

स्वयं सहायता समूह में, महिलाएं मूल रूप से अपने व्यवसाय के विस्तार, शैक्षिक उद्देश्यों या घर की मरम्मत के लिए ऋण का उपयोग करती हैं। इस समूह में बचत सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं बल्कि पैसा कमाने का एक तरीका है।

एसएचजी बैठकों के माध्यम से कन्या भ्रूण हत्या में कमी आई है। एसएचजी ने कन्या भ्रूण हत्या को नियंत्रित करने, भ्रूण के लिंग निर्धारण को रोकने और जबरन गर्भपात को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एसएचजी महिलाओं ने कई गरीब बच्चों को स्थानीय स्कूलों में प्रवेश देकर और उनके स्कूल और छात्रावास की फीस का भुगतान करने के लिए अपने राजनीतिक दल का समर्थन मांगकर उनकी शिक्षा में उनका समर्थन किया है। उनका मानना था कि शिक्षा गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता है। समाज की सेवा करने के लिए आत्मविश्वास और अवसर देने में एसएचजी की बहुत बड़ी

भूमिका है।

स्वयं सहायता समूहों की बैठकों और प्रशिक्षणों ने महिलाओं के आत्मविश्वास को बढ़ाया है। स्वयं सहायता समूहों में शामिल होने से उन्हें व्यवसाय को स्थापित करने या विस्तार करने के लिए वित्तीय सहायता के साथ-साथ व्यवसाय को संभालने का विश्वास मिला।

स्वयं सहायता समूह ने अधिकारों के बारे में एसएचजी सदस्यों की जागरूकता बढ़ाई। सदस्यों को सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने और नेतृत्व करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके परिणामस्वरूप सामाजिक पूंजी में वृद्धि हुई है। इस वृद्धि का एक महत्वपूर्ण उपाय एसएचजी सदस्यों के बीच विश्वास का बढ़ा हुआ स्तर है। इसके परिणामस्वरूप स्वामित्व की भावना भी मजबूत हुई है। एसएचजी से संबंधित बैठकों में भाग लेने के बाद उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ गया। उत्तराधिकार और संपत्ति से संबंधित अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। अधिकांश एसएचजी सदस्य सामाजिक बुराइयों के नकारात्मक प्रभावों को समझते हैं और इसके खिलाफ अपनी राय रखते हैं। महिलाएं अपने घरों में शराब, घरेलू हिंसा और बाल विवाह के खिलाफ अपने विचार रखती हैं। एसएचजी में शामिल होने के बाद परिवार उनका अधिक सम्मान करता है। एसएचजी ने सामाजिक परिवर्तन, विकास और महिलाओं का सशक्तिकरण किया है।

एसएचजी महिलाओं को मातृ, नवजात शिशु और शिशु स्वास्थ्य देखभाल के विषय में भी शिक्षित करते हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं में भी कमी पाई गई है। एसएचजी गतिविधियों में शामिल होने से उनके जीवन में गतिशीलता आई क्योंकि हर सुबह उनके पास घर के काम के अलावा अन्य कारण होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बाहरी दुनिया के लिए भी प्रतिबद्धता होती है। जीवन में इस गतिशीलता ने उन्हें गर्व की भावना दी। सशक्तिकरण प्रक्रिया बहुआयामी है जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक। एसएचजी के सदस्य बनने के बाद उनके परिवार ने उन्हें महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल किया है। अब महिलाएं शिक्षा, कैरियर और विवाह संबंधी निर्णय स्वयं लेती हैं। एसएचजी के परिणामस्वरूप समाज के कमजोर वर्गों के लिए आर्थिक गतिशीलता आई है।

महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में स्वयं सहायता समूह की भूमिका महत्वपूर्ण है। क्षेत्र की महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाकर उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी रेखा के नीचे की महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बना कर स्वरोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं।

कैफे कुडुम्बश्री (केरल में महिलाओं के स्वामित्व वाली और महिलाओं द्वारा संचालित कैंटीन की एक श्रृंखला) जैसे उदाहरण यह सिद्ध करते हैं कि सामाजिक आंदोलन के साधन के रूप में एसएचजी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं और भविष्य में भारत में ये विकास इंजन के रूप में कार्य करेंगे।

कभी घर की चहारदीवारी के अंदर रहकर जीवन यापन करने वाली महिलाओं की जिंदगी में स्वयं सहायता समूह ने एक बड़ा बदलाव लाया है। प्रशिक्षण व जागरूकता के अभाव में चूल्हे चौके तक ही सिमटकर जीवन गुजार रही महिलाएं, अब प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के बाद खुद की मेहनत से तकदीर संवारने में जुट गईं हैं। इससे न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ा है, बल्कि उन्हें आमदनी का एक मजबूत जरिया भी मिल गया है। कुछ ऐसी ही नजीर पेश किया है। महराजगंज जिले के नौतनवा विकास खंड क्षेत्र के रतनपुर गांव में जागृति महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने।

यहां समूह की मुखिया शबीबुन निशा की अगुवाई में करीब 13 महिलाएं सिलाई व कुछ ब्यूटी पार्लर केंद्र संचालित कर अपनी जीविका चला रहीं हैं।

नौतनवा ब्लाक परिसर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सात दिनों का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद समूह की महिलाएं केंद्र संचालित कर सिलाई कर रही है। गांव के बीआरसी परिसर के बगल में स्थित एक निजी भवन में सिलाई के काम में जुटी शहीदुन निशा, बेबी शर्मा, सुधा, हाजरा, सुहाना, पुष्पा शाहजहां, हबीबुन निशा आदि महिलाओं ने बताया कि वे खुद के पैसों को इकट्ठा कर आठ सिलाई मशीन की खरीददारी की। जबकि बाद में उन्हें समूह से भी कुछ सहयोग अनुदान के रूप में प्राप्त हुआ है।

केंद्र सरकार ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को आमदनी के मामले में अच्छी खबर दी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान जम्मू-कश्मीर में बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उनकी सालाना आय बढ़ाने के लिए 'मिशन 1 लाख' की शुरुआत की गई है। उन्होंने पंचायतों से सशक्तिकरण, सार्वजनिक भागीदारी, पारदर्शिता और प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से जन कल्याण सुनिश्चित करने का आह्वान किया। 'मिशन 1 लाख' का उद्देश्य एसएचजी महिलाओं की सालाना आय को 1 लाख रुपये तक पहुंचाना है।

हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं सहायता समूह की बहनों को आत्मनिर्भर भारत की चैंपियन मानते हैं। स्वयं सहायता समूह असल में राष्ट्र सहायता समूह है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत 2014 से पहले के 5 साल में जितनी मदद दी गई, बीते 7 साल में उसमें लगभग 13 गुना बढ़ोतरी की गई है।

हमारे यहां परम्परा से सदियों तक, दशकों तक ऐसी व्यवस्था रही कि घर और हर सम्पत्ति पर पुरुषों को ही अधिकार दिया जाता रहा। घर, खेत हर जगह पुरुषों का ही नाम था। हमारी सरकार इस असमानता को दूर कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे अधिकतर घर महिलाओं के नाम से ही बन रहे हैं। यूपी में 25 लाख महिलाओं के नाम अपना घर हुआ है।

अन्त में यह कहा जा सकता है कि महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

यद्यपि हम महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़े हैं, परंतु अभी एक लंबी दूरी तय करनी शेष है। महिलाओं को सशक्त बनाना हमारे आने वाले कल, हमारे भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। महिलाओं को उनकी क्षमता से अवगत करवाना अब समय की मांग बन चुकी है।

—

महिला सशक्तिकरण में स्वयं-सहायता-समूह की भूमिका

उत्प्रेक्षा कश्यप
एस.डब्ल्यू.ओ.
उनवां पंजाब नैशनल बैंक
सफीरपुर, उन्नाव
उत्तर प्रदेश - 209871

"गोबर के कण्डे पाथते हाथ,
जब पकड़ते हैं कलम,
तो अलग ही वो अहसास होता है।
सखी यूँ तो कमाते हैं वो भी,
लेकिन खुद का कमाया खास होता है।
घूँघट के पीछे छिपी आँखें,
सिर्फ झूठे सपने ही नहीं बुनतीं
उन्हें पूरा करने का भी विश्वास होता है।
कुछ कर दिखाने के सपनों में रंग भरने को
स्वयं सहायता समूह का जरिया जो पास होता है।

कुछ ऐसी ही भावनाएँ होती हैं एक स्त्री की, वो स्त्री जिसे कभी बोझ कहा और समझा जाता था, लेकिन अब उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ है, आजकल उसे कुछ सम्मान जो मिलने लगा है तो अब उसे 'बोझ' न कहकर 'जिम्मेदारी' कहा जाने लगा है।

भारत में यदि बात महानगरों या शहरों की करें तो स्त्रियाँ आज हर क्षेत्र में अपनी योग्यता साबित कर रही हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ हमेशा से व्याकुल थीं, इस जिम्मेदारी को हिस्सेदारी में बदलने के लिए। वह चाहती थी हिस्सेदारी घर में, समाज में, समाज

या घर के लिए, लिए जाने वाले निर्णयों में, घर चलाने के लिए अर्जित करने वाली जीविका के दायित्व में और उनके इन सपनों को साकार होने का जरिया दिया 'स्वयं सहायता समूहों' ने।

स्त्री जो अपनी एक अलग पहचान चाहती थी, अपने लिए घर-परिवार और समाज में थोड़ा सम्मान चाहती थी, वो सब उसे 'स्वयं सहायता समूह' की मदद से मिलने लगा।

वास्तव में स्वयं सहायता समूहों का इतिहास काफी पुराना है। बांग्लादेश के चिटगांव के एक विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को इसका सृजनकर्ता माना जाता है लेकिन भारत की बात करें तो माइक्रो फाइनेन्स के रूप में अहमदाबाद के 'सेल्फ इम्प्लॉयड वूमेन एसोसियेशन' के संस्थापक सदस्य लावेन भाट ने महाराष्ट्र में अन्नपूर्णा महिला मण्डल और 'तमिलनाडु कार्यशील महिला मंच' आदि ने कार्य करना प्रारंभ किया। तत्पश्चात 1991-92 में बड़े पैमाने पर 'राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) ने स्वयं सहायता समूह बैंक संयोजन का कार्यक्रम प्रारंभ किया।

इसी क्रम में भारतीय रिजर्व बैंक ने भी सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को स्वयं सहायता समूहों के बचत खातों को खोलने की अनुमति प्रदान कर दी। आज स्वयं सहायता समूह वित्तीय समावेशन के एक बहुत मजबूत स्तम्भ के रूप में उभरकर सामने आए हैं।

स्वयं सहायता समूह जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें प्रत्येक सदस्य अपनी सहायता से आगे बढ़ता है। आइए इसमें प्रयुक्त तीन शब्दों द्वारा ही इसे समझने का प्रयास करते हैं।

इसका पहला शब्द 'स्वयं' है अर्थात् इसमें शामिल होने वाला सदस्य अपनी इच्छा से इसमें सम्मिलित होता है।

दूसरा शब्द है 'सहायता'। मूलतः यहाँ सहायता का आशय वित्तीय सहायता से है लेकिन एक साथ जुड़ने के बाद अक्सर सदस्य व्यक्तिगत या सामाजिक समस्याओं में भी एक दूसरे की सहायता करते हैं।

'समूह' का अर्थ तो होता ही है कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं का समूह जो आपस में कुछ समानता रखते हैं। अतः स्वयं सहायता समूह से आशय है एक समान आयु वर्ग के कुछ लोगों का समूह जो किसी उद्देश्य के लिए एकत्रित होते हैं और आपस में एक दूसरे की सहायता करते हैं। अगर हम सिर्फ महिलाओं का स्वयं सहायता समूह बनाते हैं तो उसे महिला स्वयं सहायता समूह कहा जाएगा।

वैसे तो स्वयं सहायता समूह महिला और पुरुष दोनों बना सकते हैं लेकिन महिला स्वयं सहायता समूह अधिक चलन में है और अधिक सफल भी है।

इसका एक मनोवैज्ञानिक कारण यह भी है कि महिलाएँ अपनी प्रतिष्ठा को लेकर पुरुषों से अधिक सचेत रहती हैं, अतः महिलाओं को दिया गया ऋण गैर निष्पादित होने की संभावना कम रहती है।

इसका दूसरा कारण यह भी है कि महिलाओं द्वारा अपने दैनिक कार्यों के बाद बचे हुए समय में छोटे-छोटे कुटीर उद्योग करने की संभावना अधिक रहती है।

समूहों का निर्माण करवाने वाले संगठनों द्वारा अक्सर महिलाओं को विभिन्न प्रकार के कौशल प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं जिससे महिलाओं में विभिन्न प्रकार के कौशल विकसित होते हैं।

एक सा घर है,
एक से सुख दुःख,

एक सा खाना पानी है,
हम सब तो हैं अलग-अलग
पर सबकी एक कहानी है,
बहुत हुआ हालात का रोना,
आओ अब रोना छोड़ें,
छोटी-छोटी बचत करें अब,
थोड़ा-थोड़ा सब जोड़ें,
क्यों आस करें, याचना करें,
क्यों निर्भर रहना गैरों पर,
अब चलो करें कुछ ऐसा कि,
हम खुद खड़े हों अपने पैरों पर।

स्वयं सहायता समूह निर्धन और असहाय लोगों का एक छोटा-सा अनौपचारिक समूह होता है। इस समूह के सदस्यों द्वारा छोटी-छोटी बचतों को बचत बैंक में एस.एच.जी. के नाम के एक कॉमन फंड में जमा किया जाता है। जब किसी सदस्य को धन की आवश्यकता होती है तो यह समूह सदस्यों को अपने सामान्य कोष से छोटे ऋण के रूप में धनराशि प्रदान करता है। आमतौर पर इन समूहों में सदस्यों की संख्या 10 से 20 तक होती है।

स्वयं सहायता समूह में शामिल करवाने वाले लोगों को 'एनिमेटर' या 'फैसिलिटेटर' कहा जाता है। देश के कई गैर सरकारी संगठन समूह (SHG) बनवाने की दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहे हैं, जिन्हें नाबार्ड द्वारा सहायता भी प्रदान की जाती है।

आज दुनियाभर में गरीबी से मुकाबला करने के लिए लोग स्वयं सहायता समूहों को लेकर काफी आशान्वित हैं। भारत में 80 फीसदी से अधिक स्वयं सहायता समूह महिलाओं से संबद्ध हैं जिनमें भुगतान की दर 95 फीसदी के आसपास है तथा गैर निष्पादित परिसम्पत्तियों का प्रतिशत बहुत कम है।

अब रोजगार की आस में न शहरों की ओर निहारेंगे,
अपने समूह के द्वारा हम खुद अपना गाँव सँवारेंगे।

स्वयं सहायता समूहों के द्वारा गाँवों से शहरी क्षेत्रों में होने वाले पलायन को और वित्तीय समावेशन जैसे राष्ट्रीय लाभ तो हैं ही लेकिन इसका सबसे सकारात्मक प्रभाव यदि किसी पर होता है तो वह हैं महिलाएँ क्योंकि इसके गठन से लेकर ऋण लेने और उपयोग में लाने तक प्रत्येक चरण पर महिलाओं के व्यक्तित्व का विकास होता है।

सर्वप्रथम जब 10 से 20 की संख्या में महिलाएँ आपस में जुड़ती हैं तो उनमें सामाजिकता का विकास होता है, उन्हें संगठन की शक्ति के बारे में पता चलता है, उनमें आपस में जब परिवार जैसा जुड़ाव हो जाता है तो बचत एवं ऋण आदि से इतर वे अपनी व्यक्तिगत समस्याओं पर भी चर्चा करती हैं और ऐसे में देखा गया है कि अक्सर स्वयं सहायता समूह की महिलाएँ सामाजिक बुराई के निवारण में भी महत्त्वपूर्ण योगदान दे पाती हैं जैसे नशामुक्ति, घरेलू हिंसा, दहेज आदि।

हम जुड़े थे कि समूह बनाना है,
पर साथ ही यह भी ठाना है,
अपना गाँव हो या हो शहर अपना,
हर सामाजिक बुराई को मिटाना है।

कहावत है कि आप किसी का पेट एक दिन भरना चाहते हैं तो आप उसे मछली पकाकर खिला दीजिए और यदि आप चाहते हैं कि उसका पेट रोज भरे तो उसे मछली पकड़ना सिखा दीजिए।

स्वयं सहायता समूहों से जुड़ने के बाद महिलाओं में छोटी-छोटी बचतें करने की आदत विकसित हो जाती हैं, जो महिलाएँ कुछ पैसों के जुड़ने पर साड़ी या पायल खरीदने तक

ही सोच पाती थीं अब वो जानती हैं कि अपनी इन छोटी-छोटी बचतों से वे स्वयं का रोजगार भी शुरू कर सकती हैं।

महिलाओं का आत्मविश्वास तो तब ही बढ़ना प्रारंभ हो जाता है जब वह समूह की मीटिंग में भाग लेती हैं, अपना मत रखती हैं तथा अपना पल्लू संभालती हुई बैंक भी जाती हैं और लेनदेन भी करती हैं।

समूह के सदस्यों का चुनाव करने में जहाँ पदाधिकारियों में नेतृत्व की क्षमता विकसित होती है वहीं अन्य सदस्यों का लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास बढ़ता है। उनमें निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है, वे अपने मत का सही प्रयोग करना सीखती हैं। साथ ही उन्हें अपने एक मत का मूल्य पता चलता है, उसी के चलते पंचायत आदि के चुनावों में उनकी सहभागिता बढ़ जाती है।

महिलाएँ जब समूह द्वारा ऋण लेकर अपने छोटे-छोटे रोजगार करती हैं तो उन्हें स्वयं तो लाभ होता ही है, साथ ही गाँव/शहर एवं राष्ट्र को भी लाभ होता है। समूह द्वारा विभिन्न प्रकार के व्यापार किए जाते हैं जैसे अगरबत्ती बनाना, अचार, पापड़, मुरब्बा बनाना तो जहाँ एक ओर महिलाओं को रोजगार मिलता है तो दूसरी ओर आसपास रहने वालों को उपभोग के लिए नई वस्तुएँ मिलती हैं, साथ ही राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में भी कुछ सकारात्मक योगदान होता है।

अपनी आमदनी होने के बाद महिलाओं का सम्मान आस-पड़ोस और घर में तो बढ़ता ही है, लेकिन जो सबसे महत्त्वपूर्ण है वह है स्वयं की दृष्टि में अपना सम्मान बढ़ना, किसी पर निर्भर न होने का अहसास ही उसको आत्मविश्वास से और गौरव से भर देता है।

समूह की मीटिंग के बाद जब सभी उपस्थित महिलाएँ समूह की चर्चा के बिंदुओं पर हस्ताक्षर करती हैं तो अंगूठा लगाने वाली महिलाएँ भी हस्ताक्षर करती महिलाओं को देखकर हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित होती हैं।

बैंक में खाता खुलवाने के बाद महिला अब अपने बचे हुए पैसे पल्लू में बाँधकर नहीं रखती, न चीनी, चावल के डिब्बों में और न ही घर के ऊपर बने ताख पर क्योंकि वह जानती हैं कि इन सब जगहों पर उसे उसके पैसों पर ब्याज नहीं मिलता, लेकिन बैंक में मिलता है। अतः वह अपनी छोटी-छोटी बचत अब बैंक में जमा करने लगी ती हैं।

राजस्थान के भरतपुर जिले की डींग तहसील में बहताना गाँव की महिलाएँ लपिन वेलफेयर रिसर्च फाउण्डेशन के माध्यम से 'तुलसी माला' निर्माण से प्रतिमाह 4 से 5 हजार रुपये कमा रही हैं। आदिवासी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह अच्छा कार्य कर रहे हैं। झारखंड में हजारीबाग के गाँव में 'जनसेवा परिषद' की स्वयंसेवी महिलाएँ सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण की ओर बढ़ रही हैं।

"राष्ट्र का बढ़ता है सम्मान
महिलाओं को भी मिलती है नई पहचान,
स्वयं सहायता समूहों के महत्त्व से,
सरकार भी नहीं अनजान"

आर्थिक रूप से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए केन्द्र सरकार ने स्वयं सहायता समूह में नौकरी (2022) एवं रोजगार प्रदान करने पर जोर दिया है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रिक्त कोटेदार के पदों पर नियुक्त करने की बात कही है। जिसमें स्वयं सहायता समूह की योग्य महिलाओं को रिक्त हुए कोटेदार के पदों पर नियुक्त किया जाएगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत चल रहे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कोटेदार के पद पर नियुक्त करने की योजना बनाई है

जिसमें महिला एक परीक्षा देने और उत्तीर्ण होने पर कोटेदार के पद पर नियुक्त हो जाएंगी। इस परीक्षा से संबंधित विज्ञापन भी निकाले जाएंगे।

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एस.ए.आर.एस. नामक ब्रांड के तहत एसएचजी की प्रदर्शनियों के व्यवस्थापन हेतु सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

नाबार्ड द्वारा स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान समर्थन तथा समूहों के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण हेतु अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। देश के 150 पिछड़े और वामपंथी अतिवाद प्रभावी जिलों में नाबार्ड द्वारा स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

आज के डिजिटलाइजेशन के युग में स्वयं सहायता समूहों को भी डिजिटलाइज करने हेतु ई-शक्ति नामक पायलट परियोजना बनाई गई है।

सरकार ने स्वयं सहायता समूहों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रूप में शामिल किया है, जिसमें बैंकिंग सेवाओं का विस्तार स्वयं सहायता समूहों के लिए किया जा सके।

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने शहरी स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों विपणन के लिए 'सोन चिरैया' (यह एक ब्रांड और लोगो है) को लॉन्च किया है। यह राष्ट्री शहरी आजीविका मिशन को भी लागू करता है।

सरकार ने स्वयं सहायता समूहों को यह विकल्प दे रखा है कि वे सीधे खेत से उपज बेच सकते हैं या खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करके अच्छी पैकेजिंग के साथ बेच सकते हैं।

यद्यपि स्वयं सहायता समूहों से
राष्ट्र को बहुत आशाएँ हैं,
फिर भी इसके मार्ग में
अब भी कुछ बाधाएँ हैं।

यद्यपि स्वयं सहायता समूह वित्तीय समावेशन के सबसे सशक्त माध्यम के रूप में कार्य कर रहे हैं तथापि इनके मार्ग में कुछ अवरोध हैं जैसे अशिक्षा।

आज के समय में भोजन, वस्त्र और मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के बाद यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है तो वह शिक्षा ही है।

वित्तीय साक्षरता (Financial Literacy) को समझने के लिए महिलाओं का पहले साक्षर होना आवश्यक है, तभी वे धन के हिसाब किताब को समझकर व्यवहार में ला पाएँगी।

समाज का पिछड़ापन भी समूहों के लिए एक बड़ी बाधा है। उनको परिवार का सहयोग प्राप्त न हो पाना भी समस्या है जिसके कारण उन पर बाहर निकलने, बैंक जाने आदि पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं।

'एस.एच.जी. की भविष्य में,
यूँ तो है संभावना अपार,
इसको सुगम बनाने में पर
वाँछित है इसमें कुछ सुधार।'

स्वयं सहायता समूहों को अधिक सुचारु रूप से चलाने के लिए कुछ प्रयास किए जा सकते हैं। जैसे महिलाओं को आधारभूत शिक्षा प्रदान की जाए, जिससे वे समूह के लेन-देन व बैंक के कार्यों को और अधिक अच्छे से समझ सकें।

महिलाओं को वित्तीय साक्षरता प्रदान की जानी चाहिए, जिससे वे धन का सही विनियोजन और प्रयोग सीख सकें। उन्हें सिखाना होगा कि समूह से लिया गया ऋण यदि किसी उत्पादक कार्य में लगाने के स्थान पर अपनी किसी घरेलू आवश्यकता को पूरी करने में लगा देंगी तो उसे वापस करने की संभावना नहीं रहेगी। साथ ही बीच की कड़ियों जैसे फैसेलिटेटर आदि को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि ऋण किसी उत्पादक कार्य में ही प्रयोग हो जिससे ऋण के गैर-

निष्पादित होने की संभावना न रहे।

वित्तीय साक्षरता प्राप्त करने से महिलाओं में सामूहिक सौदेबाजी की क्षमता का भी विकास हो पाएगा।

सामाजिक कुरीतियों को बंद करने के प्रयास भी स्वयं सहायता समूहों की स्थिति में सुधार ला सकते हैं।

केरल में महिलाओं के स्वामित्व वाली और महिलाओं द्वारा ही संचालित कैंटीन की एक श्रृंखला 'कैफे कुडुम्बश्री' के नाम से बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहा है। ऐसे उदाहरण इस बात को बल प्रदान करते हैं कि महिला सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूह अद्‌भुत परिणाम दे रहे हैं।

अत: यदि हम देखें तो स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयास सार्थक होते दिखते हैं, इसीलिए भारत सरकार प्रतिवर्ष स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए समूह को मिलने वाले ब्याज और सब्सिडी कार्यक्रमों को सभी जिलों में विस्तारित कर रही है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 4 लाख स्वयं सहायता समूहों के लिए करीब 1625 करोड़ की पूँजीकरण सहायता राशि जारी की है।

उत्तरप्रदेश बजट 2022 में समूहों की महिलाओं को ऊषा सिलाई स्कूल की तरफ से नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही उनके द्वारा सिले कपड़ों की मार्केटिंग भी की जा रही है। परिणामस्वरूप समूह की महिलाएँ आज हर चुनौती का डटकर मुकाबला कर रही हैं।

पिछले दो सालों में जब विश्व कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा था तब भी समूह की महिलाओं द्वारा मास्क बनाए गए जो विदेशों तक बिके।

अत: हम कह सकते हैं कि स्वयं सहायता समूहों के द्वारा महिलाओं विशेषकर ग्रामीण महिलाओं के व्यक्तित्व का विकास तो होता ही है, साथ ही उन्हें नई पहचान मिलती है।

विश्व का कोई भी देश, राज्य या समाज महिलाओं को साथ लिए बिना विकास का मार्ग तय नहीं कर सकता। स्वयं सहायता समूह आज महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक आन्दोलन की तरह प्रयासरत है।

भारत आज स्वयं सहायता समूहों के संचालन के मामले में विश्व में सर्वोपरि स्थान पर है। महिलाएँ आर्थिक सामाजिक एवं राजनैतिक रूप से भी सशक्त हो रही हैं।

सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की सहायता से स्वयं सहायता समूहों का प्रसार तेजी से हो रहा है और सरकार व समाज दोनों की तरफ से यदि इसी प्रकार सकारात्मक सहयोग मिलता रहा तो भविष्य में स्वयं सहायता समूह हाशिए पर पड़ी महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़कर राष्ट्र निर्माण के एक मजबूत स्तम्भ के रूप में सामने आएगा।

माना वह उड़ नहीं रही
लेकिन बढ़ रही है आगे
क्योंकि उसके कदमों तले,
एक मजबूत जमीन है।
उसे दुनिया को नहीं हराना,
न ही जीतना है आसमान,
लेकिन अपनी मुश्किलों को हराने का यकीन है
वो अनोखी नहीं,
यह जानती है वह भी
लेकिन अपना आप उसके लिए खास हो गया है,
जबसे जुड़ी है समूह से,
उसे खुद पर विश्वास हो गया है।
यह कहानी नहीं किसी एक महिला की,
बल्कि उन सबकी है जो समूह से जुड़ी हैं,
घर की चारदीवारी से बाहर निकल,
सफलता की ओर मुड़ी हैं।

—

महिला सशक्तिकरण में स्वयं-सहायता-समूह की भूमिका

स्नेहा जायसवाल
प्रबंधक
पंजाब एंड सिंध बैंक
ए.आ.बी. आश्रम, दिल्ली-110014

'महिलाओं का सशक्तिकरण हमारे इच्छित भविष्य के निर्माण की कुंजी है।'

—अमर्त्य सेन

प्रस्तावना :

महिलाएं दुनिया की आधी आबादी का गठन करती है। समाज में उनकी भूमिका अपरिहार्य है। लेकिन वे अपने मूल अधिकारी से वंचित है। घरेलू हिंसा, आर्थिक और शैक्षिक भेदभाव, प्रजनन स्वास्थ्य असमानताएँ और हानिकारक पारंपरिक प्रथाएँ, समाज में असमानता का सबसे व्यापक और लगातार रूप है। इसलिए उन्हें सशक्त बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) नामक अवधारणा का विकास, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकारों के लिए अंधेरे में आशा की एक किरण है। यह उन कई समस्याओं को दूर करने की क्षमता रखता है जो महिलाओं को अशक्तता के कारण सामना करना पड़ रहा है और वास्तव में उनके जीवन में काफी बदलाव ला सकता है।

महिला सशक्तिकरण परिभाषा :

महिला सशक्तिकरण एक महिला को एक नया जन्म देने और बिना किसी डर के पहली उड़ान भरने के समान हैं।

महिला सशक्तिकरण को सरलता से एक ऐसे वातावरण के निर्माण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां महिलाओं को अपने जीवन से संबंधित निर्णय लेने की शक्ति दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र (2001) सशक्तिकरण को उन प्रक्रियाओं के रूप में परिभाषित करता है जिसके द्वारा महिलाएं अपनी पसंद के विस्तार के माध्यम से अपने जीवन पर नियंत्रण और स्वामित्व लेती हैं।

महिला सशक्तिकरण विभिन्न स्तरों के पदानुक्रम में होता है व्यक्तिगत, घरेलू, समुदाय और सामाजिक।

भूमिका :

'एक महिला टी बैग की तरह होती है – आप यह नहीं बता सकते कि यह कितनी मजबूत है जब तक आप उसे गर्म पानी में नहीं डालते।'

–एलेनोर रोसवेल्ट

महिला सशक्तिकरण आयाम

जब है नारी में शक्ति सारी तो फिर क्यों नारी को कहे बेचारी

सशक्तिकरण को प्रक्रिया या परिणाम के एक पहलू तक सीमित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार महिला सशक्तिकरण जीवन के उन सभी क्षेत्रों को समाहित करता है जिनका महिलाओं पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

चेन और महमूद ने सशक्तिकरण के चार आयाम दिए हैं अर्थात् भौतिक, सृजानात्मक अवधारणात्मक और संबंधपरक।

- महिलाओं के भौतिक संसाधन आधार के विस्तार के माध्यम से भौतिक सशक्तिकरण होता है।
- संज्ञानात्मक सशक्तिकरण महिलाओं की अपनी क्षमताओं और कौशल की पहचान से होता है।
- अवधारणात्मक सशक्तिकरण उन परिवर्तनी के माध्यम से होता है कि दूसरे उन्हें कैसे समझते हैं।
- संबंधपरक सशक्तिकरण परिवार के भीतर और अंदर लिंग संबंधों में परिवर्तन के माध्यम से होता है।

माना जाता है कि महिला सशक्तिकरण के चार आयाम है – व्यक्तिगत, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। यह धारणा गलत है कि महिला सशक्तिकरण का सीधा संबंध राजनीतिक सशक्तिकरण से है। सशक्तिकरण अनिवार्य रूप से एक व्यक्तिगत, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक आयामों वाली एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तिगत सशक्तिकरण, सशक्तिकरण प्रक्रिया का मूल है। वास्तव में, यह कहा जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण के आयामों की उपस्थिति उनके जीवन को प्रभावित करने वाले प्रत्येक पहलू में है।

'एक आवाज वाली महिला, परिभाषा के अनुसार, एक मजबूत महिला है।'

–मेलिंडा गेट्स

स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) परिभाषा

'महिला स्वयं सहायता समूह आत्मनिर्भर भारत अभियान की चैम्पियन है।'

–पीएम मोदी

एक स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) ग्रामीण गरीबों का एक समूह है जिन्होंने सदस्यों की गरीबी उन्मूलन के लिए स्वयं को एक समूह में संगठित करने के लिए स्वेच्छा से किया है। वे नियमित रूप से बचत करने और अपनी बचत को समूह कोष के रूप में सात एक सामान्य कोष में बदलने के लिए सहमत है। एक एसएचजी को उन गरीब लोगों के एक छोटे से स्वैच्छिक संघ के रूप में भी देखा जा सकता है, जो कि

अधिमानता एक ही सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से हैं। वे स्वयं सहायता और पारस्परिक सहायता के माध्यम से अपनी सामान्य समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से एक साथ आते है। एसएचजी अपने सदस्यों के बीच छोटी बचत को बढ़ावा देता है। आमतौर पर एक एसएचजी में सदस्यों की संख्या बीस से अधिक नहीं होती है। इसके अलावा, एक स्वयं सहायता समूह का एक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिससे एक अपेक्षाकृत सजातीय आर्थिक वर्ग (अर्थात् गरीब) से लिए गए 10-20 सदस्य होते हैं, जो मौजूदा समानता और आपसी विश्वास के आधार पर स्वयं चुने जाते हैं। सदस्य एक निश्चित समय और स्थान पर नियमित रूप से मिलते हैं और अपनी बचत को एक सामान्य निधि में जमा करते हैं जिससे वे आवश्यकता आधारित ऋण लेते हैं।

एसएचजी की अवधारणा :

'सशक्त महिलाएं माप से परे शक्तिशाली और वर्णन से परे सुंदर है'।

–डॉ. स्टीव मारबोली

एसएचजी महिलाओं द्वारा इसमें सदस्यों के लिए माइक्रोक्रेडिट बढ़ाने के लिए गठित एक स्वैच्छिक संगठन है, और महिला सदस्यों की उद्यमशीलता की गतिविधियों जैसे कि कैंटीन, छोटी दुकानें आदि चलाने के लिए मिलता है। यह स्वयं सहायता समूह महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए स्थापित किया गया था, और महिलाओं के सशक्तिकरण से न केवल उनके जीवन में सुधार होगा, बल्कि यह पूरे परिवार में भी सुधार करेगा जो देश के आर्थिक विकास में भी योगदान देता है। महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूहों की मूल बातें निम्न है :

- यह महिलाओं को कम पूंजी निवेश के साथ और स्वयं सदस्यों को रोजगार देकर नए छोटे उद्यम बनाने में मदद करता है।
- यह महिलाओं के रोजगार के अवसर में सुधार करता है, परिवार के सकल घरेलू उत्पाद और अर्थव्यवस्थाओं के सकल घरेलू उत्पाद को भी बढ़ाता है।
- यह माइक्रोकेडिट के सबसे आसान तरीके को बढ़ाने में मदद करता है।
- इस कार्यक्रम के कारण महिला समूह सामाजिक मुद्दों के बारे में आगे होने लगती है और ये एक परिवार में बालिकाओं को शिक्षित करने का प्रयास कर महिला साक्षरता दर में सहयोग करती है।

एसएचजी की अवधारणा निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है :

- आपसी मदद से पूरक, स्वयं सहायता गरीबी के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक शक्तिशाली वाहन है;
- सहभागी वित्तीय सेवा प्रबंधन अधिक उत्तरदायी और कुशल है;
- गरीबों को न केवल ऋण सहायता, बल्कि बचत और अन्य सेवाओं की भी आवश्यकता है;
- गरीब बचत कर सकते हैं और बैंकिंग करने योग्य हो गए हैं;
- नियमित आधार पर छोटी बचतों में अंशदान करके एक साझा कोष का निर्माण;
- कार्य करने की लचीली लोकतांत्रिक प्रणाली;
- ऋण मुख्य रूप से कम दस्तावेज के साथ भरोसे पर बिना किसी सुरक्षा के दिया जाता है;
- उधार दी गई राशियाँ छोटी, नित्य और कम अवधि के लिए होती है;

- ऋण चुकाने में चूक मुख्य रूप से समूह के दबाव के कारण दुर्लभ है;

'एक रानी की तरह सोचो। एक रानी असफल होने से नहीं डरती। असफलता, महानता की ओर एक और कदम है।'

–ओपरा विनफ्रे

महिला सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की भूमिका :

'स्वयं सहायता की भावना व्यक्ति में सभी वास्तविक विकास की जड़ है।'

–सेमुएल स्माइल्स

स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं की भागीदारी का सशक्तिकरण पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा है। यह महिलाओं को उनकी अनूठी क्षमता को समझने और महसूस करने, स्वतंत्र रूप से सोचने और कार्य करने के लिए साहस विकसित करने, अपनी इच्छा व्यक्त करने, पीड़ित होने, महसूस करने, बोलने और स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने और उनके विशिष्ट विकास और विकास का पता लगाने में मदद करता है। महत्वपूर्ण रूप से, लगभग सभी महिलाओं के पास भविष्य के लिए लक्ष्य होते हैं, जो शायद उनकी आत्म-प्रभावकारिता की अधिक भावना और उन्हें महसूस करने की उनकी क्षमता में विश्वास से जुड़े होते हैं।

यद्यपि विभिन्न लेखकों ने महिला सशक्तिकरण आयामों के लिए अलग-अलग संख्या और शीर्षक दिए हैं, इन सभी आयामों को सरलता के लिए पांच आयामों में बांटा गया है। वे है आर्थिक (भौतिक), मनोवैज्ञानिक (संज्ञानात्मक) संबंधपरक, सामाजिक और राजनीतिक आयाम। स्वयं सहायता समूह में भागीदारी करने से महिलाओं में मुख्य रूप से आर्थिक सशक्तिकरण में मदद होती है जिसके परिणामस्वरूप मनोवैज्ञानिक किरण होता है जिसके परिणामस्वरूप संबंधपरक सशक्तिकरण होता है जिसके परिणामस्वरूप प्रबंधकीय सशक्तिकरण होता है और अंत में राजनीतिक सशक्तिकरण जो कि उच्चतम स्तर का सशक्तिकरण है। सशक्तिकरण के प्रत्येक आयाम के उप आयास नीचे दिए गए हैं -

1. आर्थिक (भौतिक) सशक्तिकरण :

'जब महिलाएं अर्थव्यवस्था में भाग लेती है, तो सभी को लाभ होता है।'

–हिलेरी क्लिंटन

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका के परिणाम स्वरूप महिलाओं में निम्नलिखित परिवर्तन देखे गए हैं :–

- उनके भौतिक संसाधन आधार का विस्तार
- उनमें बड़ी और छोटी खरीदारी करने की क्षमता आना,
- सूक्ष्म और लघु उद्यम शुरू करने में सक्षम हो जाना,
- आय और खपत में कमी कर पाना
- संपत्ति का निर्माण करने योग्य हो जाना
- घर, जमीन, नकद बचत आदि सहित उत्पादक संपत्तियों का स्वामित्व पाना
- आर्थिक सुरक्षा एवं आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण कर पाना
- अपनी आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधन तक पहुंच जाना
- शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और विवाह आदि पर निवेश करने में सक्षम हो जाना परिवार को आपातकालीन सहायता प्रदान करना
- दैनिक जीवन का अभिन्न अंग होने वाले खर्चे को पूरा

करना एवं गरीबी में कमी

- पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता में कमी

इस प्रकार महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण प्राप्त हो रहा है।

2. मनोवैज्ञानिक (संज्ञानात्मक) सशक्तिकरण :

'स्त्री का शारीरिक सामर्थ्य भले ही कम हो, उसकी वाणी में असीम सामर्थ्य है।'

–लक्ष्मीबाई 'केलकर

महिलाओं के मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका के परिणाम स्वरूप महिलाओं में निम्नलिखित परिवर्तन देखे गए हैं :-

- उनके साहस व आत्म योग्यता में वृद्धि सम्मान और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी
- आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के कारण स्वयं की क्षमताओं और कौशल की पहचान
- अपनी पहचान, क्षमता, ताकत और शक्ति का एहसास करने में सक्षम
- अपने लक्ष्यों को परिभाषित करने और उन पर कार्य करने की क्षमता
- भविष्य के लिए लक्ष्य रखना और अधिक आत्म-प्रभावकारिता की भावना से जुड़ जाना
- परिवर्तन के लिए स्वयं की आकांक्षाओं और रणनीतियों की अभिव्यक्ति करना
- उनमें अपनी क्षमताओं के बारे में जागरु कता बढ़ना
- अंतर्निहित शक्तियों और सकारात्मक आत्म छवि में वृद्धि
- शर्म को दूर कर और सार्वजनिक मंचों पर आत्मविश्वास से बात करने और कार्य करने में सक्षम हो जाना;
- उनकी साक्षरता स्तर में सुधार एवं उनकी जागरूकता और ज्ञान में वृद्धि;
- स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं अधिकारों के प्रति जागरूकता;
- बच्चों की शिक्षा, भोजन और पोषण एवं पर्यावरण पर जागरूकता;

संक्षेप में कह सकते हैं कि महिलाएं अब 'शांत', 'स्वतंत्र' और 'खुश' महसूस करती है और कहती है कि वे 'उनकी कठिनाइयों का अंत' का अनुभव करती है और वे उनका 'बेहतर सामना' कर सकती हैं।

3. संबंधपरक (परिवार और समाज) सशक्तिकरण :

जीवन की कला को अपने हाथों से साकार कर नारी ने संस्कृति का रूप निखारा है, नारी का अस्तित्व ही सुंदर जीवन का आधार है।

आर्थिक और मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण के परिणामस्वरूप महिलाओं को परिवार के साथ-साथ समाज में भी अहमियत प्राप्त हुई है। इस प्रकार, परिवार के साथ-साथ समाज में भी लिंग संबंधों में परिवर्तन हो रहा है। महिलाओं के संबंधपरक सशक्तिकरण को निम्नलिखित पहलुओं मे पाया गया है।

- परिवार में उनके योगदान के कारण घर में स्थिति और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार;
- पति/घर/समाज के नजरिए में बदलाव;
- परिवार के भीतर और व्यापक समाज में लिंग संबंध में परिवर्तन;
- परिवार के अन्य सदस्यों की तरह सौदा शक्ति में वृद्धि
- कमाई के उद्देश्य से भूमि या रिक्शा या पशुधन की खरीद जैसे प्रमुख निर्णय लेने में महिलाओं का शामिल होना;
- लिंग आधारित हिंसा में कमी;
- सार्वजनिक क्षेत्र में प्रभावी ढंग से बातचीत करने की

क्षमता;

- समाज में उनकी पहचान में वृद्धि;

संक्षेप में, वे परिवार में आर्थिक परिवर्तन के प्रतिनिधि और समाज में सामाजिक परिवर्तन के प्रतिनिधि बन गए है।

4. प्रबंधकीय अधिकारिता :

'महिलाएं दुनिया में प्रतिभा का सबसे बड़ा अप्रयुक्त भंडार है।'

–हिलेरी क्लिंटन

स्वयं सहायता समूह में महिलाओं के प्रबंधकीय क्षमताओं वाली भागीदारी के परिणामस्वरूप निम्नलिखित प्रभाव देखे गए हैं :-

- स्वयं को समूहों में संगठित करने और सामूहिक हित तैयार करने में सक्षम;
- समूह प्रबंधन आना;
- स्वतंत्र रूप से विचारों को संप्रेषित करने में सक्षम होना,
- सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने में सक्षम होना;
- अपनी आकांक्षाओं को प्राप्त करने में सक्षम
- समूह के नेताओं के रूप में योजना, समन्वय, निर्णय लेने और वित्तीय कौशल में विकास होना;
- सामाजिक पूंजी का निर्माण, जहां लोग एक समूह या संगठन में एक समान उद्देश्य के लिए मिलकर काम करना सीखते हैं।

संक्षेप में, गरीब लोगों के बारे में कुछ गलत धारणाएं थी कि उन्हें नरम शर्तों पर ब्याज की रियायती दरों पर ऋण की आवश्यकता होती है, उनके पास कौशल, बचत करने की क्षमता, ऋण योग्यता की कमी होती है और इसलिए वे बैंक योग्य नहीं होते हैं। परन्तु इन स्वयं सहायता समूहों के अनुभवों से पता चलता है कि ग्रामीण गरीब वास्तव में ऋण और वित के कुशल प्रबंधक हैं। उनके उद्यमों में सब्सिडी के बजाय समय पर और पर्याप्त ऋण की उपलब्धता आवश्यक है।

5. राजनीतिक अधिकारिता राजनीति में एक कहावत है,

"किसी भी सभ्यता में जिस समुदाय को शासन करने का अवसर नहीं मिलेगा यह है नष्ट हो जाएगा"।

महिलाओं को इससे छूट नहीं है। यदि उन्हें राजनीतिक रूप से सशक्त नहीं किया गया तो उनके मूल अधिकार खतरे में पड़ जाएगे। महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका पर शोध करने वाले विद्वानों ने पाया है। हालांकि महिलाओं को राजनीति में शामिल होने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, उनका ऐसा मानना कि पुरुष ही राजनीतिक स्क्रीन अभिनेता है, यह धारणा कि चुनाव लड़ने के लिए भारी धन की आवश्यकता होती है और फिर भी जीत निश्चित नहीं है आदि।

लेकिन स्वयं सहायता समूहों में उनकी भागीदारी ने उन्हें बदल दिया है, और ये महिलाएं स्थानीय राजनीतिक क्षेत्र में संभावित नेता है। यह इस तथ्य के कारण है कि समूह के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया एक सशक्त प्रक्रिया है और इस प्रकार एक व्यापक विकास परिणाम हो सकते हैं, जैसे स्थानीय सरकारी प्रक्रियाओं में महिलाओं की अधिक भागीदारी, और इसी तरह और भी। इसके अलावा, राजनीतिक जागरुकता में वृद्धि जैसे प्रमुख राष्ट्रीय और राजनीतिक हस्तियों के ज्ञान और विरासत पर कानून और विभिन्न प्रकार की राजनीतिक कार्रवाई में भागीदारी ने इसे बढ़ावा दिया है।

'महिलाओं के रूप में हम क्या हासिल कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है।'

–मिशेल ओबामा

निष्कर्ष :

'हमें शीर्ष सहित सभी स्तर पर महिलाओं की आवश्यकता है,

(शेष पृष्ठ 58 पर)

महिला सशक्तिकरण में स्वयं-सहायता-समूह की भूमिका

नेहा गुप्ता
वरिष्ठ सहयोगी
भारतीय स्टेट बैंक, प्रशासन कार्यालय विभाग
भारतीय स्टेट ग्लोबल आईटी सेंटर
कार्यालय प्रशासन विभाग, प्रथम तल, सी विंग
सीबीडी बेलापुर, सेक्टर - 11, नवी मुंबई - 400614

"हमारी बस्तियों में लाखों महिलाएं जानती हैं कि बेरोजगारी का क्या मतलब है... उन्हें आर्थिक गतिविधियों तक पहुंच प्रदान करें और उनकी पहुँच सत्ता और आत्मविश्वास तक होगी, जिससे वे अब तक अनभिज्ञ रही हैं।"

–महात्मा गांधी, यंग इंडिया (1930)

प्रस्तावना

स्वयं सहायता समूह एक ही सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों का छोटा स्वैच्छिक संघ होता है जिसका उद्देश्य स्वयं सहायता और पारस्परिक सहायता के माध्यम से उनकी सामान्य समस्याओं को हल करना है। भारत में, स्वयं सहायता समूह महिला उन्मुख हैं और उनकी अधिकांश गतिविधियाँ बचत और ऋण की ओर केंद्रित हैं। यह देखना दिलचस्प है कि महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करने की दिशा में कई प्रयासों के बावजूद, सुधार की पर्याप्त गुंजाइश है। इस प्रकार, अगले कुछ खंडों में, हम महिला सशक्तिकरण की विभिन्न चुनौतियों और उनके समाधानों में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका पर चर्चा करेंगे।

भारत में महिला सशक्तिकरण की पृष्ठभूमि

यह आश्चर्यजनक और निराशाजनक दोनों है कि भारत ने वर्ष 2021 में केवल 22.3% महिला श्रम बल (लेबर फोर्स) की भागीदारी दर्ज की, जो वर्ष 1990 में 30.3% थी। भले ही कामकाजी महिलाओं

की संख्या लगभग 43.2 करोड़ है, लेकिन उनमें से लगभग 34.3 करोड़ की वेतन वाली औपचारिक नौकरी नहीं हैं। एक अनुमान के अनुसार 32.4 करोड़ महिलाएं श्रम बल का हिस्सा ही नहीं हैं, और अन्य 1.9 करोड़ श्रम शक्ति का हिस्सा हैं लेकिन नियोजित नहीं हैं। बेशक, हम जानते हैं कि जब वित्तीय निर्णय लेने की बात आती है तो महिलाएं महान होती हैं लेकिन यह काफी हद तक अपने घरों तक ही सीमित होती है। इसलिए औपचारिक अर्थव्यवस्था में उनकी भागीदारी नगण्य रही है।

एक ऐसे देश में जो रोजगार के अवसरों, शहरीकरण और नवाचार (इनोवेशन) के विकास के मामले में तेजी से परिवर्तन के कगार पर है, अर्थव्यवस्था में महिला भागीदारी महत्वपूर्ण है। भारत विश्व स्तर पर एक गहरी पितृसत्ता वाले समाज के रूप में खड़ा है। जहां भले ही महिलाएं रोजगार प्राप्त करना चाहती हों, लेकिन महिला की 'घरेलू जिम्मेदारी की सामाजिक परंपरा' उनकी आर्थिक उन्नति और अवसरों तक पहुंच को उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में सीमित करती है। इस मानसिकता से बाहर आने के लिए, भारत सरकार ने मुद्रा योजना, उद्योगिनी योजना, अन्नपूर्णा योजना और स्टैंड अप इंडिया जैसी कई योजनाएं शुरू की हैं जो महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करती हैं।

हालांकि, भारत में सरकार द्वारा महिला उद्यमियों के लिए बेहतर माहौल बनाने के प्रयासों के बावजूद, वित्त की व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। परिवार के पास खर्च करने योग्य आय होने के बाद भी, परिवार के प्रमुख सदस्य अक्सर एक महिला की वित्तीय स्वतंत्रता में योगदान देने से बचते हैं। इसके अलावा, अगर महिलाएं ऋण के लिए आवेदन करने का प्रबंध कर लेती हैं, फिर भी जिस संपार्श्विक (कोलेट्रल) की पेशकश की जाती है, जैसे संपत्ति आदि, अक्सर उनके पति के नाम पर होती है, जो आगे उद्यम शुरू करने में एक नकारात्मक भूमिका निभाती है। सामाजिक रूढ़ियों की वजह से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलने के परिणामस्वरूप ना केवल महिलाओं की महत्वकांक्षाएँ अधूरी रह जाती है, बल्कि सामाजिक क्षेत्र में एजेंसी या गतिशीलता प्राप्त करके आत्मनिर्भर बनने के उनके अवसर भी सीमित हो जाते है।

महिला सशक्तिकरण पर भारत की कहानी सरकार और नागरिक समाज संगठनों द्वारा अपनाई गई आधारभूत योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरी नहीं होती है। संघीय और राज्य सरकारों ने शहरी और ग्रामीण महिलाओं दोनों को सशक्त बनाने के लिए नई योजनाएं, नीतियां और कार्यक्रम शुरू किए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ', प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं को गैस कनेक्शन प्रदान करने की योजना) और महिला ई-हाट सहित लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख योजनाएं शुरू की हैं। 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ' योजना जनवरी 2015 में लिंग विषम अनुपात के मुद्दे को हल करने और बालिकाओं के लिए अधिक कल्याण उत्पन्न करने के लिए शुरू की गई थी। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और उत्तराखंड सहित, ज्यादातर उत्तरी भारत पर, जहां लिंग अनुपात व्यापक है, ध्यान केंद्रित किया गया है। 'महिला-ई-हाट परियोजना' एक ऑनलाइन विपणन अभियान है जिसे 2016 में शुरू किया गया था। यह महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) का समर्थन करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। प्रत्येक योजना का अपना अनूठा उद्देश्य होता है, जिसमें बालिकाओं के कल्याण और सामुदायिक जुड़ाव से लेकर इच्छुक महिला उद्यमियों का समर्थन करना शामिल है।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए भारत जापानी मॉडल से कुछ सीख ले सकता है। टोक्यो की महिला श्रम शक्ति भागीदारी 'वुमेनोमिक्स योजना' के तहत

नीति, जनसांख्यिकीय और आर्थिक कारकों के कारण वर्ष 2000 में लगभग 66.5 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2016 में 76.3 प्रतिशत हो गई है। समय के साथ इसकी नीतियों में काफी बदलाव आया है, जिसमें मौजूदा श्रम कानूनों में संशोधन, नए भेदभाव-विरोधी प्रावधान शुरू करना और बाल देखभाल नीतियों को बढ़ाना शामिल है। नए और मौजूदा कानून को लागू करने और मजबूत करने से महिलाओं को कार्यबल में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है तथा शादी और बच्चों के शुरुआती वर्षों के दौरान काम करना जारी रखा जा सकता है। हालांकि भारत में सबसे उदार मातृत्व अवकाश नीतियां है, किन्तु यह कामकाजी महिलाओं के एक छोटे से वर्ग पर ही लागू होती है। इन मॉडलों का बारीकी से अध्ययन करना उपयोगी हो सकता है तथा उन्हें भारतीय परिवेश के संदर्भ में और परिष्कृत करने की आवश्यकता है।

स्वयं सहायता समूहों की भूमिका

एसएचजी महिला उद्यमियों को उनके व्यवसाय के लिए सूक्ष्म ऋण प्रदान करते हैं, साथ ही उनके लिए निर्णय लेने के कौशल विकसित करने के लिए एक वातावरण भी बनाते हैं। भारत में, एसएचजी आंदोलन 1980 के दशक में शुरू हुआ, जब कई गैर-सरकारी संगठनों ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब समुदायों को संगठित किया और उन्हें सामाजिक और वित्तीय सहायता के लिए औपचारिक चैनल की पेशकश की। इस कार्यक्रम ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के साथ, ऐसे समूहों की एक छोटी संख्या को बैंकों के साथ जोड़कर गति प्राप्त की, इसे स्व-सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम कहा गया। इस क्रांतिकारी पहल ने समूह के सदस्यों, जिनमें से कई के पास पहले कभी बैंक खाता नहीं था, को एक बड़े पैमाने पर औपचारिक वित्तीय सेवाओं के साथ जोड़ा।

महाराष्ट्र इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे एसएचजी महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद कर सकता है। महाराष्ट्र में एसएचजी की अवधारणा 1947 से पहले की है, जब अमरावती जिले की कुछ महिलाओं ने केवल 25 पैसे के साथ एसएचजी की स्थापना की थी। आज, राज्य में ऋण के लिए एक माध्यम होने के अलावा, स्वयं सहायता समूह महिला उद्यमियों के लिए उद्यमशीलता प्रशिक्षण, आजीविका संवर्धन और सामुदायिक विकास की सेवाएं भी प्रदान करते हैं। एसएचजी जैसे महिला आर्थिक विकास महिला मंडल, महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास विभाग के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 'उमेद अभियान', और 'तेजस्विनी' जैसी सरकारी योजनाएं, महिला सशक्तिकरण के कारण महिला उद्यमिता के विकास में फायदेमंद साबित हुई हैं। अश्विनी देशपांडे और शांतनु खन्ना द्वारा 2020 में किए गए एक अध्ययन में बताया गया है कि महाराष्ट्र में एसएचजी का राज्य में महिला सशक्तिकरण से संबंधित कई संकेतकों पर एक मजबूत प्रभाव पड़ा है, जिसमें राजनीतिक भागीदारी, प्रशासन का ज्ञान, वित्तीय साक्षरता, गतिशीलता और निर्णय लेने शामिल हैं। अकेले महाराष्ट्र में 527,000 एसएचजी ने भारत में सभी महिलाओं के नेतृत्व वाली लघु-स्तरीय औद्योगिक इकाइयों के 50% से अधिक के लिए लेखांकन में भूमिका निभाई है, जो दर्शाता है कि एसएचजी महिला उद्यमिता के समग्र विकास का नेतृत्व कर सकते हैं।

स्वयं सहायता समूह आज अत्यधिक प्रासंगिक हैं क्योंकि सूक्ष्म ऋणों का उनका प्रावधान क्षेत्रीय असंतुलन और सूचना विषमताओं को दूर करने में मदद करता है, इस प्रकार महिलाओं के लिए संसाधनों तक पहुंच के मामले में एक समान अवसर प्रदान करता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किए गए बहुआयामी 'आई एफ एम आर' अध्ययन ने एसएचजी के आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किया। इस प्रकार उन घरों में खपत, व्यय और बचत अध्ययन में पाया गया कि एसएचजी द्वारा सहायता प्राप्त महिलाओं की

नियमित आधार पर बचत करने की संभावना 10% अधिक थी, जिसके परिणामस्वरूप उनका आर्थिक सशक्तिकरण हुआ।

स्वयं सहायता समूहों ने जो क्रांतिकारी गति पैदा की है, उसने महिलाओं को आत्मानिर्भर बनने की उनकी यात्रा में आत्म-आश्वासन की एक महत्वपूर्ण भावना दी है। उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, वैश्विक स्तर पर निगमों और फाउंडेशनों ने महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण हासिल करने में मदद करने के लिए एसएचजी के नेतृत्व वाले कार्यक्रम तैयार किए हैं। उदाहरण के लिए, एडेलगिव फाउंडेशनों द्वारा उद्यमस्त्री अभियान जैसी पहलों ने एमएवीआईएम जैसे एसएचजी और अन्य संबंधित हितधारकों का लाभ उठाकर अन्य राज्यों के अलावा महाराष्ट्र और राजस्थान में महिला उद्यमियों पर ध्यान केंद्रित किया है। फेसबुक की 'प्रगति' और गूगल की 'वीमेन विल' ने भी महिला उद्यमियों के लिए समान अवसर प्रदान करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। एसएचजी बंधक-मुक्त सूक्ष्म-ऋण के साथ अपने लाभार्थियों के साथ जो ट्रस्ट बनाते हैं, वे महिलाओं के लिए सामाजिक-आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए भारत के सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक हैं।

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वैचारिक ढांचा

अधिकारिता शब्द लोगों और समुदायों में स्वायत्तता और आत्मनिर्णय की क्षमता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए उपायों को संदर्भित करता है, ताकि वे अपने स्वयं के अधिकार पर कार्य करते हुए एक जिम्मेदार और आत्म-निर्धारित तरीके से अपने हितों का प्रतिनिधित्व कर सकें। यह मजबूत और अधिक आत्मविश्वासी बनने की प्रक्रिया है। उपलब्ध माध्यमिक संसाधनों की मदद से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चार पैरों वाला ढांचा विकसित किया जा सकता है। स्वयं सहायता समूह इस ढांचे का उपयोग महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। इस ढांचे के चार चरणों को नीचे के उपखंडों में समझाया गया है :

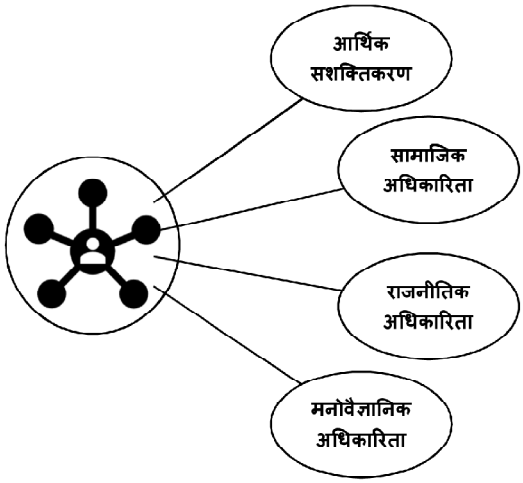

आर्थिक सशक्तिकरण : 'आर्थिक सशक्तिकरण' को आर्थिक गतिविधि में संलग्न होने के लिए ऐतिहासिक रूप से वंचितों की क्षमता के विकास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो प्रभावित व्यक्तियों और व्यापक समाज दोनों को लाभान्वित करता है। इसे उन लोगों, जो सामाजिक कल्याण प्रणाली पर निर्भर हैं, की मदद करने के अधिक उत्पादक और कम खर्चीले तरीके के रूप में देखा जाता है। व्यक्तियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए सशक्त बनाकर, उन्हें कल्याणकारी पेरोल से हटा दिया जाता है। आर्थिक सशक्तिकरण अक्सर उन महिलाओं पर लागू होता है जो शिक्षा और पेशेवर अवसरों में भेदभाव के अधीन रही हैं। ये महिलाएं अनिवार्य रूप से आर्थिक रूप से वंचित नहीं हैं, लेकिन सांस्कृतिक या धार्मिक बाधाओं के कारण उन्हें आत्मनिर्भर बनने के अवसरों से वंचित कर दिया गया है। महिलाओं का आर्थिक योगदान समाज में उनकी भूमिका और स्थिति से संबंधित पाया गया है। स्वयं सहायता समूह महिलाओं को आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियाँ प्रदान करके आर्थिक

लाभ प्रदान करते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता लैंगिक समानता लाने में मदद करती है और महिलाओं की आय में वृद्धि परिवार की भलाई में अधिक योगदान करती है।

सामाजिक अधिकारिता : स्वयं सहायता समूह जीवन के लोकतांत्रिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में प्रतिभागियों, निर्णय निर्माताओं और लाभार्थियों के रूप में महिलाओं की स्थिति की समानता सुनिश्चित करते हैं। व्यक्तिगत सामाजिक समर्थन सामाजिक समावेशन के लिए एक विशिष्ट और अनुरूप दृष्टिकोण है जहां एक व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्थिति और वातावरण में बढ़ने के लिए साथ दिया जाता है। जैसा कि भारत के उत्तर पूर्व राज्यों से स्पष्ट है, महिलाओं को सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का एक तरीका संपत्ति पर उनके अधिकार को बढ़ाना है।

राजनीतिक अधिकारिता : समय-समय पर किए गए शोध अध्ययनों में पाया गया है कि राजनीतिक सशक्तिकरण को महिलाओं के जीवन में कोई स्थान नहीं मिलता है। एसएचजी की महिलाएं राजनीतिक रूप से सशक्त नहीं हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए, उन्हें नियमित रूप से राजनीतिक बैठकों में भाग लेने और निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने की आवश्यकता है। उन्हें चुनाव प्रचार में भाग लेना चाहिए। एसएचजी महिलाओं को ग्राम सभा, सार्वजनिक बैठकों आदि में बोलने के लिए अपने संचार कौशल को विकसित करने में सक्षम बनाता है। एक एसएचजी अपनी नियमित बैठकों के माध्यम से कार्य करता है, जहां सदस्य लेनदेन संबंधी गतिविधियां करते हैं और विभिन्न संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हैं। राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सामाजिक लामबंदी अपरिहार्य है।

मनोवैज्ञानिक अधिकारिता : स्वयं सहायता समूह जीवन के लोकतांत्रिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में प्रतिभागियों, निर्णयकर्ताओं और लाभार्थियों के रूप में महिलाओं की समानता को बढ़ाते हैं। एसएचजी ग्रामीण महिलाओं के मन में अपने दैनिक जीवन में सफलता के लिए एक बड़ा विश्वास पैदा करते हैं। महिलाओं को मनोवैज्ञानिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि रिवर्स साइकोलॉजी यहां बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसका मतलब है कि एक बार जब हम महिलाओं को उनकी क्षमताओं के बारे में बताना शुरू कर देंगे, तो वे अंततः खुद पर विश्वास करना शुरू कर देंगी और इस तरह उनका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। साथ ही, यदि महिलाओं को उन कार्यक्रमों, चर्चाओं और सत्रों में भाग लेने के लिए सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए जाते हैं, जो इस बात के इर्द-गिर्द घूमते हैं कि वे (महिलाएं) किसी समाज का आधार कैसे बनाती हैं, तो इससे उनके आत्म-सम्मान और आत्म-मूल्य में वृद्धि हो सकती है। इतना ही नहीं, बल्कि स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) महिलाओं को उनकी असुरक्षा और कमजोरियों से मुक्त होने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि एक स्वयं सहायता समूह को समाज में बदलाव लाने के सबसे प्रभावी तरीके के रूप में देखा जाता है।

निष्कर्ष : सामाजिक-राजनीतिक कारणों से भारत में महिलाओं को सशक्त बनाना एक कठिन मामला रहा है। हालांकि, स्वयं सहायता समूह इस संबंध में एक असाधारण कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। एक संभावित समाधान जिसका उपयोग एसएचजी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कर सकते हैं, वह है इस निबंध में सुझाए गए ढांचे को लागू करना। यह उन चार पैरों पर ध्यान केंद्रित करके किया जा सकता है जिन पर महिला सशक्तिकरण खड़ा है। इन पैरों में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण शामिल हैं। यदि स्वयं सहायता समूहों द्वारा इस ढांचे को उचित रूप से लागू किया जाता है, तो वह दिन दूर नहीं जब महिलाएं हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान देने में पुरुषों से आगे निकल जाएंगी।

—

महिला सशक्तिकरण में स्वयं-सहायता-समूह की भूमिका

स्वीटी कौशिक
प्रशासनिक अधिकारी
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
वड़ोदरा क्षेत्रीय कार्यालय
द्वितीय तल, इंदुमति ट्रस्ट बिल्डिंग
आराधना सिनेमा के सामने, तिलक रोड
वड़ोदरा - 390001

प्रस्तावना

आज हमारा भारत देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। देश को अंग्रेजी बेड़ियों से मुक्त करने के बाद जरूरत पड़ी देश को पुनः अपने पैरों पर खड़ा करने की। इस कार्य में पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं का भी योगदान रहा और देश के विकास हेतु यह क्रम आज भी जारी है। किंतु आधुनिक युग में भी महिलाओं को पुरुष के बराबर का दर्जा कुछ ही जगहों पर मिलता है। ग्रामीण तथा पिछड़े इलाकों में आज भी महिलाओं के सपने सामाजिक बेड़ियों की वजह से साकार नहीं हो पाते हैं। गांवों में लड़कियों की छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है, जिससे लड़कियों की शिक्षा अधूरी रह जाती है। एसी लड़कियों/महिलाओं के लिए आशा की किरण बनकर आया है 'स्व सहायता समूह', जिसे 'स्वयं सहायता समूह' भी कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है – ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्र की महिलाओं को आगे बढ़ाना तथा आत्मनिर्भर या स्वावलम्बी बनाकर उनके सपनों को पूरा करना।

"अबला से सबला हुई देखो नारी आज,
नारी के सहयोग से उन्नत बने समाज"।

महिला स्वयं सहायता समूह हर उस महिला के लिये उम्मीद की

किरण है, जो अपनी मेहनत के दम पर आत्मनिर्भर बनना चाहती है और साथ ही साथ समाज के उत्थान के लिये कार्य करना चाहती हैं।

महिला स्वयं सहायता समूह : एक परिचय – जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है 'स्वयं सहायता' अर्थात स्वयं की सहायता। इस प्रकार 'स्वयं सहायता समूह' का शाब्दिक अर्थ हुआ स्वयं की सहायता से बना समूह। यह स्वप्रेरण से बनाया गया। लगभग 10-20 महिलाओं का वह समूह है, जिनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति लगभग समान होती है और वह सामूहिक प्रयास से अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं।

स्वयं सहायता समूह का इतिहास देखने पर पता चलता है कि मुख्य रूप से इसकी शुरुआत देश की प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संस्था जैसे – SEWA (सेल्फ एंप्लाइड विमेन एसोसिएशन) आदि के माध्यम से हुई थी। इस संस्था ने प्रथम दौर में चीन युद्ध के पश्चात तिब्बतियों को पुनर्स्थापित किया और दूसरे दौर में वर्ष 2000 तक लाखों लोगों को बुनियादी सुविधाएं देकर उनके जीवन स्तर को उठाया। साथ ही महिलाओं को संगठित करके स्वयं सहायता समूह बनाए और विकास की पद्धति को बढ़ावा दिया। महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा सभी महिलाएं एक बराबर राशि को मासिक आधार पर पदाधिकारियों के पास जमा कर अपने नजदीकी बैंक में 'समूह' के नाम से बचत खाता भी खुलवा सकती है।

महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित विभिन्न खाद्य पदार्थों जैसे – अचार, पापड़, बड़ी, दलिया, आटा, अगरबत्ती आदि को अन्य क्षेत्रों में भी उपलब्ध करवाया जाता है। जिससे देश के कोने-कोने तक इन वस्तुओं की आपूर्ति भी हो जाती है और महिलाओं को रोजगार भी मिल जाता है। समूह कम से कम 6 माह तक संचालित होना चाहिए। यदि कोई महिला स्वयं सहायता समूह का अंग बनना चाहती है तो वह सम्बंधित पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन भी पत्रक भर सकती है। यदि एक बार आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो उसके बाद से ही आपको सभी तरह के सामाजिक और आर्थिक लाभ मुहैया कराये जाते हैं। इससे महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक विकास सम्भव होता है, और साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण को भी बल मिलता है।

वे सभी महिलाएं स्वयं सहायता समूह की सदस्य बन सकती हैं, जो-

क) अति गरीब या गरीब वर्ग की महिला हो,
ख) जिन महिलाओं की आयु 18-65 के बीच हो,
ग) समूह में काम करने की इच्छुक हो,
घ) बैठक में समय देने के लिये तैयार हो,
ङ) सहभागिता से गरीबों की पहचान प्रक्रिया द्वारा चिन्हित महिलाएं हो आदि।

समूह का नाम एतिहासिक व्यक्तियों में से किसी ऐसे व्यक्ति अथवा महिला के नाम पर रखा जाता है, जिन्होंने भूतपूर्व इतिहास में मानव विकास या संस्कृति के विकास और समृद्धि में अभूतपूर्व योगदान दिये। कुछ महिला स्वयं सहायता समूह के नाम इस प्रकार हैं :-

1. दुर्गा प्रेरणा समूह
2. सरस्वती प्रेरणा समूह
3. मीराबाई प्रेरणा समूह
4. तुलसी प्रेरणा समूह
5. रानी दुर्गावती प्रेरणा समूह आदि।

महिला स्वयं सहायता समूह के 13 सूत्र : गांव की 10-20 महिलाओं का समूह, जो समान सोच रखती हो और गरीबी से बाहर आने तथा अपने जीवन स्तर को सुधारने हेतु संगठित

होकर प्रयास करना चाहती हो, ऐसी महिलाओं के द्वारा एक सक्षम समूह का गठन होता है। महिला स्वयं सहायता समूह के प्रमुख 13 सूत्र है, जिनका पालन समूह की हर महिला को करना होता है, वे समय-समय पर होने वाली बैठक में अपने विचार भी रख सकती हैं और अपने कार्यों में होनी वाली असुविधा को भी साझा कर सकती हैं। समूह की प्रमुख महिला की जिम्मेदारी होती है कि वह इन सूत्रों का पालन खुद भी करे और समूह की अन्य सदस्य महिलाओं द्वारा भी करवाये।

समूह के 13 सूत्र–

1. नियमित साप्ताहिक बैठक
2. नियमित साप्ताहिक बचत
3. नियमित लेनदेन
4. नियमित ऋण वापसी
5. नियमित साप्ताहिक दस्तावेजीकरण
6. बेहतर स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण का नियमित पालन
7. समयानुसार अनिवार्य शिक्षा का पालन
8. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के साथ सक्रिय भागीदारी
9. पात्रता तक पहुंच
10. संवहनीय आजीविका
11. नकद रहित व्यवहार
12. पर्यावरण संरक्षण
13. संस्कार, संस्कृति एवं सभ्यता का संरक्षण।

उपरोक्त सभी सूत्र समूह की महिलाओं की विचार धारा, आर्थिक और सामाजिक स्तर में समानता और गतिविधियों का प्रमुख आधार है। समूह की प्रत्येक महिला से यह अपेक्षा रखी जाती है कि वह इन 13 सूत्रों का पालन करेंगी और प्रत्येक गतिविधि में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगी। स्वयं सहायता समूह के रजिस्टर तथा बही में सही प्रकार से जानकारी भरना तथा उनका रख-रखाव करना समूह के प्रमुख के साथ-साथ समूह के हर सदस्य की भी जिम्मेदारी मानी जाती है। कोई भी महिला समूह का अंग न बन रही है तो अनिवार्य है कि उसका आधार कार्ड बना हो और जो भी लघु तथा कुटीर व्यवसाय वह करना चाहती है, उसका प्रमाण पत्र होना भी आवश्यक है।

महिला स्वयं सहायता समूह की उपलब्धियां – स्वयं सहायता समूह के माध्यम से संचालित की जा रही स्वरोजगारोंमुखी योजनाओं से ग्रामीण परिवेश में पली-बढ़ी महिलाएं भी जागरुक हुई हैं और उन्हें आत्मनिर्भरता का बोध हुआ है। वे पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। आजीविका मिशन के माध्यम से वे रोजगारोंमुखी प्रशिक्षण प्राप्त करके समूह और बैंक से ऋण प्राप्त करके अपना स्वयं का व्यवसाय संचालित करती है। सरकार द्वारा आयोजित कई सारे कार्यक्रमों में स्वयं सहायता समूह की महिलाकर्मी जाती है और यह अनुभव साझा करती है कि समूह में शामिल होने के पूर्व उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन समूह में आ जाने के पश्चात् उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में बहुत ही अच्छा बदलाव आया है। सामाजिक स्थिति अच्छी होने के साथ-साथ परिवार, समाज और देश में उनकी महत्ता अधिक हो गयी है।

"मैं भी छू सकती हूं आकाश
मौके की है मुझे तलाश"।

स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आत्मनिर्भर भारत अभियान को आर्थिक क्रांति में बदलने की दिशा में भी काम कर रही हैं। आज देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त कराने का अभियान जारी है। इसमें स्वयं सहायता समूह की दोहरी भूमिका है। एक और वे सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग के बारे में जागरूकता फैला रही हैं, तो दूसरी और इसके विकल्प के रूप में कपड़े अथवा खादी जैसी वस्तुओं का उपयोग करने पर भी बल दे रही हैं।

जब पूरे देश में कोरोना महामारी फैली थी तब महिलाओं के स्वयं सहायता समूह ने मास्क और सैनिटाइजर बनाने, जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करवाने तथा जागरूकता फैलाने में भी अद्वितीय योगदान दिया। इससे प्रभावित होकर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चार लाख से अधिक स्व सहायता समूह को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। साथ ही भारत में बने खिलौनों हस्तशिल्प कृतियों को 'हुनर हाट' के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाया जा रहा है। जन धन बैंक खाते वाले स्व सहायता समूह की प्रत्येक महिला सदस्य को 5000 ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्वयं सहायता समूह के लाभ इस प्रकार हैं :-

क) गरीब जनता के बीच बचत आदत विकसित करना।
ख) वृहत पैमाने पर संसाधन की उपलब्धता।
ग) महिला सशक्तिकरण।
घ) एक स्थान से बेहतर तकनीकी सुविधा का मिलना।
ङ) स्वतंत्रता, समानता, आत्मनिर्भरता सुनिश्चित होना।
च) विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन सहायता का उपलब्ध होना।
छ) सरकार द्वारा दी गयी वित्तीय सहायता का उचित उपयोग करवाना।

महिला स्व सहायता समूह और सरकार की मदद से महिला सशक्तिकरण और राष्ट्र का विकास – किसी भी राष्ट्र का विकास यदि हम देखना चाहते हैं तो उस देश में महिलाओं की स्थिति देखकर उस देश के विकास का अंदाजा लगाया जा सकता है। भारत में भी देश के पिछड़े क्षेत्रों और ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को आगे बढ़ाने हेतु 'दीनदयाल अंत्योदय योजना' राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डी वाई एन आर एल एम) शुरू किया गया। जिसके तहत रोजगार के भरपूर अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। यह मिशन ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान 50,000 महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को बिजनेस कॉरस्पॉडेंट (बीसी) के रूप में जोड़ा गया। यह बीसी, गांव में घर-घर जाकर सेवाएं देंगी। इस कदम को '1GP 1BC सखी मिशन' का नाम दिया गया है। स्वयं सहायता समूह और उनके सदस्यों के बीच कैशलेस अथवा डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को सलाह दी गई कि वह स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को अपने बीसी के रूप में शामिल करने के लिये अपने राज्य में कार्यरत ग्रामीण बैंकों सहित विभिन्न बैंकों के साथ समंवय करे। उत्तर प्रदेश में बिजली सखी द्वारा प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में बिजली बिल संग्रहण करना जैसे कार्य भी किये जाते हैं।

DAY-NRLM (दीनदयाल अंत्योदय योजना-नेशनल रूरल लाईवलिहूड मिशन या राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) ने सीएसी ई-गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ताकि महिला स्वयंसहायता समूह के सदस्यों को डीजीपे सखी के रूप में शामिल किया जा सके, ताकि वह बुनियादी बैंक सुविधाएं प्रदान कर सकें। मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बैंक सखियों को स्वयं सहायता समूह के वित्तीय लेनदेन के अलावा मनरेगा से भुगतान, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, छात्रवृत्ति, बीमा योजना आदि के कार्य भी दिए जाने लगे हैं। स्टैंड अप इंडिया स्कीम द्वारा महिलाओं को भी उद्यमशीलता हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही इसके माध्यम से कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारत की जीडीपी में भी वृद्धि होगी।

स्वयं सहायता समूह का हिस्सा बन चुकी सभी सदस्य सरकार द्वारा समय-समय पर सहायता प्राप्त करती हैं। सरकार भी ऐसे अवसर प्रदान करती है कि प्रत्येक महिला का सर्वांगीण विकास हो सके तथा विकास के साथ-साथ महिला

सशक्तिकरण को भी बल मिल सके ।

उपसंहार – महिलाएं समाज के विकास और प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनके बिना विकसित तथा समृद्ध समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारत की लगभग आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व महिलाएं कर रही है। अगर उनके विकास पर ध्यान नहीं दिया गया तो आधी जनसंख्या अशिक्षित रह जाएगी। जरूरत है तो बस उनके सपनों को पंख देने की। इसी परिपेक्ष्य में स्वयं सहायता समूह, महिला सशक्तिकरण का एक प्रमुख माध्यम बनकर उभरा है। जिसके द्वारा रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमिता से गरीबी उन्मूलन में सहायता मिलती है। फलस्वरूप महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर स्वयं के स्तर को ऊपर उठाकर राष्ट्र के विकास में सहायक सिद्ध होती है।

कहते हैं जब आप किसी पुरुष को शिक्षित करते हो तब आप किसी एक व्यक्ति को शिक्षित करते हो, किंतु जब आप किसी स्त्री को शिक्षित करते हो तो आप पूरे परिवार और समाज को शिक्षित करते हो। पिछले कुछ दशकों से लड़कियों की साक्षरता में जैसे-जैसे वृद्धि हो रही है; भारत देश विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है; इससे न केवल मानव संसाधन के अवसर में वृद्धि हुई है बल्कि घर के आंगन से ऑफिस के कोरिडोर के काम-काज और वातावरण में भी बदलाव आया है।

आज हम यह प्रण लें कि हर स्त्री को शिक्षित करेंगे तथा ग्रामीण या पिछड़े वर्ग की महिला को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उन्हें स्वावलम्बी बनाने में हर सम्भव प्रयास करेंगे।

"जगह-जगह स्व सहायता समूह बनाएं
देश से निर्धनता और बेरोजगारी दूर भगाएं"।

—

(पृष्ठ 48 का शेष भाग)

गतिशील बदलने के लिए, बातचीत को फिर से आकार देने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि महिलाओं की आवाज सुनी जाती है, और अनदेखा नहीं किया जाता है।'

–शेरिल सैंडबर्ग

इस 21वीं सदी में भी नारी शक्तिहीन है। लिंग आधारित हिंसा, आर्थिक और शैक्षिक भेदभाव, प्रजनन स्वास्थ्य असमानताओं और हानिकारक पारंपरिक प्रथाओं सहित महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ भेदभाव, समाज में असमानता का सबसे व्यापक और लगातार रूप है। इसके परिणामस्वरूप उनका जीवन तनाव, आत्म-सम्मान रहिल और निर्भरता से भरा हुआ हो गया, जिसमें स्वयं की कोई भावना नहीं है ना ही भविष्य की कोई दृष्टि उन्हें अपने स्वयं के जीवन से संबंधित मुद्दों के संबंध में निर्णय लेने का भी अधिकार नहीं है।

'यह बात महिलाओं को अभी भी सीखनी है कि कोई भी आपको शक्ति नहीं देता है। आप बस इसे लेना सीखो।'

–रोजऐनी बर्र

लेकिन स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं की भागीदारी से इस परिदृश्य को बदलने की क्षमता है। यह महिलाओं को आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, संबंधपरक, प्रबंधकीय और राजनीतिक जैसे आयामों के साथ सशक्त बनाता है। इसलिए सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका सराहनीय हैं। सामान्य रूप से महिलाएं और विशेष रूप से ग्रामीण महिलाएं जो खुद को सशक्त बनाना चाहतो हैं, उन्हें सशक्त होने के लिए स्वयं को एसएचजी के साथ जोड़ना चाहिए। सरकारों को एसएचजी को इस तरह मजबूत करके इस अवधारणा को और लोकप्रिय बनाने के प्रयास करने चाहिए जो उनकी महिला नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप हों।

"सशक्त नारी से ही बनेगा सशक्त समाज"

ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों के समग्र विकास में एमएसएमई उद्यमों का योगदान

"विदेशी उत्पादों के बहिष्कार के बदले,
उससे बढ़िया उत्पाद बनाएंगे,
खुद होंगे आत्मनिर्भर भारत को भी
आत्मनिर्भर बनाएंगे।"

शास्त्रों में कहा गया है कि "सर्व परवंश दुखं सर्वमात्मवशं सुखम्" अर्थात् सब तरह से दूसरों पर निर्भर रहना ही दुःख है एवं सब प्रकार से आत्मनिर्भर होना ही सुख है। हमारा भारत देश विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में से एक रहा है, भारत में श्रम करने का स्वभाव और सामर्थ्य सदैव से रहा है। जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। तब 'श्रमेव जयते' का भाव समाज में उदय था। हर हाथ के पास काम था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। गांधीजी के 'ग्राम स्वराज' के विचार को अपनाकर गांवों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। इसलिए एमएसएमई ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों के सम्पूर्ण विकास में काफी योगदान दे रहा है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) आर्थिक विकास के इंजन के रूप में और समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं। एमएसएमई को मजबूत करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग का गठन 5 अप्रैल 2016 को किया गया था। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के गठन का लक्ष्य एमएसएमई

धीरेन्द्र मंडावत
वरिष्ठ प्रबन्धक आईटी
पंजाब नैशनल बैंक, अंचल कार्यालय, अहमदाबाद
चौथा तल, चाणक्य बिल्डिंग, आश्रम रोड
अहमदाबाद - 380009

के लिए ऐसी नीतियां बनाना है, जो कि उन्हें विकसित करने के साथ-साथ सक्षम भी बनाए। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की मदद से एमएसएमई मध्यप्रदेश में सामाजिक-आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देकर विभाग ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ-साथ सामान्य ग्रामीण लोगों और विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करता है। विभाग एमएसएमई को ऋण, प्रौद्योगिकी तथा स्थानीय एवं वैश्विक बाजार तक की पहुँच प्रदान करता है। एमएसएमई को न्यूनतम साझा सुविधा प्रदान करने के लिए विभाग क्लस्टरों का विकाास भी करता है। स्व-रोजगार योजनाओं के माध्यम से विभाग युवाओं को प्रोत्साहित करता है, ताकि वह अपने गृह शहर/गांव में अपने उद्यम स्थापित कर सके। इसलिए एमएसएमई आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सकल घरेलू उत्पाद के 29.7% और निर्यात में 49-66% योगदान करते हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सहायक इकाईयों के रूप में बड़े उद्योगों के पूरक हैं। इसलिए एमएसएमई को आर्थिक विकास में सुधार के लिए देश की रीढ़ माना गया है। कुल मिलाकर कहें तो एमएसएमई भारत को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

एमएसएमई क्या है – एमएसएमई का अर्थ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है इसे हिन्दी में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम कहा जाता है। एमएसएमई में मुख्य रूप से दो तरह के उद्योग आते हैं– पहला है– सर्विस सेक्टर और दूसरा है विनिर्माण उद्योग यानी मैनुफैक्चरिंग सेक्टर।

एमएसएमई की नई परिभाषा – एमएसएमई का लाभ अधिक से अधिक युवाओं एवं उद्यमियों तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने कोरोना काल में एमएसएमई की परिभाषा में संशोधन कर दिया है। नई परिभाषा के अनुसार–

1. माइक्रो यानी सूक्ष्म उद्यम के अन्तर्गत एक करोड़ से कम का निवेश रखा गया है और टर्नओवर 5 करोड़ रुपये तक रखा गया है।
2. स्मॉल यानी लघु उद्यम में निवेश के लिए धनराशि 10 करोड़ रुपये तक और टर्नओवर 50 करोड़ रुपये तक सीमित कर दिया गया है।
3. मीडियम यानी मध्यम उद्यम के अन्तर्गत निवेश को 50 करोड़ और टर्नओवर को 250 करोड़ रुपये तक सीमित कर दिया गया है ऐसा करने से देश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम का दायरा बढ़ गया है।

एमएसएमई योजनाएं एवं कार्यक्रम – भारत सरकार या कोई भी राज्य सरकार बेरोजगार युवा को सीधे ऋण सहायता नहीं देती है। इसे बैंकों के द्वारा ही लक्षित दुर्गम स्थलों के युवाओं तक पहुंचाया जाता है। इस समय देश में एमएसएमई की अनेक योजनाएं चल रही हैं, जिनसे ग्रामीण एवं शहरी युवा लाभ उठा सकते हैं। इनमें से प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम इस प्रकार हैं–

1. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)
2. प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना
3. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम
4. डिजाइन क्लीनिक योजना
5. लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक योजना
6. डिजिटल एमएसएमई योजना
7. एमएसएमई की जेड (जेडईडी) योजना में वित्तीय सहायता
8. इनक्यूबेटर के माध्यम से एमएसएमई के उद्यमिता एवं प्रबंधकीय विकास के लिए सहायता
9. बौद्धिक संपदा अधिकार पर जागरूकता निर्माण
10. टूल रूम और एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र
11. रीद एवं विपणन सहायता योजना

12. सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि न्यास
13. दो प्रतिशत ब्याज छूट योजना
14. उद्यमशीलता और कौशल विकास कार्यक्रम
15. पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि योजना (स्फूर्ति)
16. सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीद आदि

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम – एमएसएमई की विभिन्न योजनाओं में, जो प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण युवाओं और शहरी युवाओं से जुड़ी हुई है, वह है पीएमईजीपी यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। यह योजना देश में सबसे लोकप्रिय योजना है। इसका उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के नए उपक्रम या परियोजना अथवा स्वस्थ उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसरों का निर्माण करना है, इस योजना या कार्यक्रम से भारत में अभी तक लाखों युवा लाभ उठा चुके हैं। इस तरह नए भारत में कौशल विकास का महत्व बढ़ता जा रहा है और इसके माध्यम से देश में युवाओं के लिए एमएसएमई के क्षेत्र में नए द्वार खुल रहे हैं।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना– प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी पीएमकेवीवाई एम महत्वपूर्ण योजना है, जो कुशल युवाओं की नई फौज तैयार कर रही हैं, और स्टैंड अप नाम से इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं को देश में साकार कर भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

भारत की विभिन्न आर्थिक सुधार संबंधी नीतियों के कारण ही आजकल अनेक विकसित देश भारत में पूंजी निवेश कर रहे हैं। निवेश के इस नए युग में देश के अंदर भारतीय युवाओं के लिए रोजगार का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे अनेक देश भारत के साथ व्यापार सहयोग बढ़ा रहे हैं, जिससे भारतीय युवाओं के लिए नए रास्ते तैयार हो रहे हैं।

इस तरह कौशल विकास एक ओर जहाँ प्रशिक्षण के रास्ते से भारतीय युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध करा रहा है, वहीं एमएसएमई की योजनाएं प्रत्यक्ष रूप से भारतीय युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए यानी स्वरोजगार हेतु प्रेरित कर रही है ताकि ऐसे उदीयमान युवा न सिर्फ अपने लिए स्टार्टअप करें बल्कि अपने स्टार्टअप में अपने ही जैसे कई युवाओं को रोजगार दे सकेगं और उन्हें भी स्वरोजगार हेतु प्रेरित कर सकें। इसी रास्ते से आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न पूरा हो सकता है।

खादी, ग्राम और केयर उद्योगों का विकास – खादी हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रपिता की शानदार राष्ट्रीय विरासत है। खादी और ग्रामोद्योग (केवीआई) भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक यह है कि यह बहुत कम प्रति व्यक्ति निवेश पर रोजगार सृजित करता है। केवीआई क्षेत्र न केवल देश के विशाल ग्रामीण क्षेत्रों की संसाधित वस्तुओं की बुनियादी जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि ग्रामीण कारीगरों को स्थायी रोजगार भी प्रदान करता है और यह रोजगार के अवसरों की तलाश के लिए ग्रामीण जनता को शहरी क्षेत्रों में जाने से रोकने में भी मदद करता है।

केयर उद्योग, जो कि देश में कृषि आधारित प्रमुख ग्रामीण उद्योगों में से एक हैं, जिसका उद्भव केरल राज्य में हुआ है, इसका उद्देश्य नारियल का उत्पादन करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना है। केयर उद्योग की दो प्रमुख विशेषताएं इसका निर्यातोन्मुखी होना और कचरे (नारियल की भूसी) से पैसा

कमाना है।

एमएसएमई उद्यम मंत्रालय मौजूदा उद्यमों को सहायता प्रदान करने और नए उद्यमों को प्रोत्साहित करके संबंधित मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के सहयोग से, खादी, ग्रामोद्योग और कयर उद्योग सहित एमएसएमई क्षेत्र की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देकर एक जीवंत एमएसएमई क्षेत्र की कल्पना करता है। एमएसएमई मंत्रालय की ऐसी कई योजनाएँ हैं, जो ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों के समग्र विकास में योगदान देती हैं।

ऋण की सुविधा– एमएसएमई की किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए यदि ऋण की आवश्यकता पड़ती है तो वहां पर बैंक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। कई बैंक एमएसएमई की योजनाओं की ओर युवाओं को आकर्षित करने के लिए अपनी विशेष शाखाएं या अभियान चला रहे हैं। बैंक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग करने वाले उद्यमियों को कई तरह की ऋण सुविधाएं, उनमें छूट दे रहे हैं, जिससे वे अपना रोजगार विकसित कर सकें और भारत की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकें।

भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में— एमएसएमई मंत्रालय ग्रामीण व अर्धशहरी क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष अभियान चला रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में युवा भाग ले सकें और कई तरह की योजनाएं जैसे – प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मनरेगा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, दीन-दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल योजना का लाभ उठा सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। कोरोना काल में एमएसएमई के माध्यम से भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार ने कई कदम उठाए हैं। वोकल फॉर लोकल की नई विचारधारा ने स्वदेशीकरण की प्रक्रिया को तेज कर दिया है, जिससे ग्रामीण स्तर पर भारत की अर्थव्यवस्था के मजबूत होने के संकेत मिल रहे हैं।

एमएसएमई का प्रयास है कि ग्रामीण और शहरी युवाओं को अपने क्षेत्र में रोजगार का अवसर प्राप्त हो ताकि कौशल शक्ति से युक्त युवाओं का पलायन रूक सके और ग्रामीण भारत का भी औद्योगिक एवं उद्यमीय विकास समावेशी रूप से हो सके। केन्द्र सरकार में न सिर्फ एमएसएमई मंत्रालय, बल्कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीणर विकास मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय सहित अनेक मंत्रालय एवं विभाग एमएसएमई की कोई न कोई योजना संचालित कर रहे हैं, जिनसे भारतीय युवाओं और विशेषकर बेरोजगार युवाओं का मार्गदर्शन हो रहा है।

साथ ही, उद्यम के क्षेत्र में अपनी इकाई की आधारभूत संरचना को विकसित करने वाले उद्यमी तथा विश्व-स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाले भारतीय उद्यमी भी इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं।

एमएसएमई मंत्रालय विपणन के विभिन्न कार्य और उप-कार्य में सहायता करती है, विपणन की कुशल प्रणाली लागत को न्यूनतम तक कम कर देती है और उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। इससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है और भारत का विकास होता है। कुल मिलाकर कहें तो यह क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी जैसा रोल निभा रहा है।

एमएसएमई से मिलने वाले लाभ– सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग करने वाले कारोबारियों को कई लाभ प्राप्त होते हैं, जिससे उन्हें अपना कारोबार बढ़ाने में मदद मिल सके।

1. एमएसएमई को बिना किसी गारंटी/सिक्योरिटी के लोन
2. 1 करोड़ रुपये तक का अनसिक्योर्ड लोन
3. 500 करोड़ रुपये तक का सिक्योर्ड बिजनेस लोन (लीज रेंटल डिस्काउंटिंग)
4. 12 महीने की अवधि का मोराटोरियम पीरियड, बैंक के अनुसार अधिक हो सकता है।
5. एमएसएमई उद्योगों का लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कराने पर 50% की छूट प्रदान की जाती है।
6. बैंक से ब्रान्ड-फ्री लोन की सुविधा अर्थात् लघु उद्योगों के लिए सरकार द्वारा क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम शुरू किया गया है, इसके कई लोन योजनाओं के लिए 100% क्रेडिट गारंटी है।
7. बैंक द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि एमएसएमई के तहत पंजीकृत उद्यमों को ओवरड्राफ्ट में ब्याज पर कम से कम 1% की राहत मिले।
8. एमएसएमई रजिस्टर्ड उद्यमों का बिजनेस लोन पास होने के बाद बैंक द्वारा पेमेंट में किसी भी तरह की देरी होने पर चक्रवृद्धि ब्याज अनुसार उद्योगों को ब्याज मिलेगा।
9. 60 महीने तक की भुगतान की अवधि।
10. एमएसएमई समेत बिजनेस के लिए रु. 3 लाख करोड़ का कोलेटरल फ्री ऑटोमैटिक लोन।
11. कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित एमएसएमई को आर्थिक प्रोत्साहन।

ग्रामीणों के विकास के लिए सरकार द्वारा किये गये प्रयास-

- भारत गाँवों का देश है। भारत की लगभग... जनता आज भी गाँवों में निवास करती हैं। गाँवों के निवासी ही सम्पूर्ण देशवासियों के लिए अन्न, वस्त्र, फल, दूध, चीनी और सब्जियाँ आदि जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, इसके साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में भी गाँवों का विशेष महत्व है। इसलिए गाँवों की उन्नति में ही देश की उन्नति है। इसलिए सरकार द्वारा समय-समय पर कई कार्यक्रम व योजनाएँ संचालित करती रहती हैं, जिससे ग्रामीणवासियों की समस्याओं का निराकरण किया जा सके, जो निम्न हैं–

1. भारत सरकार ने खादी कपड़ों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए 'जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट' योजना को शुरू किया है, इससे खादी उत्पादों को वैश्विक मानकों के अनुरुप बनाने में मदद मिलेगी।
2. एमएसएमई मंत्रालय खादी स्टोर नेटवर्क का विस्तार करने पर भी गौर कर रहा है, खादी उत्पादों की ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिये बिक्री के लिये भागीदारी और गठबंधन पर ध्यान दिया जा रहा है।
3. एमएसएमई मंत्रालय खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रहा है। केयर उद्योग (नारियल के रेशे) के साथ-साथ खादी उद्योग सरकार के प्रमुख लक्ष्यों में से एक हैं।
4. सरकार द्वारा खादी और खादी उत्पादों की बिक्री पर छूट उपलब्ध करायी जाती है ताकि अन्य कपड़ों की तुलना में इनके मूल्यों को सस्ता रखा जा सके।
5. किसान क्रेडिट कार्ड योजना की सहायता से पर्याप्त ऋण (लोन) बहुत ही आसानी से मिल जाता है, जिससे किसान कृषि से संबंधित खाद, बीज, कीटनाशक आदि सामग्री खरीद सकते हैं।
6. डेयरी उद्यमिता विकाास योजना का लाभ लेकर किसान या पशुपालक नई डेयरी की स्थापना कर सकते हैं और इसके साथ प्रशिक्षण भी ले सकते हैं।
7. राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन योजना के द्वारा कृषि को बढ़ावा देकर, उत्पादकता में वृद्धि कर खाद्य सुरक्षा की स्थिति को

सुनिश्चित किया जा सके।

8. पर्यावरण अनुकूल उत्पादों पर बल देने के साथ-साथ सरकार द्वारा धरोहर ग्रामों की पहचान कर उनका विकास किया जा रहा है।

9. एमएसएमई मंत्रालय ग्रामीण व अर्धशहरी क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास में मदद करके रोजगार के साधन उपलब्ध करा रही हैं।

10. कई तरह की योजनाएँ जैसे कि ब्याज सहायता देना, बाजार उन्नयन और विकास योजना के तहत वित्तीय सहायता, क्लस्टर आधारित विकास के अवसर और इसके साथ ही नये डिजाइनों को बढ़ावा देते हुए सार्वजनिक निजी भागीदारी योजनाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

सुझाव– आवश्यकता है भारत में प्रक्रियाओं को आसान बनाने की। स्पॉट रिफार्म के कारण हमारे उद्योग न सिर्फ प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे बल्कि दुनिया के लिए निर्माण करने में भी सक्षम होंगे।

चुनौतियाँ– एमएसएमई क्षेत्र अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने के बावजूद कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। प्रमुख चुनौतियों में भौतिक बुनियादी ढांचागत बाधाएं, औपचारिक रूप न दे पाना, प्रौद्योगिकी अपनाने में सुस्ती बरतना, क्षमता निर्माण, आपूर्तिकर्ता और ग्राहक के बीच की कड़ी, ऋण और जोखिम पूंजी तक पहुंच की कमी और इनके साथ-साथ देरी से भुगतान की सार्वकालिक समस्या शामिल हैं।

निष्कर्ष– एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इस क्षेत्र ने राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं। निर्यात का लाभ उठाया है। अकुशल, नए स्नातकों के लिए रोजगार के बड़े अवसर पैदा किए हैं, जो बेरोजगार हैं। इसने एमएसएमई क्षेत्र को उद्यमों को अधिक ऋण देने के लिए बैंकों के अवसरों को भी बढ़ाया है। एमएसएमई योजनाएं दुनिया भर में एमएसएमई क्षेत्र के महत्व को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन योजनाओं की मदद से अब एमएसएमई को व्यवसाय संचालन के सुचारु संचालन के लिए धन प्राप्त करने में बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।

सरकार को बेहतर विनियमों को लागू करके अधिक से अधिक एमएसएमई पंजीकरण लाभ प्रदान करते हुए विशेष ध्यान रखना चाहिए और वित्तीय संस्थानों को इस क्षेत्र की स्थिरता के लिए कम ब्याज दर पर अधिक ऋण देने में सक्षम बनाना चाहिए। साथ ही इनकी योजनाओं के लाभ के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए।

इस प्रकार एमएसएमई भारत को आत्मनिर्भर बनाने में हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है। आत्मनिर्भर बनने से हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, देश के सामने जो चुनौतियां हैं, उन्हें हम सबको मिलकर परास्त करना है। हमारा मंत्र होना चाहिए – सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास।

—

।। एमएसएमई तथा एसएचजी से बदलती तस्वीर ।।